—:: पृष्ठ भूमि ::—

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZD विकास योजना प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान करता है। इस प्रावधान की पालना मे जिला आयोजना समितियों का गठन किया गया है, जो जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नगर निकायो एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं का समेकन करती है।

योजना निर्माण के विषय विशेषज्ञो द्वारा संतुलित एवं बहत्तर योजना निर्माण के लिए विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण एवं एकीकृत योजना निर्माण की विचारधाराओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण में जहा जन सहभागिता को महत्व दिया गया है वही एकीकृत योजना निर्माण में उपलब्ध संसाधनो के बहतर उपयोग पर जोर दिया गया है।

किसी भी जिले की योजना निर्माण के लिए वहाँ की आवश्यकताओं, वहां के उपलब्ध संसाधनो, वहां के विशेष पिछड़े क्षेत्रों का चिन्हीकरण, पिछड़ेपन के विशेष कारण आदि की जानकारियां उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य को मध्यनजर रखते हुए जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ है। जिला मानव विकास प्रतिवेदन वह रिपोर्ट है जो विभिन्न अन्तरालों (GAPS) और उप जिला स्तर पर जिला विकास में असंतुलन का आंकलन और विश्लेषण कर यथासम्भव समाधान के सुझाव देती है। वर्तमान में योजना आयोग और यू.एन.डी.पी. के सहयोग से ''मानव विकास के लिए राज्य योजनाओं का सुदृढीकरण (SSPHD)" कार्यक्रम के तहत 56 जिलो की मानव विकास रिपार्ट तैयार की जा रही है जिनमे टोंक जिला भी शामिल है।

DHDR के उदेश्य :–

निम्नलिखित उदेश्यो को मध्यनजर रखकर DHDR तैयार की जा रही है –

1. मानव विकास से जुड़े मुददो यथा आजीविका शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के संमको का संकलन एवं विश्लेषण करना।
2. जिले में मानव विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रो की पहचान करना।
3. जिला आयोजना समिति एवं अन्य सरकारी विभागो को जिले की योजना तैयार करने में सहायता करना।

प्रक्रिया (Methodology) –

योजना आयोग भारत सरकार एवं यू.एन.डी.पी. के सहयोग से राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के उचित मार्गदर्शन मे जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार की गयी है। प्रतिवेदन तैयार करने मे निम्न प्रक्रिया अपनाई गई है –

सर्व प्रथम DHDR की अवधारणा, विभिन्न हितधारको की भूमिका, संमको का संकलन आदि विषयो पर चर्चा एवं जानकारी के लिए दिनांक 21 जुलाई 2009 को एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला कलेक्टर, जिलास्तरीय अधिकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायो के चुनिन्दा जन प्रतिनिधियो ने भाग

लिया। राज्य स्तर से आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से प्रोजेक्ट स्पेशलिष्ट सुश्री स्मिता शर्मा ने भाग लेकर पूरा तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

कार्यशाला में विस्तृत चर्चा के उपरान्त डी.एच.डी.आर के प्रस्तावित अध्यायों पर संकल्पना नोट (Concept Note) तैयार करने हेतु निम्नानुसार विषयो पर कार्य समूहो (Working Groups) का गठन किया गया –

1. शिक्षा समूह
2. स्वास्थ्य समूह
3. आजीविका समूह
4. जेण्डर समूह
5. संमक संकलन समूह

उक्त सभी समूहो में विषय का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विभागीय अधिकारी, चुनिन्दा जन प्रतिनिधि एवं स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि आदि को शामिल किया गया। इन समूहो के कार्यो की समय – समय पर जिला कलक्टर एवं जिला आयोजना प्रकोष्ठ द्वारा समीक्षा की गई। रिपोर्ट के सम्पूर्ण कार्य की समीक्षा हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा समय – समय पर उपयुक्त सुझाव दिये गये। गठित समिति के सदस्यो का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है।

तैयार किये गये कनसेप्ट नोट एवं विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण राज्य स्तर पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला दिनांक 20–21 अगस्त 2009 मे किया गया । यह राज्य स्तरीय कार्यशाला DHDR तैयार करने के सम्बन्ध में बहुत उपयोगी कारगर हुई क्योंकि इस कार्यशाला में DHDR तैयार करने के सम्बन्ध में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले बुद्विजीवियो ने भाग लेकर सभी सम्भागियो का ज्ञानवर्धन किया। इसमें विशेष रूप से योजना आयोग के अधिकारी, पश्चिमी बंगाल से आये प्रोफेसर, निदेशक आर्थिक एवं साख्यिकी निदेशालय राज. जयपुर आदि की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही। इस कार्यशाला के माध्यम से दिये गये निर्देशो एवं सुझावो के अनुरूप कनसेप्ट नोट की विषयवस्तु मे सुधार किया जाकर सम्पूर्ण विषय सामग्री को रिपार्ट का रूप देने के लिए एवं डाटा के उचित विश्लेषण एवं निष्कर्षो के लिए जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्था ग्राम चेतना केन्द्र, खेड़ी मलिकपुर जिला जयपुर का सहयोग लिया गया। जिसने संकलित संमको का विश्लेषण कर ब्लॉकवार स्थिति का निष्कर्ष एवं उचित सुझाव प्रस्तुत किये। साथ ही योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार जारी टेम्पलेट के अनुसार ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई।

तैयार ड्राफ्ट रिपोर्ट को दिनांक 20.10.2009 को जिला कोर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कमेटी में हुए विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार कर राज्य स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई, राज्य स्तर से इस पर प्राप्त सुझावो को शामिल करते हुए पुनः रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार की गई। अन्तिम रूप से तैयार रिपोर्ट का राज्य स्तर पर प्रस्तुतीकरण दिनांक 24.12.2009 को प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किया गया। इस बैठक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान दिये गये सुझावों को शामिल करते हुऐ प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया गया।

मानचित्र जिला टोंक

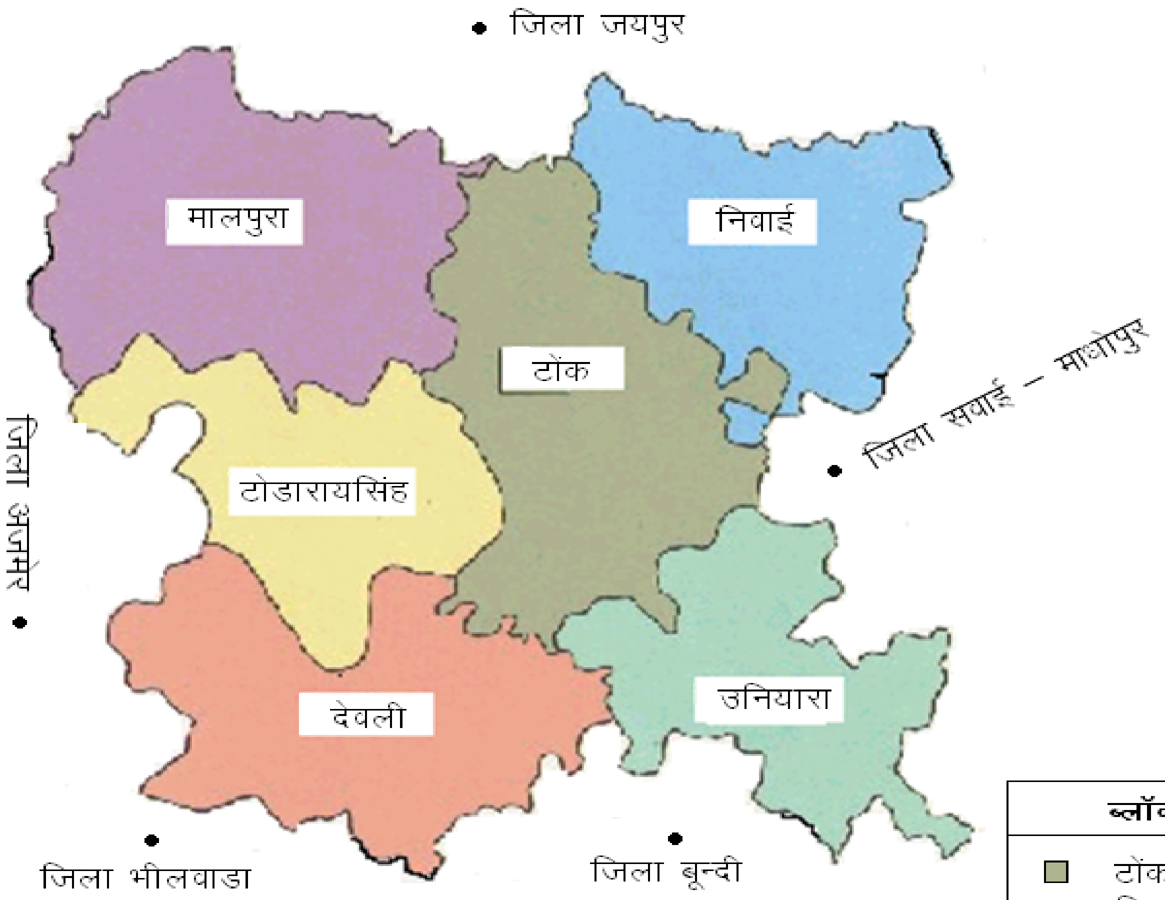

ब्लॉक	क्षेत्रफल(वर्ग किमी)
टोंक	1423
निवाई	1063
मालपुरा	1468
टोडारायसिंह	1020
देवली	1235
उनियारा	985

v/;k; & 1

ftys dk {ks=h; ikQkby

1-1 i'kklfud i"BHkkfe vkj lf{kIr bfrgkl &

प्राचीन अभिलेख के अनुसार सम्राट अकबर के शासन काल में जयपुर रियासत के राजा मानसिंह ने टोरी और टोकरा परगना को अपने अधिकार में ले लिया था। सन् 1643 में राजा मानसिंह ने भोला नाम के ब्राह्मण को टोकरा के 12 गाँव भूमि के रूप में स्वीकृत किए गए जिसने 12 ग्रामों के समूह को मिलाकर टोंक का नामकरण किया। बाद में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह से मानसिंह सोलंकी को सौंप दिया, जिसकी बहन से राजा सवाई जयसिंह ने शादी की थी। सन् 1720 में इस जागीर को पुनः समाप्त कर दिया गया। सन् 1750 में जयपुर के महाराज माधोसिंह ने टोंक और रामपुरा को मलहरराव ढ़ोलकर को सौंप दिया, पर कुछ समय बाद से इन जिलों के स्वामित्व पर होलकर, सिंधिया व जयपुर राजघरानों में विवाद चलता रहा। सन् 1804 में अंग्रेजों द्वारा टोंक व मालपुरा दोनों जिलों पर फतह कर लिया गया तथा टोंक जिले को जयपुर रियासत में दे दिया गया।

महाराज सवाई जयसिंह की मृत्यु पर ईश्वरी सिंह और माधोसिंह आमेर की गद्दी के लिए लड़ते रहे। माधोसिंह ने सम्वत् 1810 में टोंक में भीमगढ़ बनाकर भोमियां को दिया। महाराज माधोसिंह ने टोंक का परगना माधोराव होलकर को सहायता करने के बदले दे दिया जो अन्त में सम्वत् 1863 विक्रम तद्नुसार 1817 में नवाब अमीर खां को मिल गया। 1817 में अमीर खां के नवाब बनने के बाद टोंक एक इस्लामी रियासत में तब्दील हो गया इसमें टोंक शहर, अलीगढ़, रामपुरा, सिरोज, छबड़ा और निम्बाहेड़ा के परगने शामिल कर दिए गए। लगातार लूट मार और कत्लोगार से तंग आकर अंग्रेज सरकार के सामने अमीर खां को टोंक का नवाब बनाने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं रहा था। नवाब अमीर खां ने टोंक के पुराने किला लालागढ़ को अमीरगढ़ में तब्दील कर दिया तथा 1834 तक टोंक को सजाने संवारने का कार्य किया। 1834 में उनकी मृत्यु के पश्चात वजीउद्दीला टोंक के नवाब बने। इनकी शिक्षा देहली में हुई। अतः इनके समय में शिक्षा में प्रगति हुई। जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। नजरबाग का विस्तार हुआ। 1865 से 1867 स्वयं मो. अली टोंक के नवाब रहे, इन्हें अल्प समय में ही अंग्रेजों द्वारा गद्दी से उतार कर बनारस भेज दिया गया था। क्योंकि इन्होंने सुलह समझौते के बहाने लावा के ठाकरों को बुलाकर धोखे से कत्ल करवा डाला था। 1867 में अल्पायु में ही इब्राहीम अली खां टोंक के नवाब बने। यह समय बहुत लम्बा चला और शाकों का समय था। तरह–तरह के मजमें मुशायरें दंगल इस वक्त की शान थी। 1930 में सआदत अली खां टोंक के नवाब बनें यह तरक्की पसन्द व्यक्ति थे। इनके समय में फ्रेजर पुल का निर्माण हुआ। सआदत अस्पताल और घण्टाघर बना तथा पैवेलियन का निर्माण हुआ। 1947 में इनके निधन के पश्चात् फारूख अली खां नवाब बने। इनका कार्यकाल 31 मई 1947 से लेकर 7 जनवरी 1948 तक रहा। इस बीच भारत देश स्वतंत्र हो गया। फरवरी 1948 में मो. इस्माल अली खां नवाब बने तथा टोंक के प्रशासक रामबाबू सक्सैना नियुक्त किए गए। मई 1948 में टोंक राजस्थान यूनियन में शामिल हो गया जिसमें 11 रियासतें और शामिल थी। इस प्रकार 131 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात् टोंक पर नवाबी हुकुमत समाप्त हो गई। आखिरी नवाब इस्माइल अली खां जिसकी दिलचस्पियां शिकार और खेल तक सीमित थी, 1974 तक जीवित रहे।

वर्तमान में टोंक जिला प्राचीन टोंक रियासत अलीगढ़ तहसील, जयपुर राज्य की निवाई, मालपुरा एवं टोडारायसिंह तहसील तथा उनियारा ठिकाना अजमेर मेवाड़ के देवली व बून्दी के 27 ग्रामों को मिलाकर बनाया गया है।

1.2 जिले की भौगोलिक स्थिति –

टोंक जिला राजस्थान के उत्तरी पूर्व भाग में स्थित है जिले का भौगोलिक धरातल लगभग समतल कुछ क्षैत्र पहाड़ी क्षेत्र वाला है यह 25.41 एवं 26.34 उत्तरी अक्षांश तथा 75. 07 एवं 76.19 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। टोंक जिले की सीमा उत्तर में जयपुर दक्षिण में बून्दी एवं भीलवाड़ा पश्चिम में अजमेर और पूर्व में सवाईमाधोपुर जिले से मिलती है।

1.2.1 स्थानीय प्राकृतिक भूगोल (टोपोग्राफी) :–

जिले का कुल भौगोलिक क्षैत्रफल 7194 वर्ग किलोमीटर है। इसमें वनों का क्षैत्रफल 331.56 वर्ग किलोमीटर है जो कुल क्षैत्रफल का 4.61 प्रतिशत है। यह जिला समुद्रतल से 264.32 मीटर की ऊँचाई पर अवस्थित है।

जिले की महत्वपूर्ण बनास नदी जिले को दो भागों में विभक्त करती है। जिले की कुछ भूमि रेतीली होते हुए भी उपजाऊ है। यद्यपि पानी की सतह सामन्यत अधिक नहीं है लेकिन अधिकांश क्षैत्रों में 20 फुट के नीचे चट्टाने आ जाती है। इसके परिणामस्वरूप भूमि के लिए सिंचाई का पानी सीमित है। जिले में अरावली पर्वत श्रेणी की कुछ श्रृंखलाऐं भी स्थित है। पहाड़ियों की एक श्रृंखला भीलवाड़ा जिले से प्रारम्भ होती है जो भीलवाड़ा व बून्दी जिलों की सीमाओं के साथ–साथ होती हुई दक्षिण दिशा में राजकोट के पास जिले में प्रवेश करती है। यह श्रृंखला आगे उत्तरी पूर्वी दिशा में चलती हुई बनेठा के पास समाप्त होती है और आगे यही श्रृंखला सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। अरावली पहाड़ियों की द्वितीय श्रृंखला टोडारायसिंह तहसील में तहसील मुख्यालय एवं राजमहल के बीच से गुजरती है। इसी श्रृंखला में बनास नदी निकलती है। मालपुरा के पास भी कुछ पहाड़ियाँ स्थित है। एक पहाड़ी का टुकड़ा अजमेर जिले की सीमा को छूता है। जिले का सामान्य ढ़लान उत्तर पश्चिम से दक्षिण एवं पूर्व की ओर है। जिले की सामान्य ऊँचाई 409 से 605 मीटर के बीच है।

1.2.2 भूमि]मिट्टी एवं प्राकृतिक संसाधन –

जिले की मिट्टी सामान्यतः कच्छारी है लेकिन जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग रेतीला है। निवाई, टोंक तहसील एवं अन्य तहसीलों के कुछ भागों में बालू व दोमट मिट्टी है। जिले में विभिन्न स्थानों पर पायी जाने वाली मिट्टी के प्रकार एवं क्षेत्रफल का विवरण तालिका सं. 1. 1 में दर्शाया गया है।

तालिका सं0 1.1

जिले में भूमि का प्रकार एवं क्षेत्र का विवरण (वर्ष 2009)

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल हैक्ट0	उपलब्ध स्थान
1.	सेण्डी एवं कलेलाम	146696	टोंक, पीपलू
2.	सेण्डी टू सेण्डीलोम	103049	निवाई
3.	सेण्डी लोन क्लोलोन	253894	मालपुरा, टोडा
4.	सेण्डीलोम टू सेण्डी	124525	देवली
5.	क्लो टू क्ले लोम	88654	उनियारा, अलीगढ़

(स्रोत– कृषि विभाग टोंक)

1-3 LFkkuh; iz'kklfud <kapk &

जिले में स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रो में पंचायती राज संस्थाए एवं शहरी क्षेत्रो में नगर पालिका/परिषद संस्थाए कार्यरत है।

1-3-1 xzkeh.k {ks= &

जिले में एक जिला परिषद, 6 पंचायत समितियॉ एवं 231 ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रो के स्थानीय प्रशासन के रूप में कार्यरत है। जिनका ब्लॉकवार विवरण तालिका सं. 1.2 पर दर्शाया गया है।

तालिका सं0 1.2

ftys esa i-l-,oa xzke iapk;rksa dk fooj.k ¼o"kZ 2009½

क्र.सं.	पं.स. का नाम	ग्राम पंचायतों की सं.	ग्रामों की संख्या
1	2	3	4
1.	टोंक	50	258
2.	देवली	39	182
3.	उनियारा	33	222
4.	निवाई	41	210
5.	मालपुरा	36	160
6.	टोडारायसिंह	31	147
योग	6	231	1179

¼स्रोत– भू अभिलेख शाखा कलेक्ट्रट½

1-3-2 'kgjh {ks= &

जिले में एक नगर परिषद एवं पांच नगरपालिकाएं शहरी क्षेत्रो की प्रशासनिक व्यवस्थाओं हेतु संचालित है। जिनका विवरण तालिका सं. 1.3 मे दर्शाया गया है।

तालिका सं0 1.3

ftys esa uxj fudk;ksa dk tula[;kokj fooj.k ¼o"kZ 2009½

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	वार्डो की सं.	जनसंख्या(2001)
1	2	3	4
1.	टोंक (नगर परिषद)	45	135689
2.	देवली	20	20026
3.	उनियारा	15	10834
4.	निवाई	25	38042
5.	मालपुरा	25	27360
6.	टोडारायसिंह	20	21217
	;ksx &	150	253168

¼स्रोत– सेन्सस 2001½

1-4 ftys esa ukxfjd iz'kklu dh fLFkfr&

जिले में उचित नागरिक प्रशासन की दृष्टि से वर्तमान में टोंक जिला सात उपखण्ड़, सात तहसीलों, एवं दो उप तहसीलों में विभाजित है, जिनकी राजस्व ईकाइयों का विवरण तालिका सं. 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका सं0 1.4

ftys esa jktLo iz'kklu bdkb;ksa dk fooj.k ¼o"kZ 2009½

Ø-la-	uke mi[k.M	uke rglhy	Hkw vfHk- fujh{kd e.My la-	iVokjh e.My la-	jktLo xzke
1.	टोंक	टोंक	5	40	144
2.	निवाई	निवाई	6	54	210
3.	पीपलू	पीपलू	5	35	126
4.	उनियारा	उनियारा	5	52	223
5.	देवली	देवली	6	49	186
6.	मालपुरा	मालपुरा	7	59	161
7.	टोडारायसिंह	टोडारायसिंह	5	41	148
;ksx			39	330	1198

¼स्रोत– भू अभिलेख शाखा कलेक्ट्रट½

1-5 ftys esa ekuo lalk/ku dh fLFkfr %&

जिले की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनंसख्या 1211671 है, जिसमें 626436 पुरूष एवं 585235 महिला जनसंख्या है। जिले का स्त्री पुरूष अनुपात 934 है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 975006 थी जिसमें 506928 पुरूष एवं 468078 महिला जनसंख्या थी। जिले का स्त्री पुरूष अनुपात 927 था। इस प्रकार 1991 की तुलना में लिंगानुपात की स्थिति में सुधार हुआ है। तथा 1991–2001 के दशक में जनसंख्या में 24.27 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। जिले में ब्लॉकवार जनसंख्या का विवरण तालिका सं. 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका सं0 1.5

fty: e: tul:[;k dk Cykdokj ,o: ox:okj fooj.k ¼o"k: 2001½

क्र. स.	ब्लॉक	जनसंख्या			महिला	पुरूष	लिंगानुपात	अनु. जाति		अनु.जन जाति	
		ग्रामीण	शहरी	योग				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	टोंक	204362	135689	340051	164037	176014	932	67330	19.80	23273	6.84
2	देवली	169271	20026	189297	90906	98391	924	36197	19.12	37652	19.89
3	उनियारा	132509	10834	143343	68626	74717	918	23691	16.53	36814	25.68
4	निवाई	165298	38042	203340	98609	104731	942	41708	20.51	32245	15.86
5	मालपुरा	176932	27360	204292	99130	105162	943	38624	18.91	6891	3.37
6	टोड़ा	110131	21217	131348	63927	67421	948	25534	19.44	9016	6.86
	योग	**958503**	**253168**	**1211671**	**585235**	**626436**	**934**	**233084**	**19.24**	**145891**	**12.04**

¼स्रोत– सेन्सस 2001½

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले मे अनु.जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 19.24 एवं 12.04 है। ब्लॉक टोंक, निवाई एवं टोडा में अनुसूचित जाति का प्रतिशत जिले के औसत से अधिक है, जबकि ब्लॉक देवली, उनियारा एवं निवाई में अनु. जनजाति का प्रतिशत जिले के औसत से अधिक है। जिले में लिंगानुपात की स्थिति से स्पष्ट होता है कि ब्लॉक टोंक, देवली एवं उनियारा में लिंगानुपात जिले की औसत से भी कम है। जिले की कुल जनसंख्या में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्रमशः 20.90 प्रतिशत एवं 79.10 प्रतिशत है।

इन सूचकों में जिले की राज्य से तुलना करे तो राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17.20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 12.60 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य का लिंगानुपात 921 है। इस प्रकार टोंक जिले में लिंगानुपात की स्थिति राज्य औसत की तुलना में तो अच्छी है लेकिन इसको समान करने के लिए विशेष प्रयासो की आवश्यकता है।

1.6 जिले में विकास साझेदारीयां :–

जिले के विकास में सरकारी प्रयासों के साथ – साथ निजी सहभागिता का भी विशेष सहयोग मिल रहा है। जिलें में कई स्वयं सेवी संस्थाऐ मानव विकास के विषयों यथा – शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आदि पर विशेष कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में विकास की दृष्टि से जिले में लगभग 577 निजी विद्यालय संचालित है, जिनमें जिले के कुल नामांकन का लगभग एक तिहाई बच्चे नामांकित है। इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जिले में लगभग 19 निजी अस्पताल अपनी सेवाएं देकर जिलें की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में मददगार सिद्ध हो रहे है।

जिलें में व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के प्रसार में भी निजी शिक्षण संस्थाओं का योगदान मिल रहा है, जिसमें बी.एड, एस.टी.सी, आई.टी.आई, आदि क्षेत्रों में लगभग 30 संस्थाएं काम कर रही है।

अध्याय–2

जिले में शिक्षा की स्थिति

2.1 जिले की शैक्षिक पृष्ठ भूमि एवं साक्षरता की स्थिति :–

टोंक नवाबों की नगरी रहा है और यहां शैक्षिक संस्थाओं का प्रादुर्भाव नवाब अमीर खान के शासन काल (1817–39) में मक्तबा एवं पाठशाला के रूप में हो चुका था। लेकिन वर्तमान में जिला शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए जिलों की श्रेणी में आता है। यहां वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 51.97 है। इसमें भी महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 32.15 प्रतिशत है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य में जिले का 27 वां स्थान है। जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षैत्रों में भी साक्षरता दर में भिन्नता पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता 68.50 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षैत्रों मे यह 47.51 प्रतिशत है। जिले में अनु. जाति एवं अनु.जनजाति वर्ग में साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 47.10 एवं 41.70 प्रतिशत है जो जिले के औसत से काफी कम है। इन वर्गो में महिला साक्षरता की दर भी बहुत कम है जो अनु.जाति में 25.28 प्रतिशत एवं अनु.जनजाति में मात्र 18.77 प्रतिशत है। साक्षरता की दृष्टि से ब्लॉकवार तुलना करनें पर ब्लॉक उनियारा सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है जिसकी साक्षरता दर 48.00 प्रतिशत है, जबकि निवाई ब्लॉक अग्रणी है जिसकी साक्षरतादर 55.81 प्रतिशत है। ब्लॉक देवली एवं मालपुरा की साक्षरता दर जिले के औसत से भी कम है।

जिलें में संचालित राजकीय विद्यालयों पर जनसंख्या भार की स्थिति के अनुसार प्रति प्राथमिक विद्यालय 1223 जनसंख्या, प्रति उ0प्रा0विद्यालय 1867 जनसंख्या एवं प्रति माध्यमिक/उ0मा0 विद्यालय 4282 जनसंख्या का भार है। जिले में शिक्षक छात्र अनुपात (कक्षा 1 से 8) लगभग 22 का है। जो आदर्श स्थिति है, लेकिन अध्यापकों के असमान वितरण से कई विद्यालयों में अध्यापकों की कमी पाई जाती है। जिले में वर्तमान में लगभग 78 विद्यालयों में केवल एक अध्यापक कार्यरत है।

जिले के नामांकन में छात्र एवं छात्राओं की संख्या में भिन्नता पाई जाती है। छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में सभी स्तरों पर कम है। प्राथमिक स्तर पर यह जेण्डर गेप 10.37, उ0 प्राथमिक स्तर पर 36.88 तथा माध्यमिक स्तर पर 56 पाया जाता है। ब्लॉक उनियारा जेण्डर गेप की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। जबकि ब्लॉक टोंक में यह सबसे कम है।

2.2 जिले मे वर्गवार साक्षरता की स्थिति –

जिलें में वर्गवार साक्षरता में भी भिन्नता पाई जाती हैं। जिसके अनुसार अनु. जाति एवं अनु. जनजाति वर्ग में सामान्य वर्ग की तुलना में साक्षरता दर कम हैं। वर्गवार साक्षरता दर का विवरण तालिका संख्या 2.1 में दर्शाया गया हैं।

तालिका सं. 2.1

जिले में वर्गवार साक्षरता प्रतिशत (2001)

क्र.स.	वर्ग	साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	योग
1.	समस्त जाति	70.52	32.15	51.97
2.	अनुसूचित जाति	67.47	25.28	47.00
3.	अनुसूचित जनजाति	62.60	18.77	42.40
4.	अल्पसंख्यक	56.36	35.87	46.34

¼स्रोत– सेन्सस 2001½

तुलनात्मक विवरण :– जिलें की अन्य जिलों से तुलना करें तो टोंक जिला राज्य में 27 वें स्थान पर है। राज्य में प्रथम स्थान कोटा का है जिसकी साक्षरता दर 74.75 है इसकी तुलना में टोंक की साक्षरता दर लगभग 22 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार राज्य की औसत साक्षरता दर की तुलना में भी जिलें की साक्षरता दर लगभग 8 प्रतिशत कम है। जिले की राज्य एवं देश से तुलनात्मक स्थिति एवं राज्य के अन्य जिलों से तुलनात्मक स्थिति का विवरण तालिका सख्ंया 2.2 एवं ग्राफ में दर्शाया गया है ।

तालिका सं. 2.2

जिलें की राज्य एवं देश से तुलनात्मक स्थिति (2001)

Ø-l-	oxZ	Hkkjr	jkTkLFkku	Vksd
1.	पुरूष	75.30	75.70	70.5
2.	महिला	53.70	43.90	32.15
कुल		64.80	60.40	51.97

(स्रोत – सेन्सस 2001)

टोंक जिलें की राज्य के अन्य जिलों से साक्षरता की तुलनात्मक स्थिति

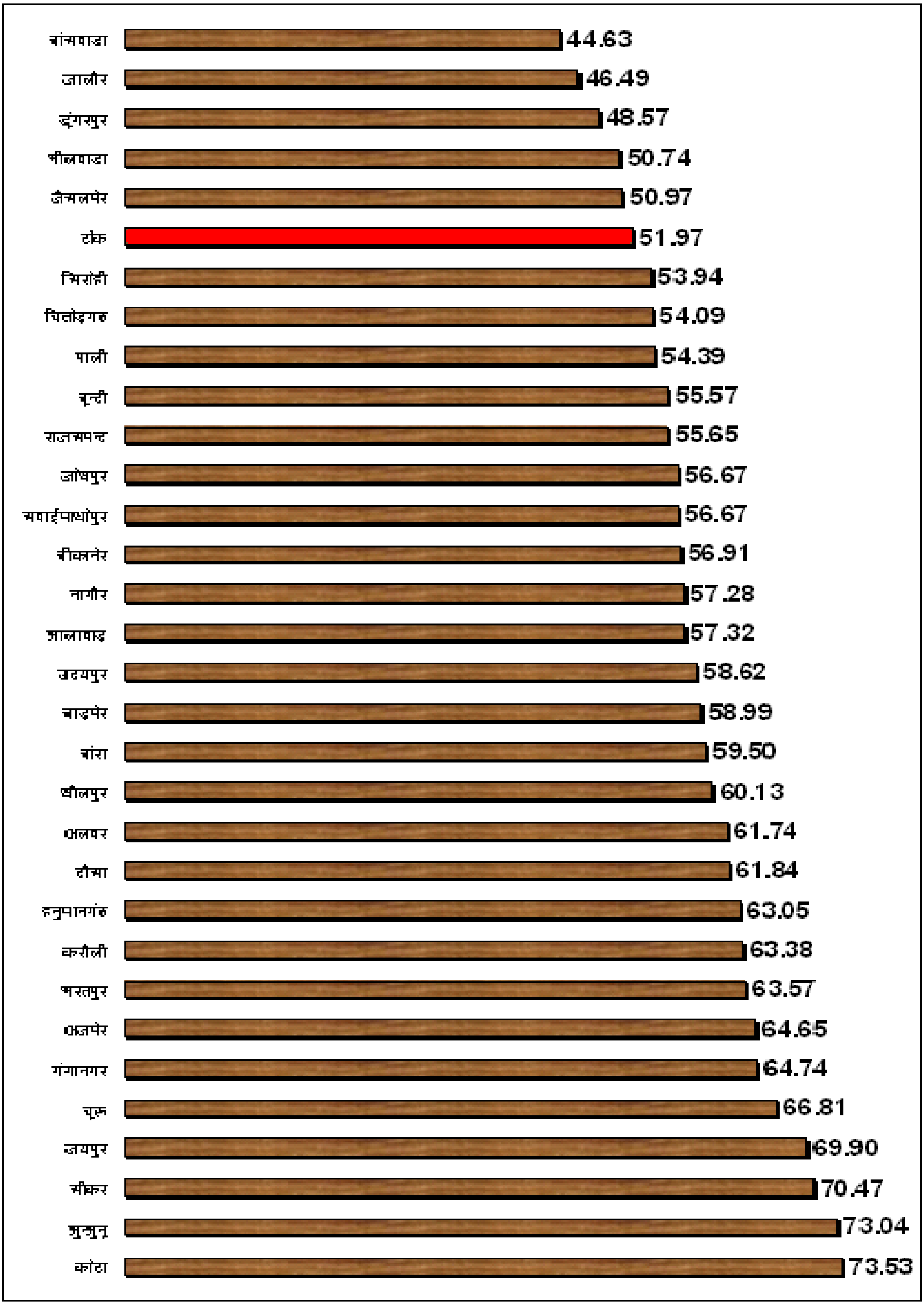

(स्रोत – सेन्सस –2001)

साक्षरता दर

तालिका सं. 2.3

जिलें में साक्षरता की दशकीय वृद्धि दर की स्थिति

क्र. स.	साक्षरता वर्ग	साक्षरता दर 1991	साक्षरता दर 2001	वृद्धि (1991–2001)
1.	कुल साक्षरता दर	33.67	51.97	18.30
2.	साक्षरता दर पुरूष	50.64	70.52	19.88
3.	साक्षरता दर महिला	15.24	32.15	16.91
4.	ग्रामीण पुरूष	45.68	67.90	21.32
5.	ग्रामीण महिला	9.48	25.66	16.18
6.	शहरी पुरूष	70.90	80.32	9.42
7.	शहरी महिला	39.15	56.03	16.88

(स्रोत – सेन्सस –1991–2001)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिलें में 1991–2001 के दशक में साक्षरता दर में अप्रत्याशित वृद्वि हुई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिला साक्षरता की स्थिति से जिला अभी भी बहुत पिछड़ी स्थिति में हैं। महिला साक्षरता को बढावा देने के लिए जिलें में विशेष प्रयासों की आवश्यकता हैं।

2.3 जिलें में ब्लॉकवार एवं ग्रामीण – शहरी साक्षरता की स्थिति :–

जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों एवं विभिन्न उपखण्ड में भी साक्षरता दर में काफी भिन्नता पाई जाती है। जिलें में ब्लॉकवार एवं ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में साक्षरता की स्थिति तालिका सख्या 2.4 एवं 2.5 में दर्शाई गई है।

तालिका सं. 2.4

टोंक जिलें की ब्लॉकवार साक्षरता स्थिति (वर्ष 2001)

ब्लॉक	साक्षरता दर		
	महिला	पुरूष	कुल
मालपुरा	31.11	68.68	50.46
निवाई	37.77	73.63	55.81
टोंक	33.61	70.00	52.44
टोडारायसिंह	35.40	73.55	54.94
देवली	28.57	69.01	49.60
उनियारा	24.94	69.27	48.00
योग	32.15	70.52	51.97

(स्रोत – सेन्सस –2001)

तालिका सं. 2.5

टोंक जिलें की ग्रामीण व शहरी साक्षरता की स्थिति (वर्ष 2001)

क्षैत्र	साक्षरता दर		
	महिला	पुरूष	कुल
ग्रामीण	25.66	67.90	47.52
शहरी	56.03	80.32	68.51

(स्रोत – सेन्सस –2001)

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट हो रहा है कि जिले के ग्रामीण क्षैत्रों में शहरी क्षैत्रों की तुलना में लगभग 21 प्रतिशत साक्षरता की कमी है। इसी प्रकार पुरूष और महिलाओं में तुलना करें तो क्रमशः 12 और 30 प्रतिशत साक्षरता ग्रामीण क्षैत्रों में शहरो की तुलना में कम है। अतः जिलें में शहरी और ग्रामीण क्षैत्रो में साक्षरता की दृष्टि से बहुत बड़ा अन्तर है।
जिले में ब्लॉकवार साक्षरता की स्थिति देखे तो ब्लॉक उनियारा सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जबकि ब्लॉक निवाई साक्षरता के ऊंचे पायदान पर है। महिला साक्षरता की दृष्टि से भी ब्लॉक उनियारा सबसे पीछे है जिसमें महिला साक्षरता मात्र 24.94 प्रतिशत है। ब्लॉक देवली एवं मालपुरा की साक्षरता दर जिले की औसत साक्षरता दर से भी कम है।

2.4 जिले में शैक्षिक संस्थाओ की स्थिति :–

जिले में शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने की दृष्टि से शैक्षिक संस्थाओ का जाल फैला हुआ है। राजकीय संस्थाओ के साथ–साथ निजी शिक्षण संस्थाए भी जिले की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए वृहत स्तर पर कार्यरत है। जिले में शैक्षिक संस्थाओं की स्थिति तालिका सख्ंया 2.6 में दर्शायी गई है –

तालिका सं. 2.6

जिले मे शैक्षिक संस्थाओ का विवरण (वर्ष 2009)

क्र.स.	संस्था	संख्या
1	राप्रावि	897
2	शिक्षाकर्मी	36
3	मदरसा बोर्ड	71
4	राउप्रावि	618
5	संस्कृत राउप्रावि	26
6	कस्तुरबा गॉधी बालिका विद्यालय	5
7	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	162
8	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	116
9	केन्द्रीय विद्यालय	2
10	नवोदय विद्यालय	1
11	स्नातक महाविद्यालय	6
12	स्नातकोतर महाविद्यालय	2
13	आई.टी.आई. संस्थान	13
14	एस.टी.सी. विद्यालय	5
15	बी.एड. महाविद्यालय	14
16	अरबी फारसी शोध संस्थान	1
17	वनस्थली विद्यापीठ वि.वि.	1
18	डाइट	1
19	स्वास्थ्य कल्याण महिला पोलिटेक्निक महाविधालय	1
20	विधि महाविद्यालय	2
21	पोलिटेक्निक महाविद्यालय	2

(स्रोत – सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, टोंक)

2.4.1 जिले में शैक्षिक संस्थाओ का ब्लॉकवार विवरण :–

शिक्षा के स्तर को बढावा देने के लिये प्रत्येक 1 कि.मी. की परिधि मे प्राथमिक विद्यालय एवं 3 कि.मी. की परिधि मे उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान है। वर्तमान मे उपरोक्त मानदण्डानुसार राजकीय विद्यालय संचालित है। ऐसे विद्यालय जिनमे 1 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती है, उनकी ब्लॉकवार स्थिति को तालिका सख्या 2.7 में दर्शाया गया है :–

तालिका सं. 2.7

ftys esa Cykdokj fo|ky;ksa dk fooj.k (वर्ष 2009)

Ø- l-	Cykd	ikfo	,l ds ,l	ckyJfed fo-	;ksx	mikfo	lLdr	dsthchoh	;ksx	ekfo	mekfo	dsUnh; @vU;	;ksx	lo;ksx
1	टोंक	149	7	24	180	176	9	2	187	37	29	2	68	435
2	निवाई	180	16	11	207	117	3	0	120	29	16	1	46	373
3	मालपुरा	141	9	6	156	123	4	1	128	31	20	1	52	336
4	टोडा	107	4	4	115	57	3	1	61	21	16	0	37	213
5	देवली	145	0	7	152	83	3	1	87	26	19	1	46	285
6	उनियारा	175	0	6	181	62	4	0	66	18	16	0	34	281
;ksx		897	36	58	991	618	26	5	649	162	116	5	283	1923

(स्रोत – सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय,टोंक)

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिले में प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की संख्या क्रमशः 991, 649 एवं 283 है। यदि प्रति विद्यालय जनसंख्या का भार देखे तो वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार लगभग 1200 जनसंख्या पर 1 प्रा. वि., लगभग 1900 जनसंख्या पर एक उ. प्रा. वि. एवं लगभग 4300 जनसंख्या पर एक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय है। इस प्रकार संस्थाओं की दृष्टि से जिलें में सामान्य स्थिति है।

2.4.2 जिलें में निजी शैक्षिक संस्थाओं की स्थिति :–

जिले में शिक्षा के सार्वजनिकरण में निजी क्षेत्र के विद्यालयो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में जिलें में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के लगभग 577 विद्यालय संचालित है। नामांकन वृद्वि मे इन विद्यालयो का विशेष योगदान है। जिलें में कक्षा 1–8 के कुल नामांकन में लगभग 33 प्रतिशत नामांकन निजी विद्यालयों में है। जिलें में निजी विद्यालयो की ब्लॉकवार स्थिति तालिका सख्या 2.8 में दर्शाई गयी हैं ।

तालिका सं. 2.8

Cykdokj futh fo|ky;ksa dh la[;k (वर्ष 2009)

Ø-l-	Cykd	ikfo	mikfo	ikfo ds lkFk ek/;fed	mPp ikFkfed ds lkFk mPp ek/;fed	;ksx
1	टोंक	15	118	22	7	162
2	निवाई	15	60	22	0	97
3	मालपुरा	24	58	8	1	91
4	टोडा	19	41	2	1	63
5	देवली	25	51	12	2	90
6	उनियारा	15	51	7	1	74
;ksx %&		113	379	73	12	577

(स्रोत – जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) टोंक)

जिले मे राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के अलावा शिक्षा के विकास हेतु प्रशैक्षिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी क्षैत्र के संस्थान भी संचालित है। जिनकी स्थिति तालिका सख्या 2.9 में दर्शाई गई है ।

तालिका सं. 2.9

ftys esa O;kolkf;d ,oa rduhdh f'k{k.k laLFkkvksa dh la[;k (वर्ष 2009)

Ø- la-	Cykd	ch,M laLFkku	,lVhlh laLFkku	fof/k egkfo|ky;	vkbZVhvkbZ laLFkku	ikWyhVsfDud egkfo/kky;
1	टोंक	8	3	2	5	1
2	निवाई	1	0	0	4	0
3	मालपुरा	2	1	0	1	0
4	टोडा	1	0	0	1	0
5	देवली	2	1	0	1	1
6	उनियारा	0	0	0	1	0
;ksx %&		14	5	2	13	2

(स्रोत – जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) टोंक)

2-5 v/;kidksa dh fLFkfr %&

राजकीय विद्यालयो मे डाइस डाटा 2008–09 के अनुसार 7431 अध्यापक कार्यरत है तथा राजकीय विद्यालयो मे नामांकन 162565 है। इस प्रकार छात्र–शिक्षक अनुपात लगभग 22 है। ब्लॉकवार नामांकन एवं छात्र – शिक्षक अनुपात की स्थिति तालिका संख्या 2.10 पर दर्शायी गई है।

तालिका सं. 2.10

ftys esa Nk= f'k{kd vuqikr ,oa Bgjko dh fLFkfr ¼o"kZ 2009½

क्र.स.	ब्लॉक	शिक्षको की संख्या	नामांकन	छात्र शिक्षक अनुपात
1	टोंक	2030	41275	20.33
2	निवाई	1191	29364	24.65
3	मालपुरा	1371	27511	20.07
4	टोंडारायसिंह	811	16741	20.64
5	देवली	1144	26776	23.41
6	उनियारा	884	20898	23.64
योग		**7431**	**162565**	**21.88**

(स्रोत – जि. शि. अ. (प्रा.शि) टोंक)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले के सभी खण्डो में छात्र – शिक्षक अनुपात 20 से 24 के मध्य है, जो विभागीय मापदण्ड 40 की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन शिक्षको के वास्तविक पदस्थापन की स्थिति में असमानता के कारण ग्रामीण क्षैत्रों के दूरस्थ विद्यालयो में शिक्षको की कमी व शहरी क्षैत्रों व सुगम सड़क मार्गो से जुड़े विद्यालयो में शिक्षकों की अधिकता पाई जाती है। इसका उदाहरण है कि वर्तमान में 78 विद्यालयो में केवल एक अध्यापक कार्यरत है।

2-6 f t y: e: ukekdu dh fLFkfr %&

डाईस डाटा के अनुसार जिले में विगत 5 वर्षो 2004–05 से 2008–09 तक समस्त प्रकार के राजकीय, निजी मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के नामांकन की स्थिति तालिका सख्या 2.11 एवं कक्षा 9 से 12 के नामांकन की स्थिति तालिका सख्या 2.12 में दर्शाई गई है।

तालिका सं. 2.11

f t y: e: d{kk 1 l: 8 rd d: ukekdu dk oxZokj fooj.k

Ok"k	vuq lwfpr tkfr			vuq lwfpr tutkfr			vkchoh			lkekU;			dqy		
	B	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**
2004–05	25950	19444	45394	17238	12632	29870	65024	51689	116713	17311	16477	33788	125523	100242	225765
2005–06	29785	22405	52190	21331	14743	36074	71629	55582	127211	14727	13492	28219	137472	106222	243694
2006–07	29890	23433	53323	21726	15834	37560	69957	56838	126795	16155	15059	31214	137728	111164	248892
2007–08	30109	23981	54090	21695	15623	37318	71970	58755	130725	15573	14523	30096	139347	112882	252229
2008–09	29243	23272	52515	20723	15283	36006	69698	56733	126431	15537	14338	29875	135201	109626	244827

(स्रोत – सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, टोंक)

तालिका सं. 2.12

f t y: e: d{kk 9 l: 12 rd d: ukekdu dk oxZokj fooj.k

Ok"k	vuq lwfpr tkfr			vuq lwfpr tutkfr			vkchlh			lkekU;			dqy		
	B	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**	**B**	**G**	**T**
2004–05	4620	1072	5692	3815	647	4462	11879	3045	14924	5251	3681	8932	25565	8445	34010
2005–06	4532	1194	5726	3701	768	4469	12602	3561	16163	5308	3824	9132	26143	9347	35490
2006–07	5297	1576	6873	4104	978	5082	13608	4426	18034	5687	3932	9619	28696	10912	39608
2007–08	5846	1894	7740	4658	1196	5854	15468	5570	21038	6027	4182	10209	31999	12842	44841
2008–09	6484	2459	8943	5345	1605	6950	16970	6825	23795	5869	4347	10216	34668	15236	49904

(स्रोत – जिला शिक्षा अधिकारी (मा. शि.) टोंक)

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक नामांकन में निरन्तर वृद्वि हुई है। इस वृद्वि को यदि वर्गवार देखा जाये तो कक्षा 1 से 8 तक के कुल नामांकन में लगभग 8.5 प्रतिशत वृद्वि हुई है, जबकि अनु.जाति वर्ग में 15.5 प्रतिशत व अनु. जन जाति वर्ग में लगभग 20.5 प्रतिशत वृद्वि हुई है। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12) में कुल नामांकन में लगभग 46.7 तथा अनु.जाति व जनजाति में क्रमशः 57 एवं 55 प्रतिशत की वृद्वि हुई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनु जाति/जन जाति वर्गो में शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा है।

2-7 ukekdu e: t:.Mj fHkUurk dh fLFkfr %&

जिलें में छात्र – छात्रा के नामांकन में काफी भिन्नता की स्थिति है। ब्लॉकवार नामांकन की स्थिति को तालिका सख्या 2.13 में दर्शाया गया है ।

तालिका सं. 2.13

ftys ds ukekadu esa tsa.Mj xsi dh fLFkfr ¼o"kZ 2008&09½

क्र.स.	ब्लॉक	प्राथमिक कक्षा में नामांकन				उच्च प्राथमिक कक्षा में नामांकन			
		B	G	T	Gender Gap	B	G	T	Gender Gap
1	टोंक	24310	22344	46654	**8.09**	10530	7180	17710	**31.81**
2	निवाई	16236	14210	30446	**12.48**	8578	5183	13761	**39.58**
3	मलपुरा	14218	13139	27357	**7.59**	6898	4559	11457	**33.91**
4	टोंडा	9450	8610	18060	**8.89**	4345	2843	7188	**34.57**
5	देवली	14983	12859	27842	**14.18**	7632	4763	12395	**37.59**
6	उनियारा	12434	10963	23397	**11.83**	5587	2973	8560	**46.79**
योग		**91631**	**82125**	**173756**	**10.37**	**43570**	**27501**	**71071**	**36.88**

(स्रोत – सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, टोंक)

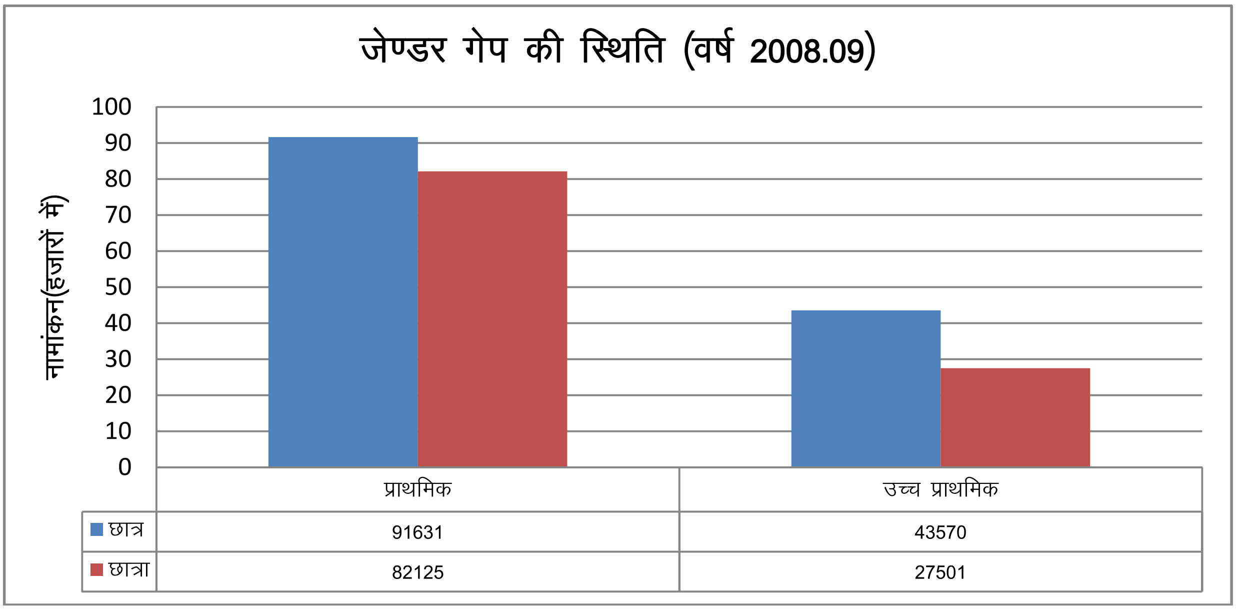

उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जिलें में छात्र–छात्रा के नामांकन में प्राथमिक स्तर से ही जेण्डर भिन्नता है। जहां प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) में यह अन्तर लगभग 10 का है। वही उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) पर बढ़कर लगभग 37 हो जाता है अर्थात प्रति 100 छात्रो की तुलना में उच्च प्राथमिक स्तर पर 63 छात्राएं ही अध्ययन कर पाती है।

नामांकन में जेण्डर भिन्नता की जिलें में ब्लॉकवार समीक्षा से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक गेप ब्लॉक देवली में है जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर यह गेप ब्लॉक उनियारा में सर्वाधिक लगभग 47 का है।

2-8 Mªki vkmV ,o Bgjko dh fLFkfr %&

जिले में गत 5 वर्षो के अन्तर्गत, ठहराव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाने के उपरान्त ड्राप आउट एव ठहराव की स्थिति में निरन्तर सुधार हुआ हैं, लेकिन अभी भी जिलें की ड्राप आऊट रेट लगभग 13 प्रतिशत हैं, जिसको कम करने की आवश्यकता हैं।

गत पांच वर्षो की ड्राप आऊट रेट एवं ठहराव दर की स्थिति तालिका सख्या 2.14 में दर्शाई गई हैं।

तालिका सं. 2.14

ftys esa Mªki vkmV ,oa Bgjko dh fLFkfr

o"kZ	Bgjko	Mªki vkmV
2005–06	81.88	18.12
2006–07	83.52	16.48
2007–08	85.95	14.05
2008–09	86.69	13.31

(स्रोत – सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, टोंक)

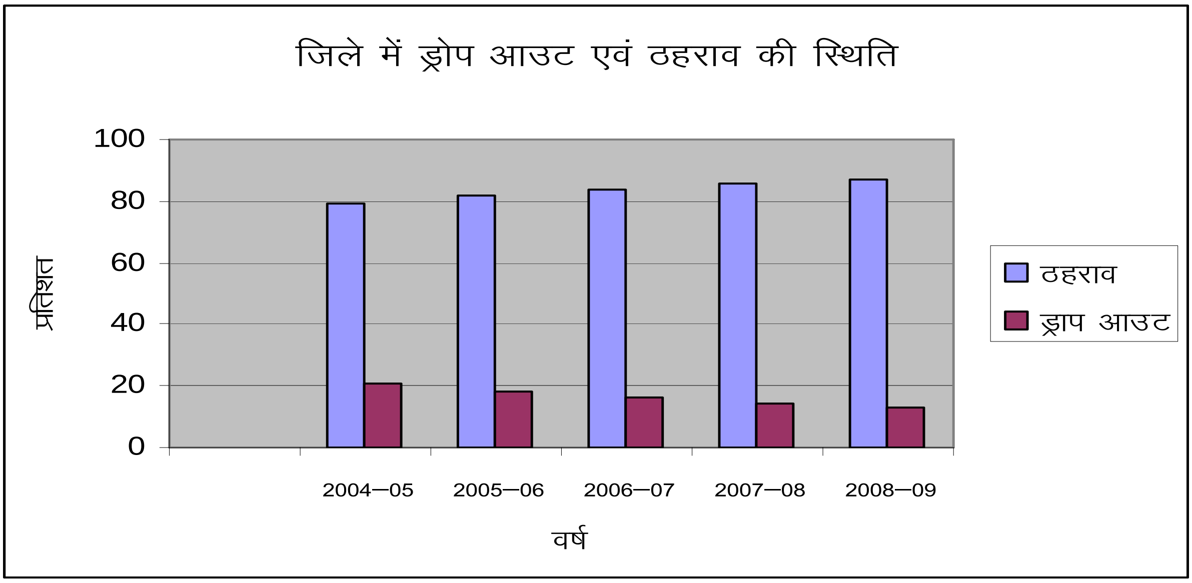

2-9 vkÅV vkQ Ldwy cPpksa dh o"kZokj fiNys ikap o"kksZa dh fLFkfr %&

जिले में शत प्रतिशत नामांकन के पूर्ण प्रयास किये जा रहे है। इन प्रयासो के उपरान्त भी 6–14 आयु वर्ग के बच्चे विद्यालयो में नामांकित होने से शेष रहते है। इनकी गत पांच वर्षो की स्थिति तालिका सख्या 2.15 में दर्शाई गई हैं।

तालिका सं. 2.15

vkmV vkQ Ldwy cPpksa dh la[;k

वर्ष	अनु.जाति			अनु.जनजाति			समस्त जाति		
	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल
2004.05	440	637	1077	296	521	817	1347	2011	3358
2005.06	277	377	654	112	382	494	748	1586	2334
2006.07	214	217	431	198	206	404	755	775	1530
2007.08	151	223	374	96	188	284	669	1177	1846
2008.09	158	185	343	112	127	239	641	814	1455

(स्रोत – सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, टोंक)

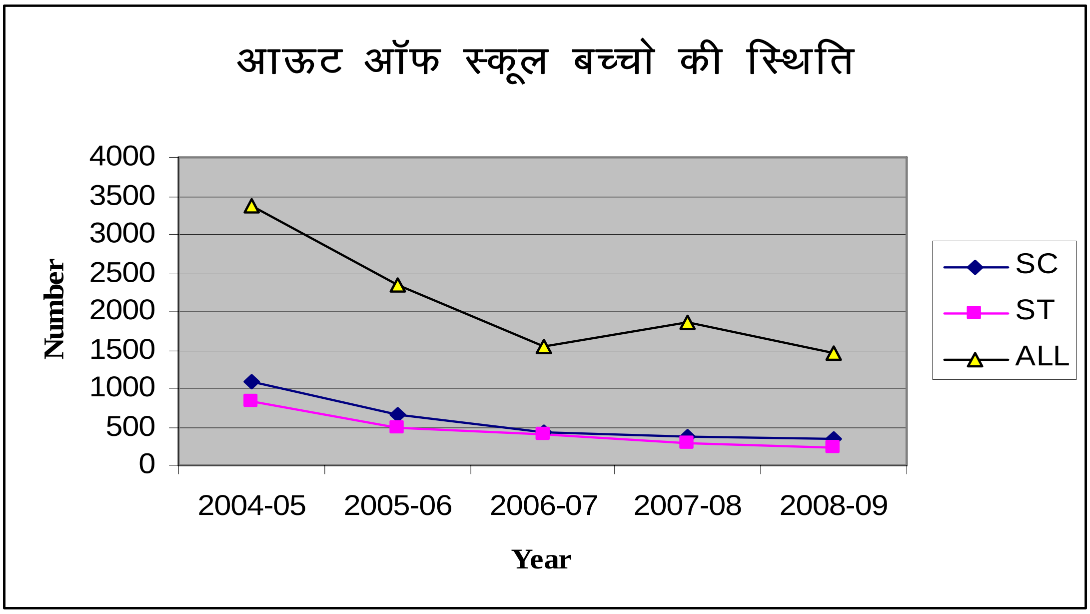

उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चो की संख्या में गत वर्षो में निरन्तर गिरावट आई है। लेकिन शत प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करना अभी भी एक चुनौती पूर्ण कार्य है। ऐसे बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ब्रिजकोर्स, शिक्षा मित्र केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, आदि गतिविधियों के प्रभावी संचालन की आवश्यकता है।

2-10 f'k{kk dk lkoZtfudhdj.k ,oa y{; %&

शिक्षा मे गुणवत्ता एवं उतरोत्तर वृद्वि हेतु कई प्रकार की योजनाएं संचालित है। जिनमे सर्व शिक्षा अभियान सबसे महत्वपूर्ण है। इस अभियान का उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चो का शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव तथा पहुंच सुनिश्चित करना है। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत जिलें में निम्नांकित गतिविधियां संचालित है :–

2-11 loZ f'k{kk vfHk;ku vUrxZr xfrfof/k;k¡ &

2-11-1 fo|ky; ØekUu;u ,oa uohu fo|ky;ksa dh LFkkiuk %& 1 कि.मी. की परिधि मे नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलना तथा 3 किमी की परिधि मे उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नयन करना। इस क्षेत्र मे सर्व शिक्षा अभियान ने सराहनीय कार्य किया है। वैकल्पिक विद्यालयो, रागापा विद्यालयो को भी प्राथमिक विद्यालयो मे परिर्वतित कर दिया गया है। 3 किमी की परिधि के समस्त विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय बन चुके है। समस्त प्राथमिक संस्कृत विद्यालयो को भी उच्च प्राथमिक विद्यालयो मे क्रमोन्नत किया जा चुका है। वर्तमान मे जिले मे एक भी प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नही है। बच्चे की विद्यालय तक पहुंच की समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत 558 (नवीन प्रा.वि. / रा.गा.पा. से परिवर्तित / वैकल्पिक विद्यालय से परिवर्तित) प्राथमिक विद्यालय खुले है तथा 445 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत नये प्रा. वि. एवं उ. प्रा. वि. में क्रमोन्नत विद्यालयों की स्थिति

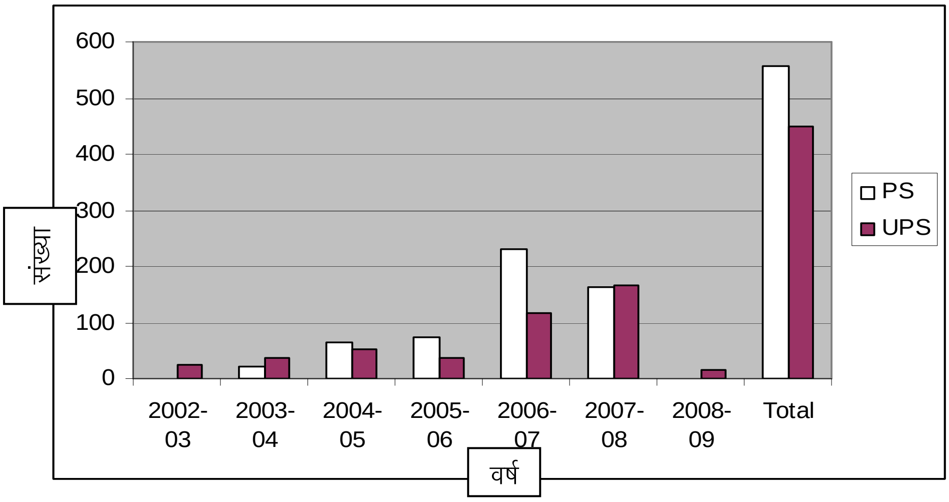

(स्रोत – सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, टोंक)

2-11-2 f'k{kd&osru %&

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा नवीन प्राथि मे दो अध्यापक तृतीय श्रेणी तथा क्रमोन्नत उप्राथि मे दो तृतीय श्रेणी अध्यापकों तथा एक प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाता है। अब तक 558 प्राथि तथा 448 उप्राथि (क्रमोन्नत/परिवर्तित) में पदस्थापित 2760 अध्यापकों को वेतन इस मद से दिया जा रहा है।

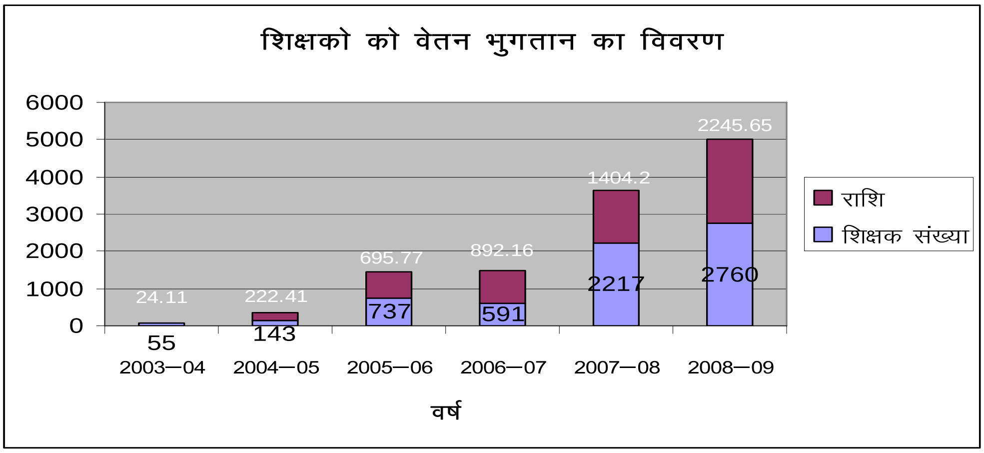

(डाटा स्रोत – सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, टोंक)

2-11-3 f'k{k.k vf/kxe lkexh %&

शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रत्येक राजकीय विद्यालयो मे टीचर ग्रान्ट अन्तर्गत प्रति अध्यापक 500 रूपये टीएलएम निर्माण हेतु दिये जाते है। इससे अध्यापक अपने विषय से सम्बन्धित सहायक सामग्री का निर्माण करता है। वर्ष 2008–09 में 5916 अध्यापक लाभान्वित हुए है।

2.11.4 विद्यालय सुविधा अनुदान :–

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2008–09 मे प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 5000/– रू. तथा उप्रावि को 7000/– रू. दिये गये थे। वर्ष 2009–10 मे कक्षा 1 से 5 वाले प्राथमिक विद्यालयो को 5000/– रूपये तथा कक्षा 1 से 8 वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयो को 12000/– रूपये दिये जाने का प्रावधान है। तथा कक्षा 6 से 8 वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयो को 7000/– रूपये दिये जाने का प्रावधान है। इस मद से विद्यालयो से सम्बन्धित आवश्यकताओ यथा फर्नीचर, दरी–पट्टी, फर्श, रामझारा, बाल्टी, पोषाहार बर्तन, श्यामपट्ट तथा कन्टीजेन्सी के रूप में कागज, चाक, डस्टर, बिजली का बिल आदि कार्य कराये जाते है, जिससे विद्यालय भौतिक रूप से सम्पन्न हो जायें। अध्यापको का ध्यान शैक्षिक गुणवत्ता पर केन्द्रित हो सके। वर्ष 2008–09 में 1034 प्राथमिक विद्यालयों को 5000/– प्रति विद्यालय की दर से तथा 816 उच्च प्राथमिक विद्यलायो को 7000/– रूपये प्रति विद्यालय की दर से दिये गये।

fo|ky; lfo/kkvk dk l'tu grq miyC/k djkbZ xbZ xkUV dk fooj.k &

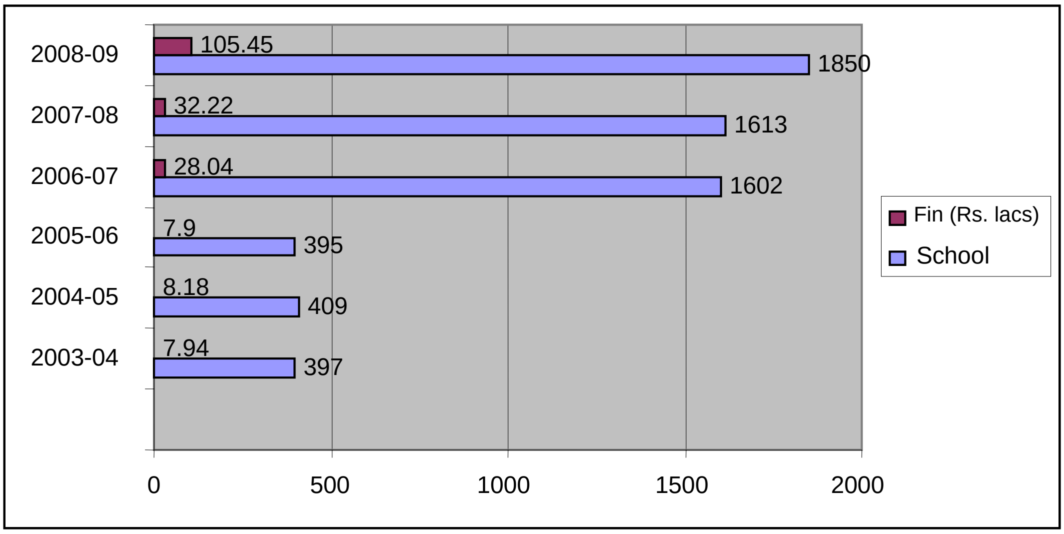

(डाटा स्रोत – सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, टोंक)

2-11-5 ejEer ,oa j[k&j[kko grq vuqnku %&

विद्यालय की छोटी टूट–फूट, रंग–रोगन, विद्यालयो की सूचनाओं के उत्कीडन आदि हेतु, मरम्मत एवं रख–रखाव की राशि प्रदान की जाती है। तीन कक्षा–कक्ष वाले विद्यालयो को 5000 रूपये एवं तीन से अधिक कक्षा–कक्ष वाले विद्यालयो को 10000 रूपये सर्व शिक्षा अभियान द्वारा दिये जाते है। वर्ष 2008–09 में 1206 विद्यालय लाभान्वित हुए है।

fo|ky;k dk ejEer ,oa j[k j[kko gsrq nh xbZ jkf'k dk fooj.k

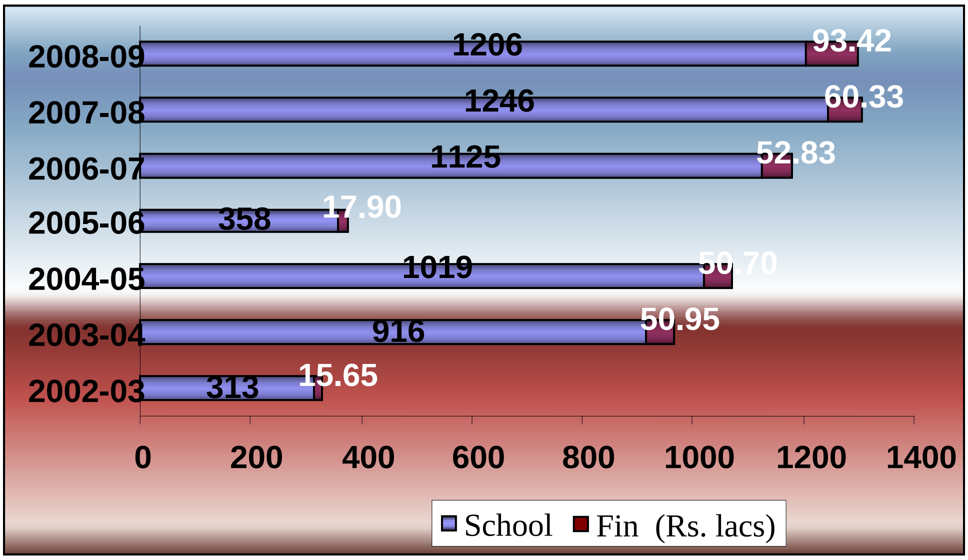

(डाटा स्रोत – सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, टोंक)

2-11-6 fu%'kqYd ikB~;iqLrd :–

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा गुणवत्ता सुधार के लिए कक्षा 6 से 8 तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, एससी/एसटी के छात्रो को उपलब्ध करवाई जाती है। शेष समस्त छात्र–छात्राओ को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा पुस्तके वितरित की जाती है। वर्ष 2008–09 में लाभान्वित 10876 एससी/एसटी के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने पर 14.68 लाख रूपये पाठ्य पुस्तक मण्डल को राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा भुगतान किया गया हैं।

2-11-7 Vh,ybZ :–

नवीन प्राथमिक विद्यालय बनने तथा उनके क्रमोन्नत होने पर टीएलई राशि प्रदान की जाती है ताकि उस विद्यालय में शिक्षण सामग्री, एवं विद्यालय की आवश्यक सामग्री प्राप्त हो सके। विद्यालय आरम्भ से ही अपनी समस्याओं से ना झुझते हुए शिक्षण की ओर ध्यान केन्द्रित कर सके और गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस हेतु प्राथमिक विद्यालयो को 10000 रूपये प्रति विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो को 50000 रूपये दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2008–09 में स्पील ओवर राशि द्वारा 23 प्राथमिक विद्यालयों को 10000/– प्रति विद्यालय की दर से टीएलई क्रय करने हेतु दिये गये तथा 12 उच्च प्राथमिक विद्यलायो को 50000/– रूपये प्रति विद्यालय की दर टीएलई क्रय करने हेतु दिये गये।

2-11-8 vkmV vkWQ Ldwy ds cPpksa dks tksMus ds fy;s dk;Øe %&

इस गतिविधि के अन्तर्गत आउट ऑफ स्कूल के बच्चों के लिये आवासीय एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्स द्वारा बच्चों को शिक्षण प्रदान करना, घरेलू कार्यो से जुडे बच्चों के लिये शिक्षा मित्र केन्द्र द्वारा अध्यापन कराना एवं उन्हे मुख्यधारा से जोडना, वैकल्पिक विद्यालयो

एवं मदरसा विद्यालयो द्वारा बच्चो को शिक्षा प्रदान करवाना, इनके पैराटीचर्स को वेतन देना तथा 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चो को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना आदि कार्य किये जाते है। वर्ष 2008–09 में 7 मदरसा डीपीईपी संचालित है इनमें 200 बालक 164 बालिकाएं कुल 364 बच्चे नामांकित है, तथा 3 शिक्षा मित्र केन्द्रो पर 73 बच्चे लाभान्वित हुए है जिन्हे मुख्य धारा से जोड दिया गया। गैर आवासीय ब्रिज कोर्स के 3 शिविर संचालित कर 74 बच्चो को लाभान्वित किया गया है। उपचारात्मक शिक्षण अन्तर्गत 250 केन्द्रों पर 9086 बच्चे लाभान्वित हुए।

2-11-9 fo'k"k vko';drk okys ckyd&ckfydkvk dh f'k{kk gsrq dk;Øe %&

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जिले मे विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओ के चिन्हीकरण के लिये कार्यशालाओ के माध्यम से निर्देश प्रदान कर चिन्हीकरण का कार्य किया जाता है। तत्पश्चात चिन्हित बच्चो के लिये विशेष चिकित्सको द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण मे चिकित्सक के परामर्शानुसार सहायक अंग उपकरण अलिम्को कानपुर के द्वारा उपलब्ध करवाये जाते हैं। बच्चों के उत्साहवर्द्धन हेतु खेल–कूद प्रतियोगिता आयोजन, इनकी शिक्षा हेतु संदर्भ शिक्षको द्वारा होम बेस्ड एज्यूकेशन प्रदान की जाती है। प्रत्येक ब्लॉक मे संदर्भ कक्ष का निर्माण किया गया है, जिसमे ऐसे बच्चो के लिये उपयोगी सामग्री रखी जाती है, तथा उनका उपयोग किया जाता है। वर्ष 2008–09 में 5450 बच्चे चिन्हित थे जिनके स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त चिकित्सकों द्वारा 96 बच्चों के सहायक अंग उपकरण देने के लिए सुझाव दिये गये थे। जिनमें से समस्त 96 बच्चों को उपकरण उपलब्ध करवा दिये गये है। होम बेस्ड एज्यूकेशन में 40 बच्चे लाभान्वित हुए है। विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का एक विशेष ब्रिज कोर्स आयोजित किया गया जिसमें 30 बच्चे लाभान्वित हुए इस प्रकार समस्त गतिविधियों में 26.75 लाख रूपये व्यय किये गये।

2-11-10 izf'k{k.k :–

शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्धेश्य से समस्त राजकीय विद्यालयो मे कार्यरत अध्यापको को दस दिवसीय प्रशिक्षण देने का वर्ष 2009–10 मे प्रावधान किया गया है। इसमे ग्रीष्मावकाश के दौरान छः दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कार्य दिवसो मे तीन दिवसीय प्रशिक्षण यथा एसडब्ल्यूएसएचई, सीडब्ल्यूएसएन, जेण्डर प्रशिक्षण, लिग्वालेब प्रशिक्षण आदि प्रदान किये जाते है। तथा एक दिवसीय संकुल स्तरीय बैठको का आयोजन भी इसी मद मे सम्मिलित है। वर्ष 2009–10 ग्रीष्मावकाश के दौरान आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों में 3086 प्राथमिक शिक्षकों ने 1237 उच्च प्राथमिक शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। लहर कार्यक्रम अन्तर्गत 252 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रकार कुल 4575 शिक्षक प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए।

, l-, l-,- d: ek/;e l: if'kf{kr f'k{kdk: dh l:[;k ,o: 0;; jkf'k dk fooj.k

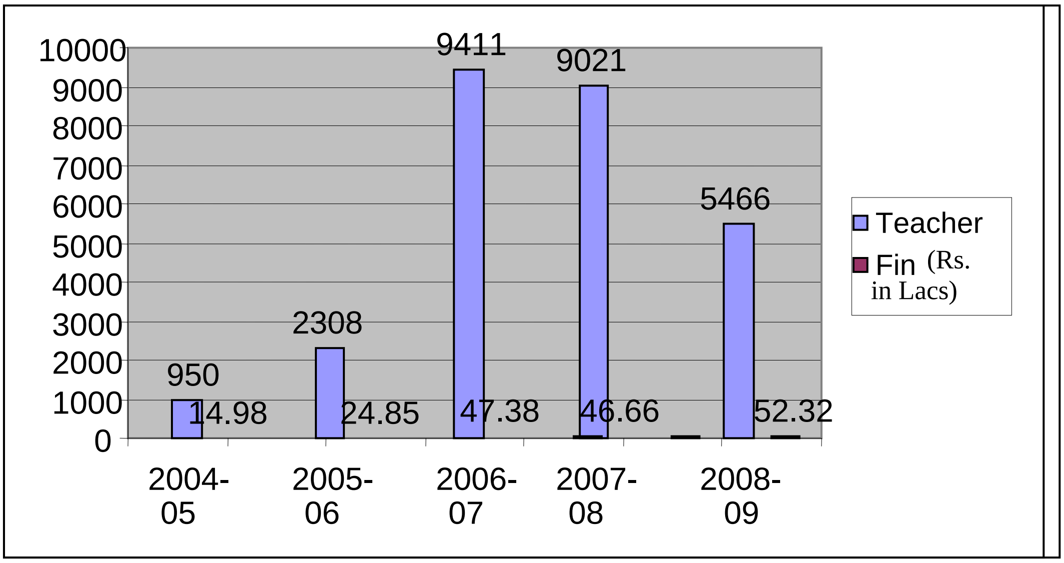

2-11-11 lkeqnkf;d xfr'khyrk :–

सामुदायिक मुखियाओ का वर्ष मे दो बार एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमे एक एसडीएमसी के छः जन प्रतिनिधि प्रशिक्षण प्राप्त करतें है तथा विभिन्न योजनाओ के प्रचार–प्रसार हेतु सामग्री निर्माण, प्रिन्ट मेटिरियल आदि का कार्य इस मद मे होता है। वर्ष 2008–09 में 7545 जन प्रतिनिधियों ने वर्ष में दो बार प्रशिक्षण प्राप्त किया।

2-11-12 'kk/k ,o: eY;kdu :–

जिला स्तर पर एक शोध तथा विद्यालय/संकुल स्तर पर क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य डाइट एवं डर्फ समिति के सहयोग से किया जाता है। विषय का चयन तथा अवलोकन आदि कार्य डाइट स्तर पर किया जाता है। विद्यालयो मे गुणवत्ता एवं सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियो के क्रियान्वयन हेतु मॉनिटरिंग तथा समीक्षात्मक बैठको का आयोजन भी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किया जाता है। वर्ष 2008–09 में जिला स्तरीय एक शोध डाईट के माध्यम से एवं 10 क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय स्तर पर शिक्षकों द्वारा किये गये है।

2-11-13 'kf{kd uokpkj :–

शैक्षिक नवाचार अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मे आंगनबाडी केन्द्रो को सम्बल प्रदान किया जाता है। इसमे आंगनबाडी केन्द्रो मे बच्चो के लिये शिक्षण सहायक सामग्री प्रदान करना, आंगनबाडी केन्द्रो को सुसज्जित करना तथा कार्यकत्ताओ को प्रशिक्षण प्रदान करना। वर्ष 2008–09 में 459 कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिस पर 45900/– रूपये व्यय किये गये।

शैक्षिक नवाचार अन्तर्गत बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिये ब्रिज कोर्स चलाना, बालिकाओ को टीएलएम राशि/सामग्री प्रदान करना, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना आदि

कार्य किये जाते है। वर्ष 2008–09 में 956 आंगनबाडी केन्द्रो को 1074/– रूपये प्रति केन्द्र की दर से कुल 10.26 लाख रूपये उपलब्ध करवाये गये।

शैक्षिक नवाचार अन्तर्गत अनुसूचित जाति–जनजाति एवं अल्पसंख्यक बच्चो को सम्बल प्रदान करने हेतु ब्रिज कोर्स चलाना, बालिकाओ को टीएलएम राशि/सामग्री प्रदान करना, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना आदि कार्य किये जाते है। वर्ष 2008–09 में 25008 बच्चों पर टीएलएम हेतु 12.50 लाख रूपये व्यय किये गये। तथा 439 अल्प संख्यक बच्चों पर 2.19 लाख रूपये व्यय किये गयें।

शैक्षिक नवाचार अन्तर्गत कम्प्यूटर एडेड लर्निग प्रोग्राम (कल्प) संचालित है। जिसमे विद्यालयो को कम्प्यूटर, यूपीएस, जनरेटर आदि प्रदान किये जाते है। तथा कम्प्यूटर वाले विद्यालय के शिक्षको को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा बच्चो को कम्प्यूटर सिखाया जाता है। वर्ष 2008–09 में कम्प्यूटर क्रय करने, मेन्टेनेन्स एवं प्रशिक्षण पर 1.92 लाख रूपये व्यय किये गये।

2-11-14 [k.M@ladqy lanHkZ dsUnz :–

सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियो को चलाने के लिये ब्लॉक स्तर पर खण्ड संदर्भ केन्द्र की स्थापना कर भवन का निर्माण किया गया है। जिसमे बीआरसीएफ, आरपी, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ अभियन्ता एंव मंत्रालिक कर्मचारी को लगाया गया है। बीआरसीएफ के सहयोग के लिये 98 संकुल संदर्भ केन्द्र एवं संकुल प्रभारी है, जिनके माध्यम से विद्यालयो मे समस्त गतिविधियो का संचालन होता है। खण्ड संदर्भ केन्द्र एवं संकुल संदर्भ केन्द्रों पर फर्नीचर ग्रान्ट, टी.ए. एवं टी.एल.एम. ग्रांट भी दी जाती है।

2-11-15 fuekZ.k dk;Z :–

सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत कुल बजट प्रावधान का 30 प्रतिशत तक निर्माण कार्यो पर व्यय किया जाता है। जिसमें विद्यालयों की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, शौचालय–मूत्रालय, पेयजल, किचनशेड, चारदीवारी, प्रधानाध्यापक भवन निर्माण आदि कार्य किये जाते है तथा विद्यालयों को फर्नीचर क्रय करने हेतु उप्रावि में अध्ययनरत छात्रों के लिए 500/– रूपयें प्रति छात्र की दर से राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2008–09 में 243 अति. कक्षा कक्ष, 8 शौचालय, 12 हैण्डपम्प, 63 बाउन्ड्रीवाल, 26 प्रधानाध्यापक कक्ष, 129 विद्युत कनेक्शन, 8209 बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर क्रय करने तथा 41 विद्यालयों में मेजर रिपेयर करवाने पर कुल 631.02 लाख रूपये व्यय किये गये।

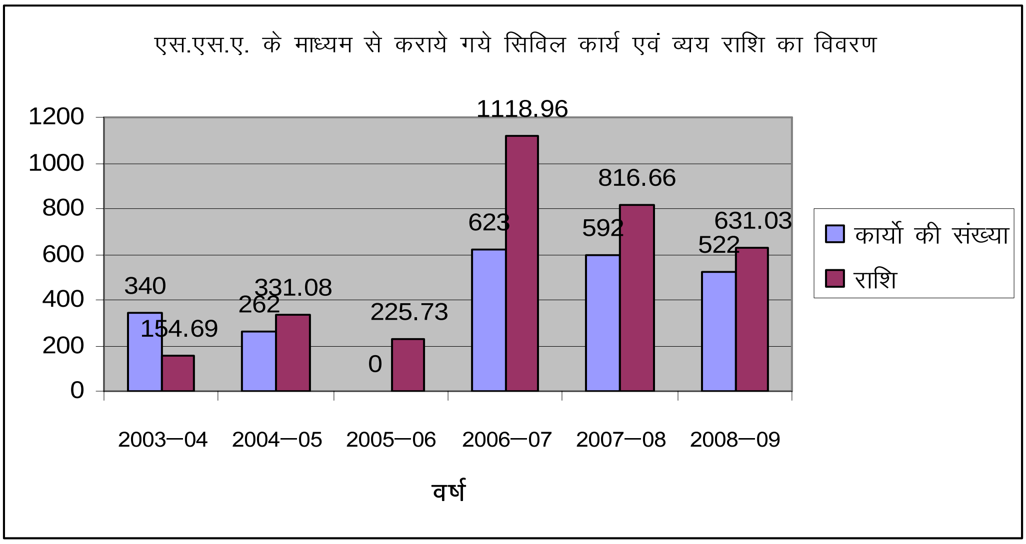

(डाटा स्रोत – एस.एस.ए. कार्यालय, टोंक)

2-12 vf/kxe vfHkof) dk;Øe %&

2-12-1 ygj dk;Øe %&

अधिगम अभिवृद्धि कार्यक्रम गतिविधि आधारित कार्यक्रम (लहर) वर्ष 2008–09 से संचालित है जिसमें ब्लॉक मालपुरा के 23 विद्यालय तथा निवाई के 27 विद्यालय कुल 50 विद्यालयों को पाइलेट बेस पर कक्षा 1 व 2 के बच्चों को शिक्षण अधिगम सामग्री, गतिविधियों के द्वारा शिक्षण दिया जाकर उन्हे उनके स्तर के अनुरूप तैयार करना है ताकि भाषा एवं गणित में बच्चा परिपक्व हो सके। वर्ष 2009–10 में 140 विद्यालयो में यह कार्यक्रम संचालित किया गया है।

2-12-2 yfuZx xkjUVh Ldwy dk;Øe %&

राज्य सरकार एवं अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन के समन्वयन से सितम्बर 2005 में अनुबन्ध होने पर यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों की सहमति द्वारा 699 विद्यालयों में आरम्भ किया गया। वर्ष 2006–07 में बेस लाईन सर्वे किया गया उसके पश्चात 2007–08 में संबल प्रदान करते हुए मूल्यांकन कार्य किया गया जिसमें टोंक जिले के 12 विद्यालयों ने स्वर्ण, रजत एवं कास्य पदक प्राप्त किये इस कार्यक्रम अन्तर्गत योग्यताधारी वे विद्यालय होते है, जिनका शत् प्रतिशत नामांकन एवं 90 प्रतिशत ठहराव हो। ऐसे विद्यालय जिन्होने 80 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 80 प्रतिशत दक्षता प्राप्त की उन्हे ए ग्रेड (स्वर्ण) पदक तथा 70 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 80 प्रतिशत दक्षता प्राप्त करने वाले विद्यालयों को बी ग्रेड (रजत) तथा 60 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 80 प्रतिशत दक्षता प्राप्त करने वाले विद्यालयों को सी ग्रेड (कांस्य) पदक प्राप्त हुए इस प्रकार जिले में चार स्वर्ण, तीन रजत तथा 5 विद्यालयों ने कास्य पदक प्राप्त किये तथा 200 विद्यालयों ने सान्त्वना पुरूस्कार प्राप्त किया। ये वे विद्यालय है जिन्होने बेस लाईन से 20 प्रतिशत से अधिक दक्षता अर्जित की। वर्ष 2009–10 में भी यह कार्यक्रम फीडबेक प्रदान करने के लिए संचालित है।

2-12-3 DokfyVh ,';kjUl dk;Øe %&

वर्ष 2006–07 से मूल्यांकन के क्षेत्र में क्वालिटी एश्योरेन्श कार्यक्रम लागू किया गया जिसमें कक्षा 4, 6 व 7 मे अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समस्त राजकीय विद्यालयों में मूल्यांकन का कार्य किया गया। मूल्यांकन के उपरान्त प्राप्त कठिन बिन्दुओं पर संबल प्रदान करने बाबत प्रशिक्षण प्रदान किये गये तथा सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई गई।

तालिका सं. 2.16

ftys esa fo|ky;ksa }kjk izkIr fd;s x;s miyfC/k Lrj dk fooj.k

o"kZ	d{kk	miyfC/k Lrj	xzsM	Ok"kZ	d{kk	miyfC/k Lrj	xzsM	o"kZ	d{kk	miyfC/k Lrj	xzsM
2006–07	4	53.25	सी	2007–08	4	53.45	सी	2008–09	4	65.89	बी
	6	–	–		6	–	–		6	54.90	सी–1
	7	45.22	डी		7	44.70	डी		7	59.30	सी–1

2-12-4 xq.koRrk izcks/ku i= %&

गुणवत्ता निर्धारण हेतु गुणवत्ता निर्धारण हेतु वर्ष में दो बार गुणवत्ता प्रबोधन प्रपत्र की पूर्ति तथा कक्षावलोकन कराया जाता । जिसके पणाम एवं विशलेषण के उपरान्त जिला स्तरीय गुणवत्ता प्रबोधन प्रपत्र डाईट एवं परियोजना के समन्वय ये तैयार एसआईईआरटी उदयपुर एवं राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद को भिजवाया जाता है। इसके परिणाम व विश्लेषण के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती है

सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत कुल बजट प्रावधान का 2 प्रतिशत तक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु व्यय किया जाता है जिसमें क्वालिटी ऐश्योरन्स कार्यक्रम, गुणवत्ता आयाम प्रबोधन कार्यक्रम, लहर कार्यक्रम, रेडियो संवाद कार्यक्रम आदि गतिविधियां संचालित होती है। कक्षा 4, 6, 7 का मूल्यांकन कार्य क्वालिटी ऐश्योरन्स अन्तर्गत किया जाता है। कक्षा 1 व 2 के बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान करने के लिए इस मद मेलहर कार्यक्रम 140 विद्यालयों में चलाया जा रहा है। ताकि बच्चा प्रारम्भिक स्तर पर शैक्षिक रूप से समृ(हो सके।

2-12-5 dLrwjck xka/kh ckfydk vkoklh; fo|ky; %

बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए जिले में 7 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है, जिनमें 5 मॉडल प्रथम तथा 2 मॉडल तृतीय के है। मॉडल प्रथम में उसी विद्यालय में अध्यापन एवं आवास दोनो व्यवस्थाएं होती है। इन विद्यालयों में 100 बालिकाओं की शिक्षण एवं आवास दोनो व्यवस्थाएं होती है। इन विद्यालयों में 100 बालिकाओं की शिक्षण एवं आवास दोनो व्यवस्थाएं होती है। इन विद्यालयों में 50 बालिकाओं के आवास की सुविधा है। जिले की समस्त 7 तहसीलों में 1–1 केजीबीवी विद्यालय है। इन विद्यालयों ड्रापआउट एवं अनामांकित बालिकाएं एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की सुविधा उपलब्ध ना होने वाले ग्राम की बालिकाएं ही प्रवेश ले सकती है। वर्ष 2008–09 में 7 कस्तूरबा गांधी

बालिका आवासीय विद्यालयों में 395 बालिकाएं नामांकित थी। 8 वी बोर्ड में 65 बालिकाएं प्रविष्ठ हुई जिनमें से 53 बालिकाएं उर्तीण हुई।

2-12-6 ,uihbZthbZ,y%

बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए एनपीईजीईएल कार्यक्रम समस्त ब्लॉक में संचालित है। इस कार्यक्रमान्तर्गत बालिकाओं को उपचारात्मक शिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, मॉडल कलस्टर कक्ष निर्माण, टीएलएम प्रदान करना, बालिकाओं को साईकिले प्रदान करना, अध्यापको एवं बच्चो को अवार्ड प्रदान करना, सिलाई मशीने उपलब्ध करवाना इत्यादि कार्य कराये जाते है। इसके अतिरिक्त ऐसी बालिकाएं जिन्होने पढाई छोड़ दी है उन्हे कक्षा 8 वीं बोर्ड की परीक्षा ओपन स्कूल के माध्यम से प्रदान करना। वर्ष 2008 – 09 में 140 मॉडल कलस्टरो पर 3–3 साईकिले , 5 सिलाई मशीने, प्रति मॉडल कलस्टर एक अध्यापक को अवार्ड दिया गया। इस प्रकार कुल 66.55 लाख रूपये व्यय किये गये।

2-13 ckfydk f'k{kk%

जिले में शिक्षा के क्षेत्र में जेण्डर गेप को कम करने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे है, जो निम्नानुसार है

2-13-1 l= 2008 & 09 esa ckfydk f'k{kk vUrxZr fd;s x;s dk;ksZ dh laf{kIr fjiksVZ %

- 536 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 500/– रूपये प्रति विद्यालय की दर से एसडीएमसी को मीना मंच के गठन हेतु कुल राशि दो लाख अड़सठ हजार रूपये उपलब्ध करवाये गये जिससे मीना मंच का गठन किया जाकर त्रेमासिक बैठके आयोजित की गई जिसमें बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कार्य–योजना तैयार कर उपलब्धि अर्जित की गई ।
- ड्राप–आउट बालिकाओं के लिए उनियारा ब्लॉक में दो गैर आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित किये गये। इनमें 42 बालिकाएं लाभान्वित हुई ।
- शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किये गये ।
- व्यवसायिक प्रशिक्षण कराये गये जिनमे सिलाई, बुनाई के प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी प्रदान किये गये। जिस पर 30,000/– रूपये व्यय किये गये ।
- बालिकाओं को टीएलएम प्रदान करने पर एसडीएमसी के खाते मे बालिकाओं की आवश्यकता अनुरूप शिक्षण सामग्री क्रय करने के लिये 12.20 लाख रूपये व्यय किये गये।
- ब्लॉक के श्रेष्ठतम अंक लाने वाली प्रत्येक कक्षा की तीन बालिकाओं को भी पुरूस्कृत किया जाता है।
- बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु साहित्यिक, सांस्कृतिक खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।
- बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए एनपीईजीईएल कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त समस्त गतिविधियां एवं लाभ दिये जाते है, जिसके लिए 140 माडॅल कलस्टर स्थापित किये गये है। इन मॉडल कलस्टरो के द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

➢ ड्राप आउट, अनामांकित एवं ऐसे क्षेत्र जहां उ.प्रा.स्तर की शिक्षण व्यवस्था नही है, ऐसी बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए कस्तुरबा गांधी विद्यालय खोले गये है। जिले में 7 विद्यालय वर्तमान में संचालित है, जिनका विवरण निम्नानुसार है –

➢

तालिका सं. 2.17

<u>ftys esa lapkfyr dLrwjck xka/kh ckfydk fo|ky;ksa dk fooj.k</u>

Ø- l-	Cykd dk uke	dLrwjck xka/kh ckfydk fo|ky; uke e.My lfgr	izkjEHk fnukd	Hkou 0;oLFkk	ukekadu					
					SC	ST	OBC	Mino.	BPL	;ksx
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Vksd	dLrwjck Vksd ¼e.My&1½	15/08/2007	सरकारी भवन	27	36	24	2	2	91
2	Vksd	dLrwjck ihiyw Vksd ¼e.My&1½	08/08/2008	पूर्व निर्मित विद्यालय छात्रावास मे	15	7	20	9	2	53
3	nsoyh	dLrwjck vkok ¼nsoyh½ ¼e.My&1½	02/02/2006	सरकारी भवन	7	49	35	0	0	91
4	ekyiqjk	dLrwjck ekyiqjk ¼e.My&1½	05/09/2007	सरकारी भवन	5	10	16	0	1	32
5	VksMk	dLrwjck VksMkjk;flag ¼e.My&3½	28/02/2008	किराये	9	1	25	0	0	35
6	mfu;kjk	dLrwjck vyhx<+ ¼e.My&3½	03/07/2006	सरकारी भवन	4	31	11	0	1	47
7	fuokbZ	dLrwjck fljksgh ¼fuokbZ½ ¼e.My&3½	04/12/2007	सरकारी भवन	7	21	13	0	7	48
;ksx					74	155	144	11	13	397

(स्रोत – सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, टोंक)

2.14 माध्यमिक शिक्षा में नामांकन की स्थिति –

जिलें में माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 283 राजकीय एवं 85 निजी विद्यालय संचालित है। जिनमें वर्ष 2008–09 में 49,904 विद्यार्थी नामांकित है। गत 5 वर्षो में माध्यमिक कक्षाओं के नामांकन की स्थिति को तालिका संख्या 2.18 में दर्शाया गया है –

तालिका सं. 2.18

कक्षा 9 से 12 टोंक जिले में नामांकन राजकीय व निजी विद्यालय एवं छात्र शिक्षक अनुपात

वर्ष	नामांकन									शिक्षक संख्या			छात्र शिक्षक अनुपात
	ग्रामीण			शहरी			योग			राजकीय	निजी	योग	
	B	G	T	B	G	T	B	G	T				
2004-05	19716	6084	25800	5849	2361	8210	25565	8445	34010	1245	1039	2284	15:1
2005-06	18242	6366	24608	7901	2981	10882	26143	9347	35490	1298	1253	2551	14:1
2006-07	19000	7396	26396	9696	3516	13212	28696	10912	39608	1373	1507	2880	14:1
2007-08	20215	8624	28839	11784	4218	16002	31999	12842	44841	1328	1823	3151	14:1
2008-09	20461	10011	30472	14207	5225	19432	34668	15236	49904	1648	2057	3705	14:1

(स्रोत – जि.शि.अ. (मा.) कार्यालय, टोंक)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले मे माध्यमिक कक्षाओं के कुल नामांकन में लगभग 39 प्रतिशत छात्र–छात्राएं निजी विद्यालयो में अध्ययनरत है। इस प्रकार निजी विद्यालयों का शिक्षा के प्रसार में बहुत बडा योगदान है। माध्यमिक स्तर पर नामांकन में जेण्डर गेप की स्थिति बहुत ही विपरीत है, जिले में 100 छात्रों की तुलना में मात्र 44 छात्राएं अध्ययनरत है। जिलें में छात्र शिक्षक अनुपात की बहुत ही आदर्श स्थिति नजर आती है। लेकिन विद्यालयों में विषय अध्यापकों की कमी एवं पदस्थापन में शिक्षको का असमान वितरण होने से दूरस्थ विद्यालयो में यह आदर्श स्थिति नही पाई जाती है। जिलें में व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों, एवं अन्य अध्यापकों के पद बडी संख्या में रिक्त है, जिसके कारण भी राजकीय विद्यालयों मे नामांकन में कमी आई है। वर्तमान में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षण कार्य से सम्बन्धित रिक्त पदो की स्थिति तालिका सख्या 2.19 में दर्शाई गई है।

तालिका सं. 2.19

माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदो की स्थिति (वर्ष 2009)

क्र.स.	पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	प्रधानाचार्य एवं समकक्ष	76	27
2	प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष	158	110
3	व्याख्याता एवं समकक्ष	445	205
4	वरिष्ठ अध्यापक	881	257
5	अध्यापक – III	247	84
योग		**1807**	**683**

(स्रोत – जि.शि.अ. (मा.) कार्यालय, टोंक)

2-15 jk"Vªh; lk{kjrk fe'ku ½&

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अन्तर्गत सर्वप्रथम Vh,ylh (Total Literacy Campaign) कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। इस कार्यक्रम की स्वीकृति एवं शुरूआत सितम्बर 1993 में हुई तथा सितम्बर 1995 में यह कार्यक्रम समाप्त हो गया। इस कार्यक्रम में कुल राशि 194.93 लाख स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 137.25 लाख राशि प्राप्त हुई तथा इस मद में 122.82 लाख रूपये खर्च किये गये। टीएलसी अन्तर्गत 111000 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

ih,ylh (Post Literacy Compaign) इस कार्यक्रम की स्वीकृति जनवरी 1996 में तथा फरवरी 1996 में यह कार्यक्रम आरंभ हुआ। फरवरी 1998 में यह कार्यक्रम समाप्त हो गया। इस कार्यक्रम में कुल राशि 200.00 लाख स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 108.99 लाख राशि प्राप्त हुई तथा इस मद में 107.98 लाख रूपये खर्च किये गये। पीएलसी अन्तर्गत 123000 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

2-16 lrr~ f'k{kk dk;Øe %&

यह कार्यक्रम 8 सितम्बर 2007 से 30 सितम्बर 2009 तक अनवरत रूप से साक्षरता हेतु चलाया गया। इसमें समस्त 231 ग्राम पंचायतों पर प्रेरक नियुक्त किये गये। एक ग्राम पंचायत में 2–3 सतत् शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये। प्रेरकों को प्रतिमाह 750/– रूपये मानदेय के रूप में प्रदान किये गये 8–10 सतत् शिक्षा केन्द्रों पर एक नोडल प्रेरक मॉनिटरींग हेतु लगाया गया। ये नोडल प्रेरक स्वयं के सतत् शिक्षा केन्द्र चलाने के साथ साथ मॉनिटरिग का कार्य भी करते है, इनको मानदेय के रूप में 1250/– रूपये दिये गये। तथा ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु एक–एक अति. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी भी नियुक्त किये हुए है। वर्ष 2000 में 81 नोडल प्रेरक तथा 569 प्रेरक थे। वर्ष 2009 में 51 नोडल प्रेरक तथा 495 प्रेरक है।

इसके अन्तर्गत महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं असाक्षर महिला शिक्षण शिविर आयोजित किये गये हैं, अब तक 750 असाक्षर महिला शिक्षण शिविर लगाये जा चुके है।

सतत् शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ 8 सितम्बर 2000 को हुआ। 30 सितम्बर 2009 में यह कार्यक्रम समाप्त हो गया। इस कार्यक्रम में कुल राशि 257.27 लाख स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 257.27 लाख राशि प्राप्त हुई तथा इस मद में 250.80 लाख रूपये खर्च किये गये। सीएलसी अन्तर्गत 71486 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

2-17 lerY; ijh{kk (Open School System) %&

यह कार्यक्रम एनएलएम नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ किया गया इस कार्यक्रम अन्तर्गत ए स्तर प्राप्त करने वाले साक्षर व्यक्ति कक्षा 3 के समकक्ष तथा बी स्तर प्राप्त करने वाले व्यक्ति कक्षा 5 के समकक्ष माने जाते है, अब तक ए स्तर पर 2150 तथा बी स्तर पर 1175 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

2-18 ihvkjvkbZ %&

जिले में यह कार्यक्रम साक्षरता अभियान अन्तर्गत शेष रहे निरक्षरों को साक्षर करने के लिए वर्ष 2004–05 में आरंभ किया गया और द्वितीय चरण 1 अप्रेल 2006 से 31 मार्च 2008 तक चलाकर जिले की शेष महिलाओं को साक्षर किया गया इसके लिए माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 व 11 के बालक बालिकाओं को निरक्षरों को पढ़ाने का लक्ष्य दिया गया। एक बच्चे ने 3 से 5 महिला निरक्षरों को साक्षर करने का कार्य किया है। इसमे 27290 महिलाएं लाभान्वित हुई तथा 10.88 लाख रूपये इस कार्य में व्यय किये गये। जिलें में संचालित साक्षरता अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति तालिका सख्या 2.19 में दर्शाई गई हैं।

तालिका सं. 2.20

lk{kjrk dk;ZØe ,d nf"V esa ¼30 twu 2009 rd dh fLFkfr½

vk;ke	Lohd`fr o"kZ	ikjEHk djus dh frfFk	lekfIr o"kZ	Lohd`r jkf'k	izkIr jkf'k	O;; jkf'k	ykHkkfUor la[;k
टीएलसी	1993	1993	1995	19493500	13725000	12281796	111000
पीएलसी	जन.–1996	फर.–1996	फर.–1998	20000000	10899000	10797566	123000
सतत शिक्षा	दिस.–1999	सित.–2000	सित.–2009	25726681	25726651	25080223	71486
पीआरआई	2003	मार्च–2003	मार्च–2008	1834607	1834607	1088143	27290
ओपन	2004	2004	लगातार	–	–	–	3325

(स्रोत – जिला सतत शिक्षा एवं साक्षरता अधिकारी कार्यालय, टोंक)

2.19 मिड डे मील कार्यक्रम :–

विद्यालयों में नामांकन दर में वृद्वि एवं ठहराव को सुनिश्चित करने के उद्वेश्य से केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा मिड–डे–मील कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विधार्थियों को विद्यायल में दोपहर का भोजन दिया जाता है। कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के उपरान्त विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन एवं ठहराव की स्थिति में सुधार हुआ है। जिलें में वर्ष 2009–10 के लिए शैक्षिक सत्र में कुल 2417

विद्यालयों में मिड–डे–मील उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इन विद्यालयों में नामांकित 1,59,868 विधार्थी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे है। इस कार्यक्रम में लाभान्वित विद्यालयों एवं विद्यार्थियों का ब्लॉकवार विवरण तालिका सख्या 2.21 में दर्शाया गया हैं।

तालिका सं. 2.21

मिड डे मील योजना में लाभान्वित विद्यालयों एवं विद्यार्थियों का ब्लॉकवार विवरण (वर्ष 2009)

क्र. स.	ब्लॉक	विद्यालयों की संख्या (प्रा. स्तर कक्षा 1–5)	विद्यालयों की संख्या (उ.प्रा. स्तर कक्षा 6–8)	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा 1–5)	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा 6–8)
1	टोंक	377	237	34756	11172
2	देवली	244	122	17299	7230
3	टोडारायसिंह	113	88	12076	4835
4	मालपुरा	299	169	17756	7497
5	निवाई	335	157	18990	8194
6	उनियारा	186	90	15736	4327
योग		**1554**	**863**	**116613**	**43255**

(स्रोत – जिला परिषद कार्यालय, टोक)

कार्यक्रम को प्रभावी ढगं से लागू करने के उद्वेश्य से इन सभी विद्यालयों में खाना खाने के लिए बर्तन उपलब्ध कराये गये है तथा भोजन पकाने के लिए अलग से रसोई घरो का निर्माण एस.एस.ए., राज्य वित आयोग, टी.एफ.सी. आदि योजनाओ से कराया जा रहा है। वर्ष 2009 तक कुल 1382 विद्यालयों में रसोईघर निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है जिनमे से 1227 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत एवं पूर्ण हुए कार्यो का ब्लॉकवार विवरण तालिका सख्या 2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 2.22

जिले के विद्यालयो मे रसोई घर निर्माण की स्थिति (वर्ष 2009)

क्र. स.	ब्लॉक	स्वीकृत रसोई घर (कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों में)	पूर्ण हुए रसोई घर कार्य (कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों में)	स्वीकृत रसोई घर कार्य (कक्षा 6 से 8 के विद्यालयों में)	पूर्ण कार्य (कक्षा 6 से 8 के विद्यालयों में)
1	टोंक	235	219	65	54
2	देवली	174	151	62	54
3	टोडारायसिंह	113	78	38	38
4	मालपुरा	154	152	96	90
5	निवाई	182	177	81	57
6	उनियारा	145	120	37	37
योग		**1003**	**897**	**379**	**330**

(स्रोत – जिला परिषद कार्यालय, टोक)

2.20 सारांश :–

जिलें में शिक्षा के उक्त परिदृश्य से स्पष्ट होता है कि टोंक जिला शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ जिला है। यहां की साक्षरता दर राज्य औसत से बहुत कम है। विशेषकर महिला एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग में यह अन्तर बहुत अधिक पाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं जिलें की स्थिति के अनुसार शिक्षा के प्रसार हेतु निम्न प्रयास किये जाने अपेक्षित है –

- नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापको के रिक्त पदों को भरना, विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापको का समान रूप से वितरण/पदस्थापन करना, शिक्षकों का ठहराव एवं शिक्षको एवं समुदाय के मध्य उचित संवाद स्थापित करना।
- आउट आफ स्कूल बच्चो के लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से संचालित गतिविधियों जैसे – शिक्षा मित्र, चल विद्यालय, ब्रिज कोर्स, वैकल्पिक विद्यालय आदि का विस्तार करना।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एस.एस.ए. द्वारा संचालित लहर कार्यक्रम, लर्निग गारण्टी स्कूल कार्यक्रम, क्वालिटी एश्योरेन्स कार्यक्रम एवं गुणवत्ता प्रबोधन प्रपत्र जैसे नवीन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से सम्पूर्ण जिले में लागू करना।
- जिले के नामांकन में जेण्डर गेप प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर पर क्रमशः 10, 37 एवं 56 का है। इसे कम करने के लिए उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बालिका विद्यालय खोलना एवं सह शिक्षा वाले विद्यालयों में महिला शिक्षको की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जैसे – छात्र–छात्रा का अलग–अलग शौचालय होना, पर्याप्त भवन, पानी, खेलकूद सुविधाएं आदि सहित विद्यालयो का स्वस्थ (Healthy) वातावरण होना।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर के अन्तर को कम करने के लिए ग्रामीण क्षैत्रों के दूरस्थ विद्यालयों में अध्यापको की पर्याप्त उपलब्धता एवं ठहराव सुनिशिचित करना।
- जिले में साक्षरता की दृष्टि से पिछडे हुए ब्लॉक उनियारा, देवली एवं मालपुरा में विशेष प्रयास किया जाना।

ftys esa tu LokLF; lsokvksa dh fLFkfr

जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति

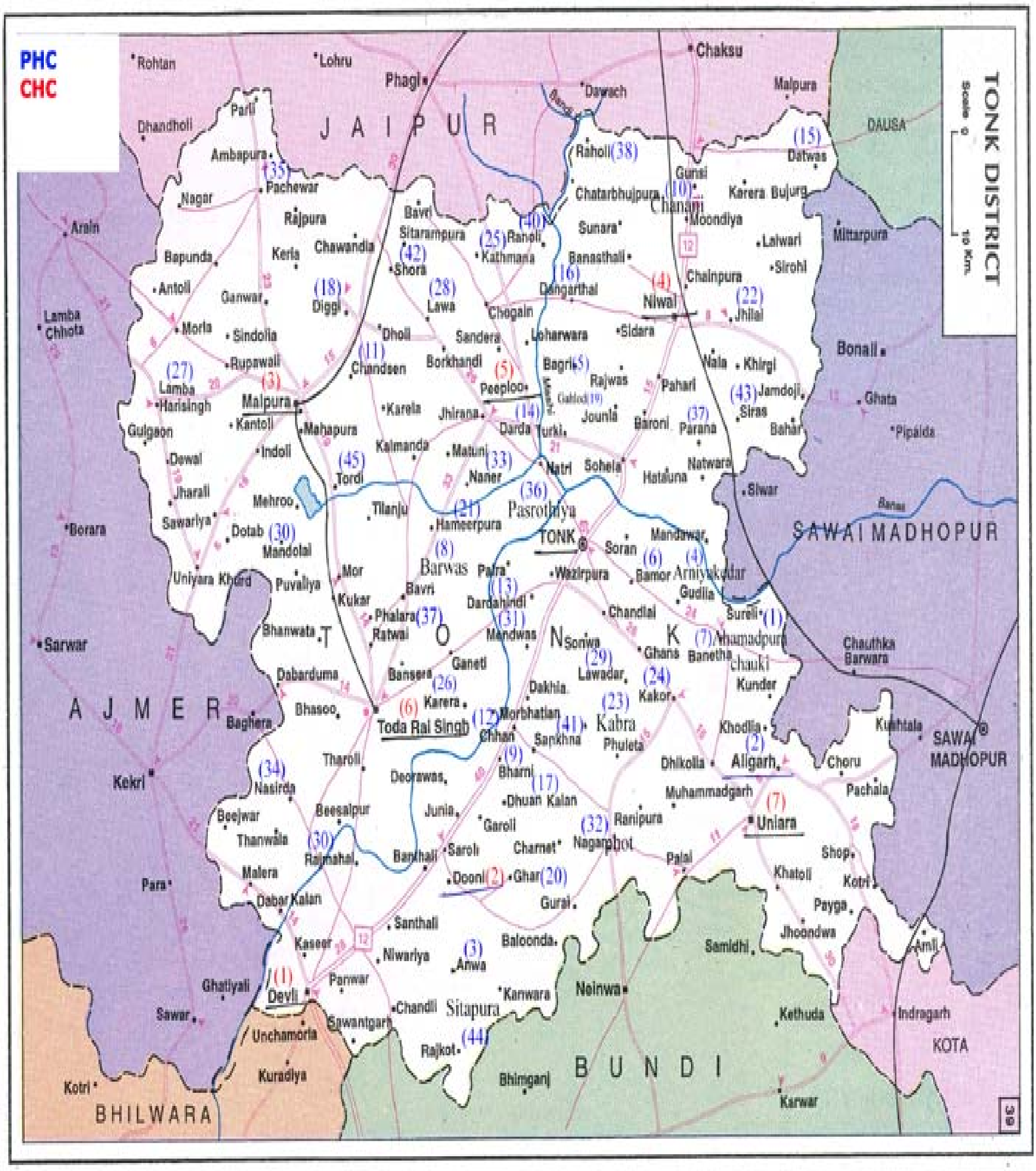

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

3-1 ftyk e LokLF; lpdkdk dh fLFkfr %&

स्वास्थ्य के मुख्य सूचकांक जैसे शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर आदि की गणना जिला स्तर पर किया जाना सम्भव नही है, फिर भी उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार इन सूचकांको में टोंक जिले की स्थिति राज्य औसत से पिछड़ी हुई है। कुछ स्वास्थ्य सूचकांको की राज्य एवं देश की तुलनात्मक स्थिति को तालिका संख्या 3.1 में दर्शाया गया है।

rkfydk l- 3-1

ftyk e LokLF; lpdkdk dh rqyukRed fLFkfr

Ø-l-	lpdkd	Vkd	jktLFkku	Hkkjr
1	शिशु मृत्यु दर (IMR)	N.A.	65.3	57
2	मातृ मृत्यु दर (MMR)	N.A.	388	254
3	दम्पत्ति संरक्षण दर (CPR)	56.0	47.0	56.00
4	कुल प्रजनन दर	3.5	3.2	3.1
5	लिंगानुपात	934	921	933
6	जन्म दर	21.0	27.9	23.1

(स्रोत – जिला परिवार कल्याण ब्यूरो, टोंक)

3-2 ftyk e LokLF; lfo/kkvk dh fLFkfr %&

जिलें में लोगों को स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न स्तर पर 408 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल संचालित हैं। जिनमें 6 जिला स्तरीय अस्पताल, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इनके अतिरिक्त जिलें के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु 250 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं 100 आयुर्वेद डिस्पेन्सरी संचालित हैं। उपरोक्त राजकीय सस्ंथाओं के अतिरिक्त जिलें में लगभग 20 संस्थाऐं निजी क्षेत्र में कार्य कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में अपना योगदान दे रही हैं। जिलें में संचालित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सस्ंथाओं का ब्लॉकवार विवरण तालिका संख्या 3.2 में दर्शाया गया हैं।

rkfydk la- 3-2

ftys esa dk;Zjr fpfdRlk ,oa LokLF; laLFkkvksa dk Cykdokj fooj.k

d- la-	Cykd	LokLF; lqfo/kk;sa	la[;k
1	Vksad	जिला अस्पताल	1
		सामु. स्वा. केन्द्र	1
		प्राथ. स्वा. केन्द्र	18
		उपकेन्द्र	71
2	mfu;kjk	सामु. स्वा. केन्द्र	1
		प्राथ. स्वा. केन्द्र	3
		उपकेन्द्र	37
3	ekyiqjk	सामु. स्वा. केन्द्र	1
		प्राथ. स्वा. केन्द्र	7
		उपकेन्द्र	33
4	VksMkjk;flag	सामु. स्वा. केन्द्र	1
		प्राथ. स्वा. केन्द्र	4
		उपकेन्द्र	30
5	nsoyh	सामु. स्वा. केन्द्र	2
		प्राथ. स्वा. केन्द्र	7
		उपकेन्द्र	38
6	fuokbZ	सामु. स्वा. केन्द्र	1
		प्राथ. स्वा. केन्द्र	6
		उपकेन्द्र	41
	Vksad	जिला आयुर्वेदिक अस्पताल	1
	Vksad	आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी	100
	Vksad	होम्योपेथिक अस्पलात	1
	Vksad	यूनानी अस्पताल	1
	Vksad	महिला अस्पताल	1
	Vksad	टी. बी. अस्पताल	1
;ksx			408

(स्रोत – मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, टोंक)

3-2-1 fpfdRlk lLFkkvks ij tul[;kHkkj dh fLFkfr %&

जिलें में चिकित्सा संस्थाओं की संख्या निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 9,58,503 के लिए 250 उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं 45 प्रा.स्वा. केन्द्र संचालित है। इस आधार पर प्रति उप स्वा.केन्द्र एवं प्रति प्रा.स्वा. केन्द्र पर जनसंख्या का भार क्रमशः 3800 एवं 21300 का है। इसके अतिरिक्त भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 100 आयुर्वेद डिसपेन्सरी भी अपनी सेवाएं दे रही है। जिलें में 7 सामुदायिक स्वा. केन्द्र संचालित है जिन पर टोंक शहर की जनसंख्या को छोड़ने के बाद प्रति सामु. स्वा. केन्द्र पर लगभग 15300 जनसंख्या का भार है।

3-2-2 LokLF; lfo/kkvks dh xkoks rd igp dh fLFkfr %&

जिलें में वर्तमान में 816 गॉव ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य केन्द्र की सेवाओं के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है। इन गॉवों से स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी के आधार पर इनका वर्गीकरण तालिका संख्या 3.3 में दर्शाया गया हैं–

rkfydk l- 3-3

LokLF; dUn dh lfo/kk d fy, njh d vk/kkj ij xko dk fooj.k

d-l-	LokLF; lfo/kk dh njh	xkoks dh l[;k
1	5 किलोमीटर तक	438
2	5 से 10 किलोमीटर तक	261
3	10 किलोमीटर से अधिक	117
योग		**816**

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

3-2-3 ftys d vLirkyks e cM dh fLFkfr &

जिलें के जिला अस्पताल एवं अन्य ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों में कुल 770 बिस्तर की व्यवस्था है। जिसमें से जिला अस्पताल में 150 बिस्तर की व्यवस्था है। जिलें में प्रति बिस्तर मरीजों की उपलब्धता जिला स्तर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रो में काफी कम है। जिसके मुख्य कारण चिकित्सक एवं अन्य प्रशिक्षित स्टॉफ की कमी तथा पर्याप्त चिकित्सा सुविधा की कमी

होना पाया गया है। जिलें में औसत रूप से 21300 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। तथा 1575 की जनसंख्या पर एक बिस्तर की व्यवस्था है।

3-3 ftys dk izkFkfed LokLF; dsUnzks ij dk;Zjr LVkQ dh fLFkfr %&

जिलें में ग्रामीण क्षैत्रों की चिकित्सा सुविधाओं के लिए कुल 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है,जिनमें कार्यरत स्टॉफ का विवरण तालिका संख्या 3.4 में दर्शाया गया हैं।

rkfydk la- 3-4

izkFkfed LokLF; dsUnzks ij Lohd`r o dk;Zjr LVkQ dk fooj.k ¼o"kZ 2009½

d-la-	izkFk- Lok- dsUnz dh la[;k	Lohd`r in dk uke	Lohd`r	fjDr	dk;Zjr
1	45	SMO	3	-	3
		MO	47	-	47
		Ayush Doctor	27	6	21
		Ayush Compounder	23	2	21
		ANM	45	5	40
		GNM	90	17	73
		Nurse II	77	-	77
		MPW	10	-	10
		SMPW	3	-	3
		Ophthalmic Assistant	3	-	3
		LHV	53	-	53
		LT	45	1	44
		Ward Boy	57	-	57
		Sweeper	43	-	43
		Driver	11	-	11

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

3-4 ftys esa futh fpfdRlk ,oa LokLF; laLFkkvksa dh fLFkfr %&

जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए निजी संस्थाए भी कार्यरत है। जिनमें से प्रमुख संस्थाओं का विवरण तालिका संख्या 3.5 में दर्शाया गया है।

rkfydk la- 3-5

futh lsok iznkrk laLFkkvksa dk fooj.k ¼o"kZ 2009½

क.सं.	ब्लॉक का नाम	संस्था का नाम	fooj.k
1	टोंक	गहलोत नर्सिग होम, टोंक	
		चौहान लेबोरेट्रीज, टोंक	
		अग्रवाल हॉस्पिटल, टोंक	**MTP**
		लाईफ केयर हॉस्पिटल, टोंक	
		डां. हरनाथ सिंह मीणा	
2	निवाई	सुधा सोनोग्राफी सेन्टर	
		शुभ लेबोरेट्रीज	
		राजावत नर्सिग होम	**MTP**
		विजय लेबोरेट्रीज	
		रामेश्वर प्रसाद मेमोरियल हॉस्पिटल	**MTP**
		हर्ष एक्सरे एण्ड लेबोरेट्रीज	
		कल्याण हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर	
3	देवली	महेश नर्सिग होम	**MTP**
		ज्योति क्लिनिक, देवली	
		देशबन्धु क्लिनिक, देवली	
		सरदार हॉस्पिटल	
		ओ.के. डाईगनोस्टिक	
		नमोकार हॉस्पिटल एण्ड डाईग्नोस्टिक सेन्टर	
4	मालपुरा	रेखा देवी हॉस्पिटल	**MTP**

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

3.4.1 निजी चिकित्सा संस्थाओं का योगदान :–

जिले में कार्यरत उपरोक्त निजी चिकित्सा संस्थानो द्वारा चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं सुविधाओं की उपलब्धता में विशेष योगदान किया जा रहा है। संस्थागत प्रसवो में भी इन संस्थाओं की विशेष भूमिका रही है। वर्ष 2008–09 में हुए संस्थागत प्रसव की प्रगति तालिका संख्या 3.6 में दर्शाई गई है।

तालिका सं. 3.6

निजी अस्पताल पर होने वाले संस्थागत प्रसव का विवरण (वर्ष 2008–09)

क.सं.	ब्लॉक का नाम	संस्था का नाम	प्रसवों की संख्या
1	टोंक	अग्रवाल हॉस्पिटल, टोंक	936
2	निवाई	कल्याण हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर	1636
		राजावत नर्सिंग होम	234
		बी.डी. मेमोरीयल हॉस्पिटल	219
		एम.एन. सुधा नर्सिगं होम	25
3	देवली	सरदार हॉस्पिटल	221
		महेश नर्सिंग होम	254
4	मालपुरा	रेखा देवी हॉस्पिटल	706

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

3.5 मातृ स्वास्थ्य एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम :–

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005–2012) का शुभारम्भ 12 अप्रैल 2005 को हुआ। मिशन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, गरीबों, महिलाओं व बच्चों के लिए उत्तम स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुंच सुनिश्चित करना है। मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिले में मातृ स्वास्थ्य एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है –

- शिशु–मृत्यु दर (आई.एम.आर.) तथा मातृ–मृत्यु दर (एम.एम.आर) में कमी लाना।
- महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, जल, सफाई तथा स्वच्छता, प्रतिरक्षण और पोषण जैसी जन स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाना।
- स्थानीय महामारियों सहित संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियन्त्रण।
- एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता। जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग और जनसांख्यिकी सन्तुलन सुनिश्चित करना। स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं का जीर्णोद्धार करना और आयुष को मुख्यधारा का अंग बनाना।

3.5.1 जननी सुरक्षा योजना :–

जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एक सुरक्षित मातृत्व का कार्यकलाप है जिसे गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, मातृ और नवजात शिशु मृत्यु में कमी लाने के लिए चलाया जा रहा है। यह योजना माननीय प्रधानमन्त्री जी द्वारा 12 अप्रेल 2005 को आरम्भ की गई थी और इसे सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, कम कार्यनिष्पादन वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है और इसके लाभ प्रसव व प्रसव के बाद परिचर्या में प्राप्त हो सकते हैं। जननी सुरक्षा योजना के कारण प्रथम वर्ष 2005–06 में ही संस्थागत प्रसवों में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई और आगामी वर्षो में यह वृद्धि निरन्तर रूप से होती रही है। इस योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को 1400 रूपये और शहरी महिलाओं को 1000 रूपये की प्रोत्साहन

राशि दी जाती हैं। योजना के लागू होने के उपरान्त जिले में संस्थागत प्रसव के वृद्धि स्तर को निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है।

जिलें में संस्थागत प्रसव का ट्रेन्ड (प्रतिशत में)

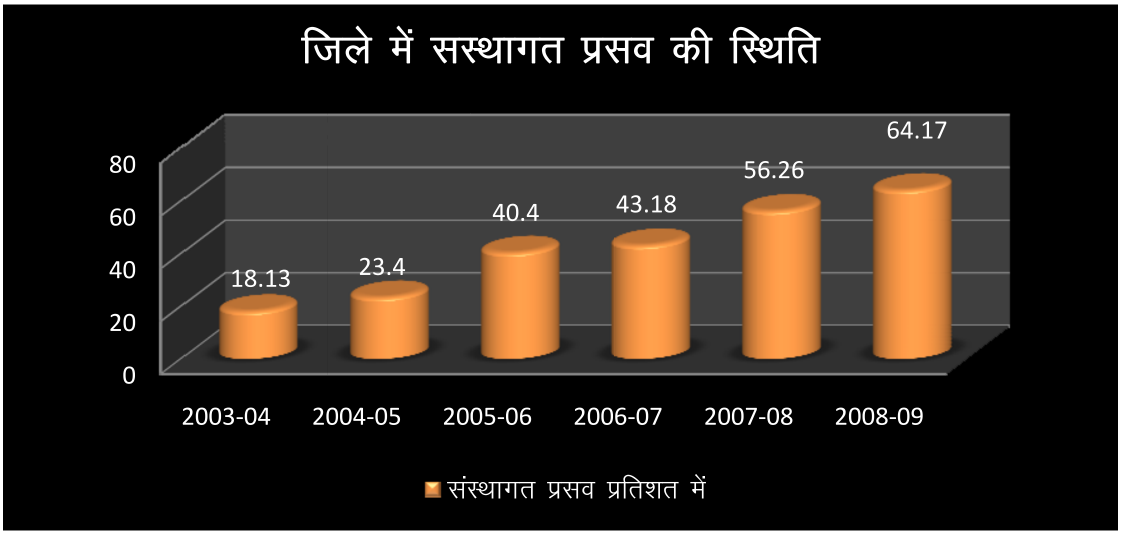

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

tuuh lqj{kk ;kstuk esa ykHkkfUor efgykvksa dh fLFkfr

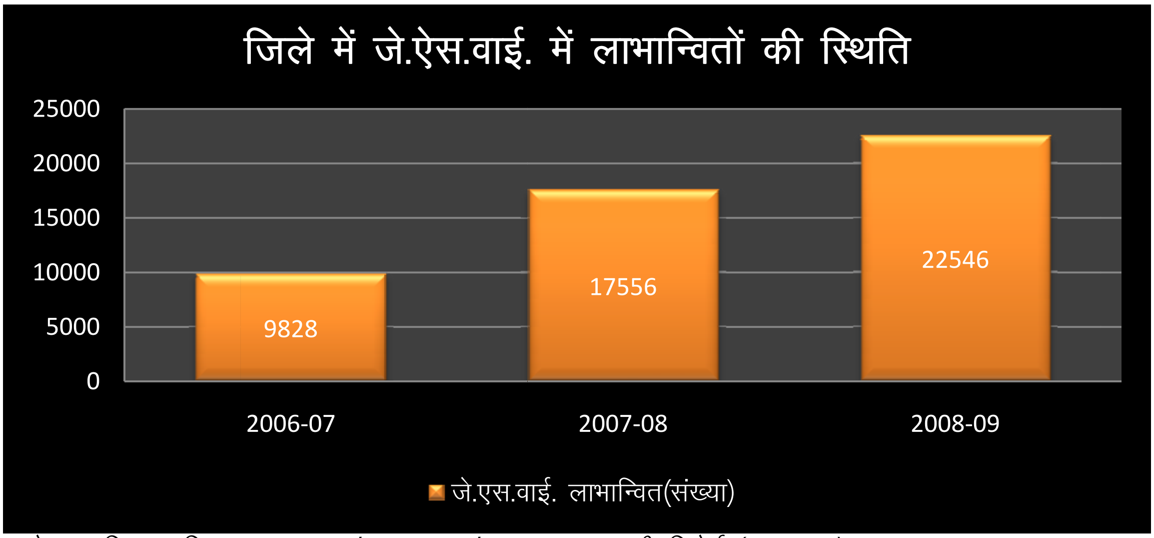

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

rkfydk la- 3-7

Cykdokj lLFkkxr izlo dh izxfr ¼o"kZ 2008&09½

d-l-	Cykd	y{;	ikfIr	izfr'kr
1	टोंक	10458	7427	71.02
2	मालपुरा	6068	5388	88.79
3	टोडारायसिंह	3948	1342	33.99
4	उनियारा	4449	1220	27.42
5	देवली	5782	3974	68.73
6	निवाई	6391	4452	69.66
योग		**37096**	**23803**	**64.17**

¼lzksr& vkj-lh-,p-vks- VksWd½

उपरोक्त चार्ट एवं तालिका संख्या 3.7 से स्पष्ट होता है कि जननी सुरक्षा योजना को लागू किये जाने के कारण संस्थागत प्रसवों की संख्या में निरन्तर वृद्वि हुई है। जहां वर्ष 2004–05 में लगभग 20 प्रतिशत प्रसव संस्थागत होते थे, वही जे.एस.वाई. लागू होने के प्रथम वर्ष 2005–06 में यह संख्या बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत पंहुच गई और वर्ष 2008–09 में लगभग 64 प्रतिशत प्रसव संस्थागत हुए है। संख्यात्मक रूप से देखा जाय तो जिलें में वर्ष 2006–07 में जहां लगभग 10,000 संस्थागत प्रसव हुए वही वर्ष 2008–09 में यह संख्या बढ़कर 23803 हो गई है। जिलें मे ब्लॉकवार समीक्षा करने से स्पष्ट होता है कि ब्लॉक उनियारा एवं टोडारायसिंह में संस्थागत प्रसव की स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। यहां क्रमशः 27 और 34 प्रतिशत प्रसव ही संस्थागत हो रहे है। इन क्षेत्रों में विशेष प्रयास की आवश्यकता है। साथ ही जिलें में भी 64 प्रतिशत की उपलब्धि को शत प्रतिशत तक लाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

3.5.2 मातृ एवं बाल स्वास्थ्य दिवस (MCHN) :-

मातृ एवं बाल स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक गुरूवार एवं सोमवार को उप स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल और शहरी डिस्पेन्सरी में आयोजित किया जाता है। उस दिन गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण किया जाता है तथा गर्भवती महिलाओं को पोषण सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। एमसीएचएन सेशन के टीकाकरण अभियान के द्वारा महिला एवं बाल स्वास्थ्य में काफी सुधार आया है।

एमसीएचएन सेशन से एक दिन पूर्व सोशल मोबलाईजर समुदाय में घर घर जाकर टीकाकरण के लिए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का पता लगाकर उनकी सूची तैयार करता है तथा उन्हें अगले दिन एमसीएचएन सेशन में आने के लिए प्रेरित करता है।

3.5.3 ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति (VHSC) %&

एनआरएचएम, फ्रेमवर्क प्लानिंग और मोनीटरिंग को ग्रास रूट लेवल पर विकेन्द्रीयकरण करने में सपोर्ट करता है। इसलिय इसने यूजर ग्रुप एवं community based organization की एक ग्रामीण स्वास्थ्य समिति बनाने का निर्णय लिया है।

वीएचएससी का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार लाना है। वीएचएससी के अन्तर्गत जिले के प्रत्येक गांव को 10,000/– रूपये दिये जाते है।

वीएचएससी की प्रत्येक माह मीटिंग एमसीएचएन दिवस पर आयोजित की जाती है, जिसमें आशा सहयोगिनी (समिति की सचिव) मीटिंग आयोजित कर प्रस्ताव लेती है।

3.5.4 अनटाइड फण्ड :–

स्वास्थ्य केन्द्रों को सशक्त बनाने के लिए अनटाइड फण्ड के तहत 10,000/– रूपये उप केन्द्र को, 25,000/– रूपये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1,00,000/– रूपये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5,00,000/ रूपये जिला अस्पताल को दिया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण में अनटाइड फण्ड ने महत्वपूर्ण भुमिका अदा की है। इसके तहत भवन की पुताई, फर्नीचर, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की खरीद जैसे स्टेशनरी, बिजली के बिल आदि की व्यवस्था की जाती हैं।

3.6 गर्भवती महिलाओं मे प्रसव पूर्व की जांचों की स्थिति :–

मातृ मृत्यु दर को नियन्त्रित करने के लिए गर्भावस्था के दौरान नियमित जांचे होना आवश्यक है। निर्धारित मापदण्डो के अनुसार प्रसव पूर्व कम से कम तीन जांचे होना चाहिए। जिले में डी.एल.एच.एस.–3 के अनुसार 38.5 प्रतिशत महिलाएं ही प्रसव पूर्व की तीन जांचे करा पाती है। राज्य का यह औसत 27.7 प्रतिशत है। इस प्रकार राज्य औसत से तो जिले की स्थिति अच्छी है, लेकिन 38.5 प्रतिशत को भी सुरक्षित मातृत्व की दृष्टि से आदर्श स्थिति नही कहा जा सकता है। जिलेवार स्थिति का चित्रण निम्न चार्ट के माध्यम से किया गया है।

प्रसव पूर्व तीन जांचों की जिलेवार स्थिति (प्रतिशत में)

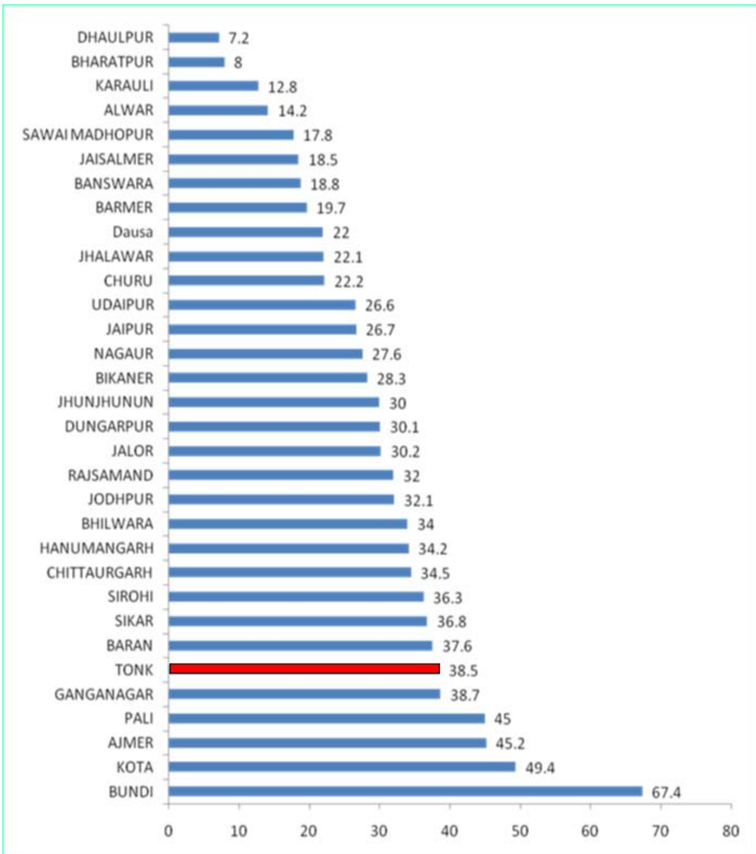

(स्रोत – डी.एल.एच.एस.–3)

Intervention

गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भेंटों की संख्या को बढ़ाना जिससे कि गर्भवती महिला का जल्द से जल्द 12 सप्ताह से पूर्व रजिस्ट्रेशन कर आगे आने वाली तीनों भेंटें कर उसे सम्पूर्ण एन्टीनेंटल केयर दी जा सके।

3.7 प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कराये गये प्रसवों की स्थिति :–

जननी सुरक्षा योजना के लागू होने के बाद से संस्थागत प्रसवों की संख्या में लगातार वृद्वि हुई है। जिसके कारण प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रसव कराये जाने की स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी वर्ष 2007–08 के सर्वे के अनुसार जिलें में 58.1 प्रतिशत प्रसव ही प्रशिक्षित व्यक्तियो द्वारा कराये जाते है। राजस्थान राज्य का यह औसत लगभग 58.9 प्रतिशत है। जिलेवार स्थिति का चित्रण निम्न चार्ट में दर्शाया गया है।

प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कराये गये प्रसवों की स्थिति (प्रतिशत में)

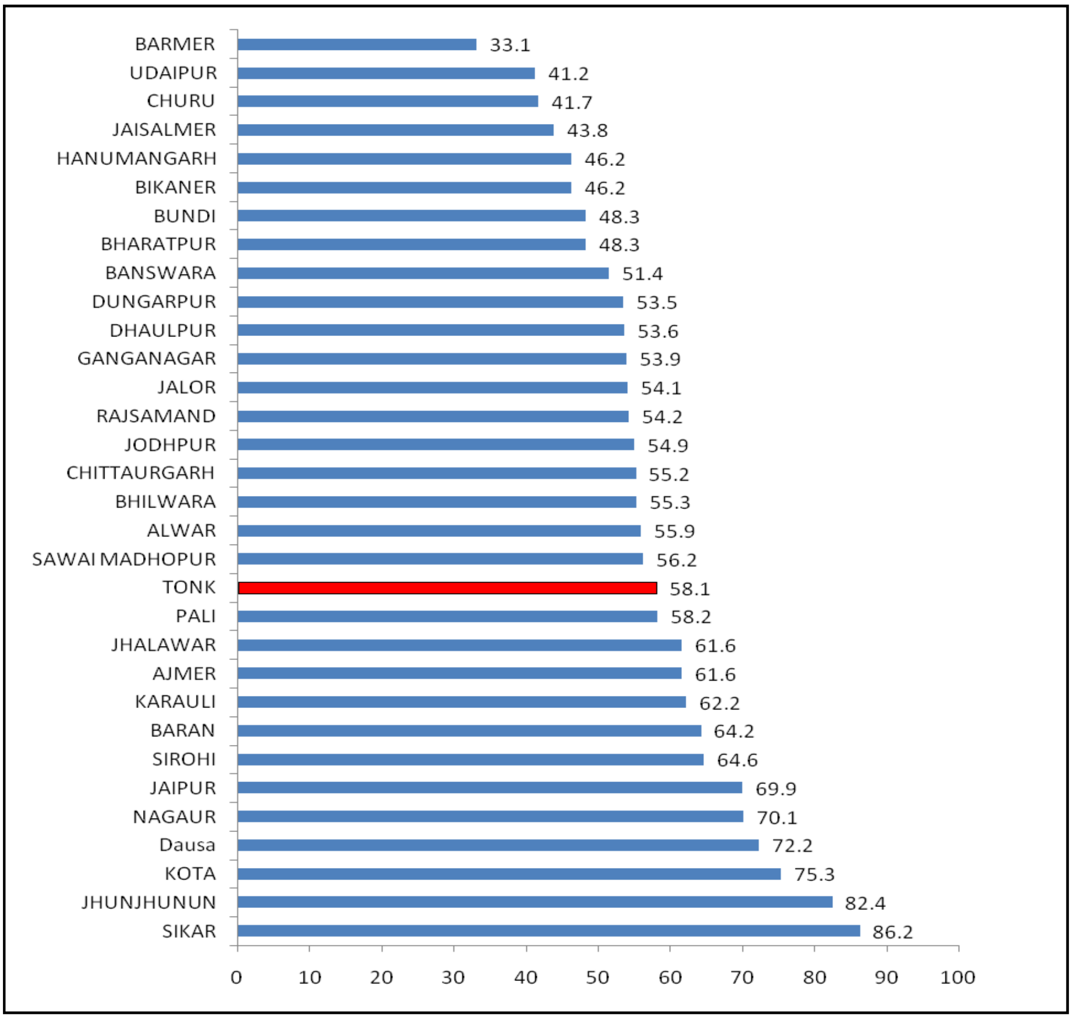

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

3.8 जिलें में टीकाकरण कार्यक्रम की स्थिति :–

शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना नितान्त आवश्यक हैं। जिलें में 12–23 माह के बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत 45.9 हैं, जो राज्य के 48.8 प्रतिशत की तुलना में कम हैं। अन्य जिलों से तुलनात्मक स्थिति को निम्न चार्ट में दर्शाया गया हैं।

12 से 23 माह के बच्चों के टीकाकरण का प्रतिशत

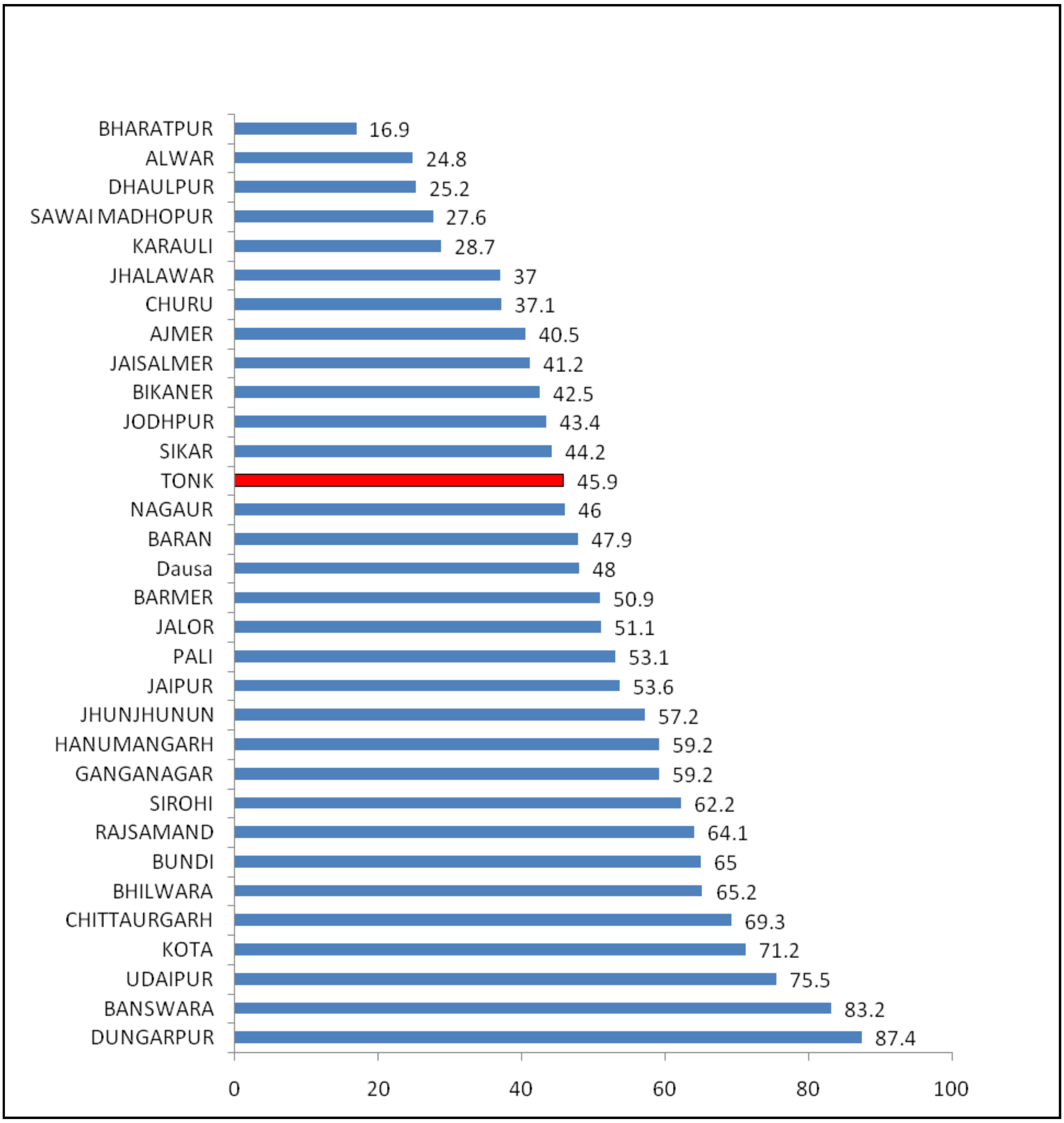

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि टोंक जिलें में टीकाकरण कार्यक्रम में सुधार लाने की बहुत आवश्यकता हैं। इसके लिए निम्न प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं।

1. एमसीएचएन डे का लगातार आयोजन किया जाना।
2. पूर्ण टीकाकरण के लिए बच्चों को चिन्हित करना।
3. पूर्ण टीकाकरण के लिए एमसीएचएन डे की कढ़ी निगरानी एवं टीकाकरण में सहयोग प्रदान करना।

rkfydk l- 3-8

Vhd ftys esa o"kZokj Vhdkdj.k dh foHkkxh; izxfr

¼o"kZ 2003&04 ls 2008&09½

वर्ष	बी0सी0जी			डीपीटी / पोलियो			मिजल्स		
	वर्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	ईएलए	उपलब्धि	प्रतिशत	ईएलए	उपलब्धि	प्रतिशत
2003-04	36850	35649	96.74	36850	35158	95.41	36850	32996	89.54
2004-05	36988	35891	97.03	36988	34124	92.26	36988	32105	86.80
2005-06	37385	41563	111.18	37385	40449	108.20	37385	38922	104.11
2006-07	36518	37359	102.30	36518	37671	103.16	36518	36338	99.51
2007-08	34707	38035	109.59	34707	36881	106.26	34707	34730	100.07
2008-09	34719	38022	109.51	34719	37544	108.14	34719	35367	101.87

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

टोंक जिलें में विभागीय आंकडो के अनुसार जिले में टीकाकरण की उपलब्धि शतप्रतिशत रही है लेकिन डी.एल.एच.एस सर्वे से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 12 से 23 माह के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत मात्र 45.9 है, अतः बच्चों के पूर्ण टीकाकरण के लिए कढ़ी निगरानी एवं मोनीटरिंग की आवश्यकता है।

3.9 जिलें में मातृ मृत्यु दर की स्थिति :–

यदि महिला की मृत्यु गर्भावस्था के दौरान तथा गर्भपात एवं प्रसव के दौरान एवं प्रसव के 42 दिन के भीतर हो जाती है उसे मातृ मृत्यु कहा जाता है । एक लाख गर्भवती महिलाओं में से प्रसव के 42 दिन बाद तक जो मृत्यु होती हैं, वह मातृ मृत्यु दर कहलाती हैं। मातृ मृत्यु दर की गणना जिला स्तर पर सम्भव नहीं है फिर भी जिलें में होने वाली माताओं की मृत्यु के अनुसार यह दर राज्य स्तर से अधिक होने का अनुमान है। राज्य की मातृमृत्यु दर 388 एवं देश की दर 254 है।

3.9.1 मातृ मृत्यु दर का सामान्य परिदृश्य :–

- 230 महिलाएं गर्भवती होती हैं।
- 110 महिलाएं अनियोजित या अनचाहा गर्भधारण करती हैं।
- 50 महिलाएं गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं की जानकारी रखती हैं।
- 1 महिला की गर्भावस्था सम्बन्धी जटिलताओं के कारण मृत्यु हो जाती हैं।

3.9.2 मातृ मृत्यु के मुख्य कारण :–

मातृ मृत्यु के मुख्य कारणों को निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया गया हैं।

मातृ मृत्यु के कारण (मृत्यु का प्रतिशत)

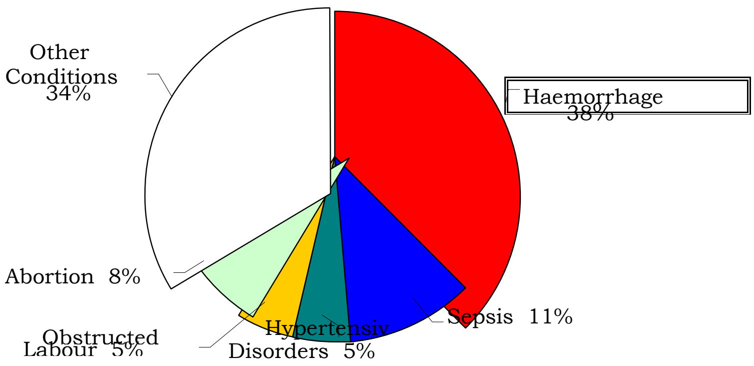

3.9.3 मातृ मृत्यु की समयावधि :–

सामान्यत: मातृ मृत्यु की 75 प्रतिशत मौते प्रसव के दौरान या प्रसव बाद होती है, तथा 25 प्रतिशत मौते गर्भावस्था के दौरान हो जाती हैं। समयावधि अनुसार होने वाली मौतो को निम्नानुसार चार्ट में दर्शाया गया हैं।

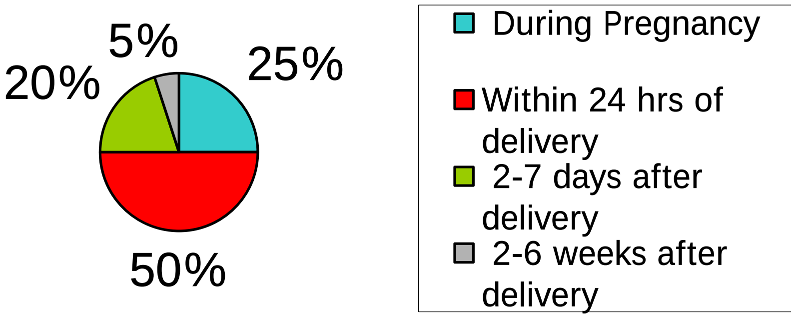

3.9.4 मातृ मृत्यु के जैविक कारण :–

जैविक कारणों के आधार पर मातृ मृत्यु की स्थिति को देखा जाये तो सबसे अधिक मृत्यु लगभग 25 प्रतिशत रक्त स्त्राव (Bleeding) के कारण होती हैं। अन्य कारणों से मृत्यु को निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया गया हैं।

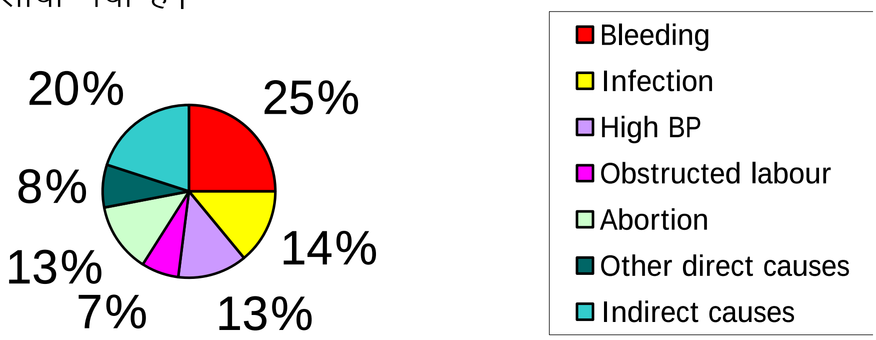

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

3.9.5 जिलें में मातृ मृत्यु के लिए जिम्मेदार अन्य कारक :–

- सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएं।
- परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना।
- स्वास्थ्य सेवाओं का दूर होना।
- अप्रशिक्षित महिलाओं द्वारा प्रसव कराना।
- कम उम्र में मॉ बनना आदि।

उक्त कारणो के अतिरिक्त मातृ मृत्यु के लिए विभिन्न स्तरो पर होने वाली देरी (Delay) भी उत्तरदायी होती है। मुख्य रूप से यह देरियां निम्नानुसार है :–

पहली देरी :– स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के निर्णय में देरी।

दूसरी देरी :– सही स्वास्थ्य संस्थान में पहुॅचने में देरी।

तीसरी देरी :– स्वास्थ्य संस्थान पर स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में देरी।

INTERVENTION

उपरोक्त देरियों से निपटने के लिए आशा एवं महिला स्वास्थ कार्यकर्ता को ग्राम स्तर पर घर घर जाकर प्रत्येक गर्भवती महिला को सभी तीनों प्रसव भेंट करनी चाहिए, साथ ही इन भेंटों में ही उस गर्भवती महिला एवं उसके परिवार के सदस्यों को निम्न जानकारी देनी चाहिए।

- महिला को तुरन्त कब दिखाना है।
- प्रसव के समय के लिए धन की व्यवस्था।
- वाहन की व्यावस्था।
- प्रसव के समय उचित स्वास्थ्य संस्थान को चिन्हित करना।
- प्रसव के समय के लिए रक्त दाता को चिन्हित करना।
- साथ ही प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था पर मेन पॉवर सहित सभी संसाधन उपलब्ध कराकर इन देरियो को कम किया जा सकता है।

3.10 जिलें में शिशु मृत्यु दर की स्थिति :–

शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) :– 0 से 1 वर्ष के प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से होने वाली मृत्यु शिशु मृत्यु दर कहलाती है। जिलें में हुए विभिन्न सर्वेक्षणो के अनुमानो के अनुसार टोंक जिले में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2007–08 में लगभग 89 रही हैं।

3.10.1 शिशु मृत्यु के कारक :–

शिशु मृत्यु दर के मुख्य कारकों को निम्नानुसार चार्ट में दर्शाया गया हैं–

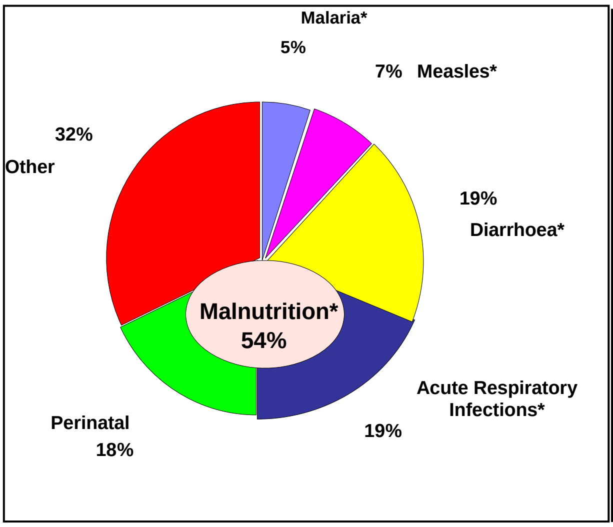

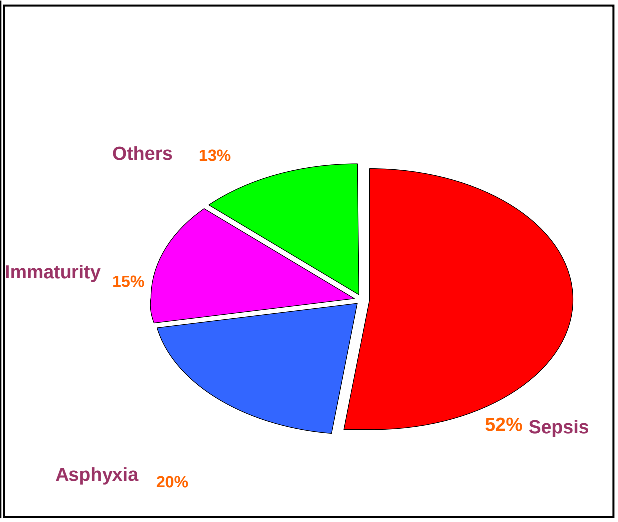

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

उपरोक्तानुसार बीमारी जनित समस्त मौतों में भी मुख्य कारक कुपोषण की स्थिति होती हैं, जिसके कारण लगभग 54 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु हो जाती हैं। इसको पूर्ण स्तनपान (ई.बी.एफ.) और संतुलित भोजन के द्वारा रोका जा सकता है। जिलें में शिशु मृत्यु के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं।

3.10.2 आई.एम.आर. के मुख्य जोखिम एवं कारण –

- जन्म के पहले घण्टे में बच्चों में स्तनपान का कम प्रतिशत।
- 0 से 6 महीने के बच्चों में केवल स्तनपान का कम प्रतिशत।
- पूरक आहार के बारे में समुदाय को जानकारी का अभाव।
- बच्चों के आहार एवं पोषण के बारे में आंगनाबाड़ी और स्कूल स्तर पर कम ध्यान देना।
- टीकाकरण व विटामिन ए की खुराक का शत प्रतिशत पूर्ण नहीं होना।
- आयोडीनयुक्त नमक का कम इस्तेमाल होना।
- दस्त के कैसेज में ओ.आर.एस एवं जिंक का कम इस्तेमाल होना।
- एनिमिया नियंत्रण प्रोग्राम के बारे में जागरूकता का अभाव।
- समुदाय की कुपोषण ईलाज केन्द्र (एम.टी.सी.) के बारे में जागरूकता कम होना।
- साफ सफाई एवं स्वच्छता की आदतों का अभाव।

3.10.3 शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए विशेष उपाय एवं सुझाव :–

1. जन्म के पहले घण्टे में मॉ का दूध पिलाना तथा छः माह तक केवल मॉ का दूध पिलाना

विभिन्न स्वास्थ्य अनुसंधानों के अनुसार नवजात शिशु को जन्म के एक घण्टे के भीतर मॉ का पहला दूध (कॉलस्ट्रम) पिलाना बच्चे के सुरक्षा कवच का कार्य करता है। यह शिशु को स्वस्थ रखकर अनेक बीमारियों से बचाने का काम करता हैं, इसके साथ ही बच्चें को 6 माह तक केवल मॉ का दूध ही पिलाया जाना बच्चे के लिए लाभप्रद हैं। टोंक जिलें में नवजात शिशु को जन्म के पहले घण्टे में मॉ का पहला दूध पिलाने का स्तर मात्र 42.85 प्रतिशत हैं। इसके साथ ही 6 माह तक बच्चे को केवल मॉ का दूध पिलाने का स्तर 26.30 प्रतिशत हैं। इन दोनों ही महत्वपूर्ण कारकों के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसुताओं को जानकारी देना आवश्यक हैं।

Intervention-

जन्म के पहले घण्टे के अन्दर स्तनपान को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 24 घंटे के अन्दर प्रसुता के घर भ्रमण करने से बढ़ाया जा सकता है जैसे कि आई.एम.एन.सी.आई. प्रोग्राम में बताया गया है। यही संदेश समुदाय में सभी ए.एन.एम., आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एमसीएचएन डे वाले दिन देना चाहिए।

2. लोगों में पूरक आहार के बारे में जानकारी बढ़ाना –

1. जन्म से 6 महीने तक बच्चों को मां के दूध के अलावा किसी भी पूरक आहार की आवश्यकता नही होती है।
2. जन्म से 6 महीने से 1 वर्ष समुह, 1 वर्ष से 2 वर्ष समुह, 2 वर्ष से 5 वर्ष समुह के बच्चों को मां के दूध के अलावा बच्चे के पूर्ण विकास के लिए पूरक आहार की आवश्यकता होती है। यही संदेश समुदाय में सभी ए.एन.एम., आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एमसीएचएन डे वाले दिन देना चाहिए।

3. भोजन एवं पोषण सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना –

6 महीने से 3 वर्ष की आयु के बच्चों का वृद्धि चार्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी पर एवं 3 वर्ष के उपरान्त स्कूल पर रखा जाता है। इसे समुदाय में प्रचार प्रसार के द्वारा ओर बढ़ाया जा सकता है और यही संदेश समुदाय में सभी ए.एन.एम., आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एमसीएचएन डे वाले दिन देना चाहिए।

3.11 जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम की स्थिति :–

जनसंख्या नियन्त्रण, बच्चो के जन्म में अन्तराल आदि उद्वेश्यो के मध्यनजर रखते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम संचालित है। इसमें जनसंख्या नियन्त्रण के लिए अनेक साधनो का प्रयोग योग्य दम्पतियों द्वारा किया जाता है। जिलें में परिवार कल्याण, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की नवीन रिपोर्ट (2008–2009) के अनुसार लक्षित समूह के 15–49 वर्ष के स्त्री–पुरूषो को इन साधनो की जानकारी होने की स्थिति को निम्न ग्राफ चार्ट में दर्शाया गया है –

15–49 वर्ष के स्त्री पुरुषो को परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी का विवरण (प्रतिशत में) वर्ष–2008–09

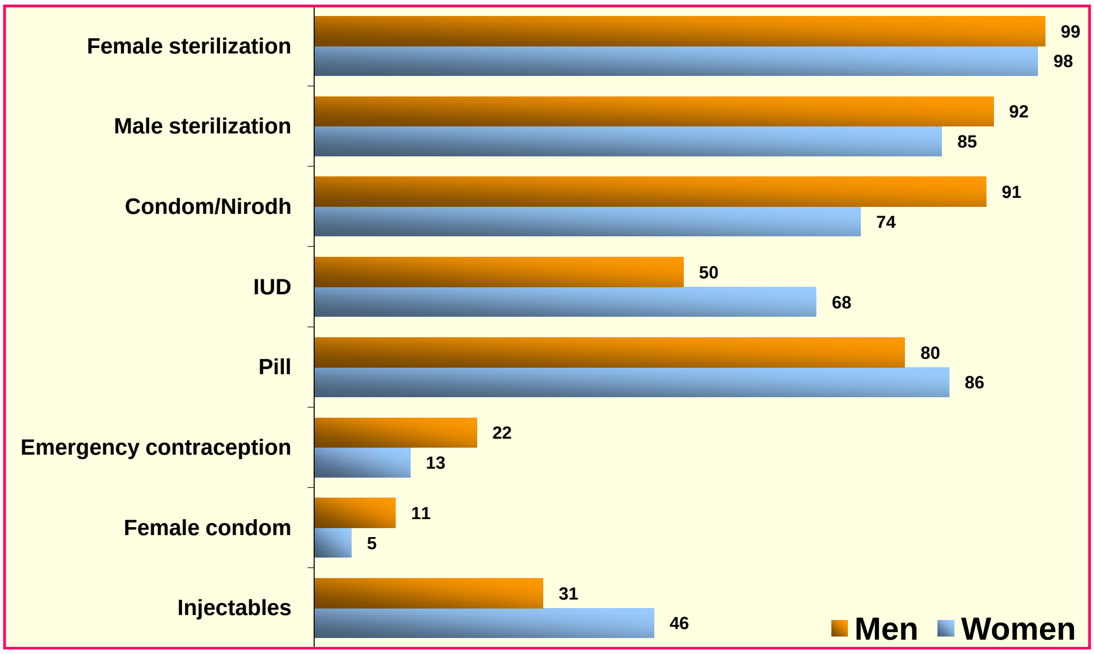

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि अभी भी लक्षित समूह के लोगो को परिवार नियोजन के साधनो की पूर्ण जानकारी नही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जन मंगल जोड़ो के माध्यम से इस जानकारी को बढ़ाया जा सकता है।

3.11.1 दम्पत्ति संरक्षण दर (CPR) :-

कन्ट्रासेप्टिव साधनों को परिवार सीमित रखने के तरीकों के रूप में परिभाषित किया गया है। जिनसे महिला को अनचाहे गर्भ की रोकथाम में सहायता मिलती है जिसमें स्थाई व अस्थाई साधन दोनों आते हैं। कन्ट्रासेप्टिव प्रीवलेन्स का अर्थ महिला एवं पुरुषों की कुल संख्या से है जिन्होंने सही रूप में स्थाई व अस्थाई साधन अपना रखे है। सीपीआर समुदाय द्वारा कन्ट्रासेप्टिव साधनों को अपनाये जाने के बारे में पता लगाने का इन्डीकेटर है। स्टलरलाइजेशन 60 प्रतिशत से अधिक होने पर कपल प्रोटेक्शन प्रभावी माना जाता है। जिले में गत वर्षो मे सी.पी.आर. की स्थिति को तालिका संख्या 3.9 में दर्शाया गया है।

rkfydk l- 3-9

दम्पत्ति संरक्षण दर (C.P.R)

Year	CPR
2003-2004	47.50
2004-2005	50.20
2005-2006	52.50
2006-2007	56.00
2007-2008	58.25

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले में योग्य दम्पतियो में से केवल 58.25 प्रतिशत द्वारा ही परिवार नियोजन के साधनो का उपयोग किया जाता है। अतः स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जन मंगल जोडो आदि द्वारा इस ओर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

3.11.2 परिवार नियोजन के साधनो के उपयोग की स्थिति :–

जिलें में योग्य दम्पतियो द्वारा विभिन्न परिवार नियोजन के साधनो के उपयोग की स्थिति के अनुसार लगभग 58 प्रतिशत दम्पतियों द्वारा ही इन साधनो का उपयोग किया जाता है। गत 2 वर्षो में जिलें मे परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग की प्रगति का विवरण तालिका संख्या 3.10 में दर्शाया गया है–

rkfydk la- 3-10

ifjokj fu;kstu lk/kuks dh izxfr dk fooj.k

d-la-	vkbVe	o"kZ 2007&08	2008-2009	o`f) + deh -
1	Male sterlisation	121	50	-71
2	Female sterlisation	7095	7117	+22
3	Total sterlisation	7216	7167	-49
4	IUD	7487	7654	+167
5	OP USERS (NEW)	26865	27659	+749
6	Nirodh Users New	29184	29561	+377

(स्रोत– आर.सी.एच. प्लान (2008–09) टोंक)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जिले में परिवार नियोजन के अस्थाई साधनो के प्रयोग में वृद्वि हुई है लेकिन स्थाई साधन (स्टरलाईजेशन) अपनाने में कमी आई है। यह संकेत जनसंख्या नियन्त्रण या प्रजनन दर को कम करने की दृष्टि से ज्यादा अच्छे नही माने जा सकते है। प्रजनन दर को कम करने के लिए स्थाई साधन (स्टरलाईजेशन) को अपनाने के लिए लोगो को प्रेरित करने पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है।

3.11.3 लिंग के आधार पर 2 बच्चों के उपरान्त परिवार नियोजन के साधन अपनाने की स्थिति

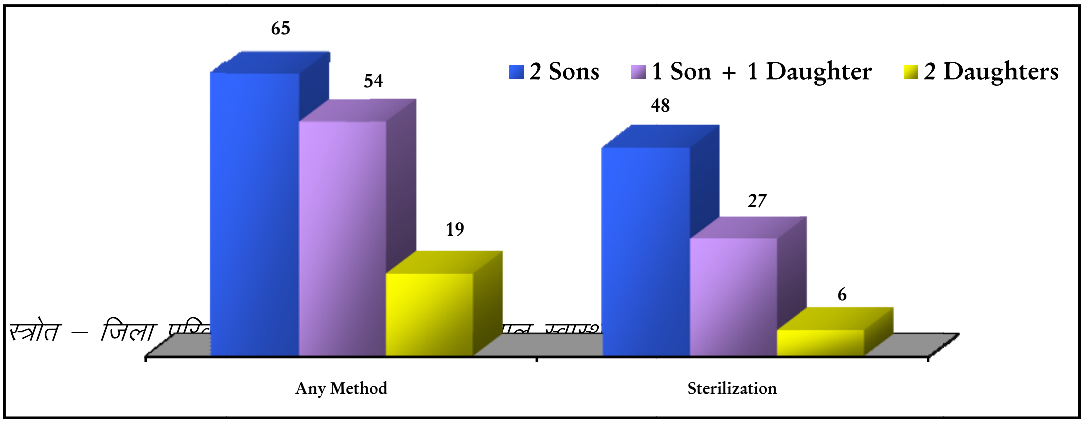

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट होता है कि जिले में 2 लडको वाले दम्पतियों द्वारा परिवार नियोजन के साधनो का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तथा 2 लडकियों वाले दम्पतियों द्वारा परिवार नियोजन के साधनो का निम्नतम प्रयोग किया जाता है।

3.11.4 जिले में परिवार नियोजन साधनों के उपयोग की ब्लॉकवार, आयु वर्ग, धर्म एवं जाति आदि के अनुसार प्रगति का विवरण तालिका संख्या 3.11 से 3.15 में दर्शाया गया है।

rkfydk la- 3-11

Cykd okbZt ifjokj fu;kstu lk/kuksa dh fLFkfr dk C;kjk o"kZ 2008-2009

d- la-	Cykd	ulcUnh		vkbZ;wMh		u;s fujks/k mi;ksxdrkZ	
		y{;	ikfIr	y{;	ikfIr	y{;	ikfIr
1	मालपुरा	1098	1289	1395	1348	3848	4191
2	टोडारायसिंह	1105	779	908	977	2504	3075
3	उनियारा	1245	762	1023	1053	2821	3249
4	देवली	1618	1217	1330	1262	3667	4082
5	टोंक	1754	1462	1441	1553	3975	4050
6	टोंक शहर	1173	381	964	87	2658	6762
7	निवाई	1789	1277	1469	1374	4053	4152
	;ksx	**10382**	**7167**	**8530**	**7654**	**23526**	**29561**

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

rkfydk la- 3-12

vk;q ds vuqlkj efgykvksa esa ulcUnh vkSj vk;wMh dh Lohdk;Zrk

आयु के अनुसार वर्गीकरण	वर्ष 2007–08				वर्ष 2008–09			
	स्टरलाईजेशन		आयूडी		स्टरलाईजेशन		आयूडी	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
15-19	-	-	-	-	-	-	4	-
20-24	2101	29	2704	36	2540	35	3135	41
25-29	2312	32	2547	34	2460	34	2506	33
30-34	1707	24	1107	15	1518	21	1368	18
35-39	863	12	792	11	591	8	560	7
40	233	3	337	4	58	1	81	1
Total	7216	100	7487	100	7167	100	7654	100

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

तालिका सं. 3.13

जीवित बच्चो के अनुसार महिलाओं में नसबन्दी और आयूडी की स्वीकार्यता

जीवित बच्चो की संख्या	वर्ष 2007–08				वर्ष 2008–09			
	स्टरलाईजेशन		आयूडी		स्टरलाईजेशन		आयूडी	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	175	2	1803	24	143	2	1543	20
2	2662	37	3241	43	2957	41	3018	39
3	2618	36	1757	23	2117	30	1915	25
4	1346	19	533	7	1466	20	953	13
5	415	6	153	3	484	7	225	3
Total	7216	100	7487	100	7167	100	7654	100

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

जीवित बच्चो के अनुसार महिलाओं में नसबन्दी की स्वीकार्यता

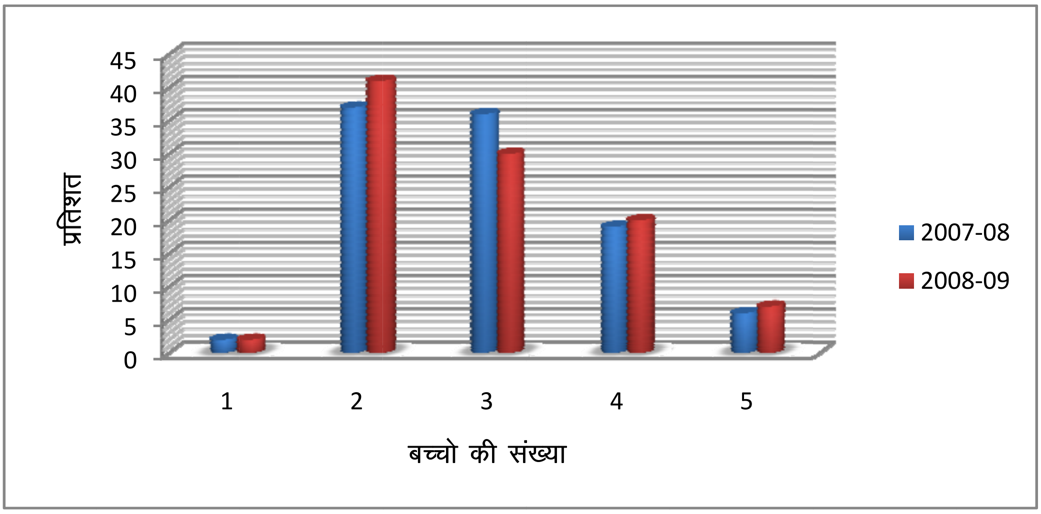

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

rkfydk l- 3-14

धर्म के अनुसार महिलाओं में नसबन्दी और आयूडी की स्वीकार्यता

/keZ	o"kZ 2007&08				o"kZ 2008&09			
	LVjykbZt'ku		vk;Mh		LVjykbZt'ku		vk;Mh	
	l[;k	ifr'kr	l[;k	ifr'kr	l[;k	ifr'kr	l[;k	ifr'kr
हिन्दू	6801	94	6259	84	6587	92	6337	83
मुस्लिम	415	6	1228	16	580	8	1317	17
योग	7216	100	7487	100	7167	100	7654	100

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

तालिका सं. 3.15

जाति वर्ग के अनुसार महिलाओं में नसबन्दी और आयूडी की स्वीकार्यता

tkfr oxl	o"kl 2007&08				o"kl 2008&09			
	LVjykbl t s'ku		vk;Mh		LVjykbl t s'ku		vk;Mh	
	l[;k	ifr'kr	l[;k	ifr'kr	l[;k	ifr'kr	l[;k	ifr'kr
S.C.	1774	24	1908	25	1396	19	1782	23
S.T.	1145	16	1173	16	1251	18	1309	17
Others	4297	64	4406	59	4520	63	4563	60
Total	7216	100	7487	100	7167	100	7654	100

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

उपरोक्त तालिकाओं एवं चार्ट से स्पष्ट होता है कि जिले में उपयोग किये जा रहे परिवार नियोजन के साधनो में स्थाई साधन नसबन्दी की स्वीकार्यता काफी कम है। बच्चो की संख्या के अनुसार लगभग 43 प्रतिशत नसबन्दी 2 बच्चो तक कराई जाती है तथा 3 बच्चो पर 30 प्रतिशत व 4 बच्चो पर 20 प्रतिशत परिवारो द्वारा नसबन्दी साधन को अपनाया जाता है।

टोंक में वर्ष 2008–09 में नसबन्दी की उपलब्धि लक्ष्यो की तुलना में 69.03 प्रतिशत रही है। यहां पर कम प्रतिशत का कारण कुछ समुदायों का कडा रूख होना है जैसे कि मुस्लिम, गुर्जर, मीणा, बंजारा, सांसी, कंजर और भील समाज के लोग नसबन्दी को आसानी से स्वीकार नही करते है।

3.11.5 <u>परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक</u> –

- शादी की कम उम्र में अनिवार्यता जिले में उच्च फर्टिलिटि का कारण है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की अधिकता।
- साक्षरता की कमी।
- निम्न जीवन स्तर।
- परिवार नियोजन के साधनों का कम इस्तेमाल एवं पारम्परिक रहन सहन।

जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उपलब्धि की गत 10 वर्षो की प्रवृति (Trend) को तालिका संख्या 3.16 में एवं विभिन्न ग्राफ चार्ट में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 3.16

जिले में गत वर्षो में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण

वर्ष	नसबंदी	आई.यू.डी.	निरोध वितरण संख्या	ओरल पिल्स
	I	II	III	IV
1999-2000	5858	5135	1525110	100435
2000-01	7269	5253	2233674	144482
2001-02	6821	5401	2350433	161589
2002-03	7029	4895	3140450	197912
2003-04	6247	5450	3705555	222416
2004-05	6693	4929	3743656	231478
2005-06	10637	9799	4212048	267090
2006-07	7139	8908	4486115	295611
2007-08	7216	7487	3606600	346429
2008-09	7167	7654	3551060	309710

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

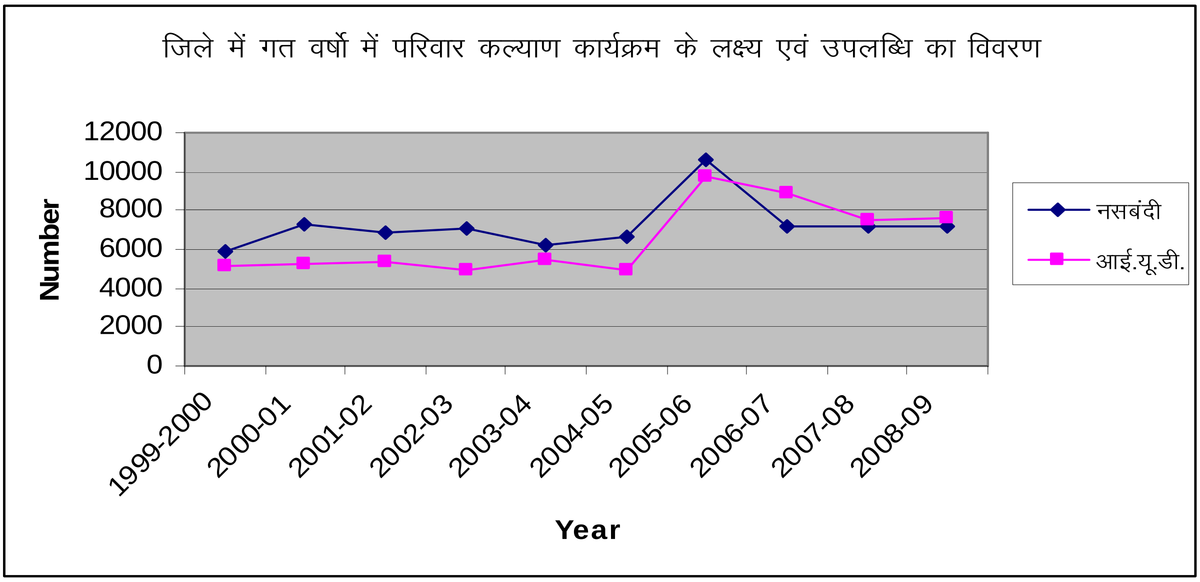

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

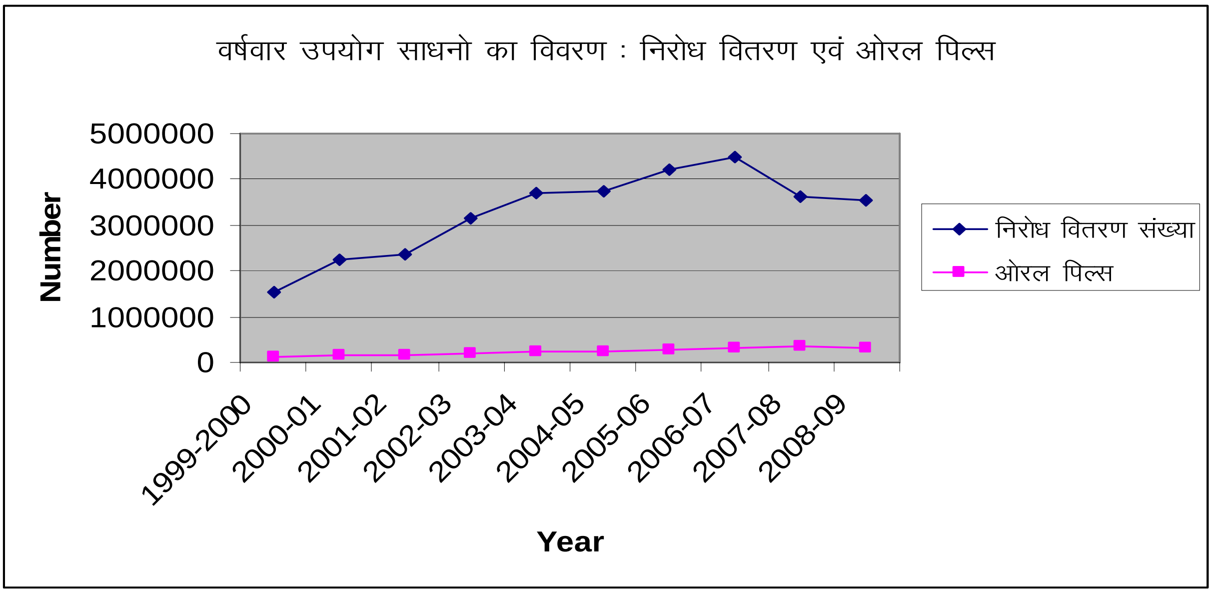

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

उपरोक्त तालिका एवं ट्रेण्ड ग्राफ से स्पष्ट होता है कि जिले में परिवार नियोजन के विभिन्न साधनो के उपयोग स्तर मे वर्ष 2005–06 तक निरन्तर वृद्वि हुई है। जबकि इसके बाद के वर्षो में स्थिति समान या गिरावट की ओर रही है। अतः स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जन मंगल जोडो आदि द्वारा इस ओर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

3.12 जिले में प्रजनन दर की स्थिति :–

जिलें में डी.एल.एच.एस के अनुसार प्रजनन दर 3.6 है जो राजस्थान राज्य की प्रजनन दर 3.2 से अधिक है। 2008 के अनुमानो के अनुसार जिलें की प्रजनन दर कम होकर 2.6 तक होने का अनुमान है। जिलें में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रजनन दर में भिन्नता पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रो में प्रजनन दर शहरी क्षेत्रो की तुलना में अधिक है।

3.12.1 जाति वर्ग के आधार पर प्रजनन दर :–

प्रजनन दर जाति के आधार पर निर्भर करती है एवं साधनों का उपयोग भी इस पर निर्भर करता है। जैसे मुस्लिम समाज में नसबन्दी एवं गर्भपात को धार्मिक भावनाओं के कारण उचित नहीं माना जाता, इस कारण मुस्लिम वर्ग की प्रजनन दर हिन्दुओं की तुलना में ज्यादा होती है। एनएफएचएस II के अनुसार मुस्लिम वर्ग की प्रजनन दर 3.59 है जबकि हिन्दुओं की 2.78 है। अनुजाति एवं जन जाति में सामान्य वर्गो की तुलना में प्रजनन दर अधिक पाई जाती है।

डी.एल.एच.एस–3 के अनुसार जातिवर्ग में प्रजनन दर की स्थिति को निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है –

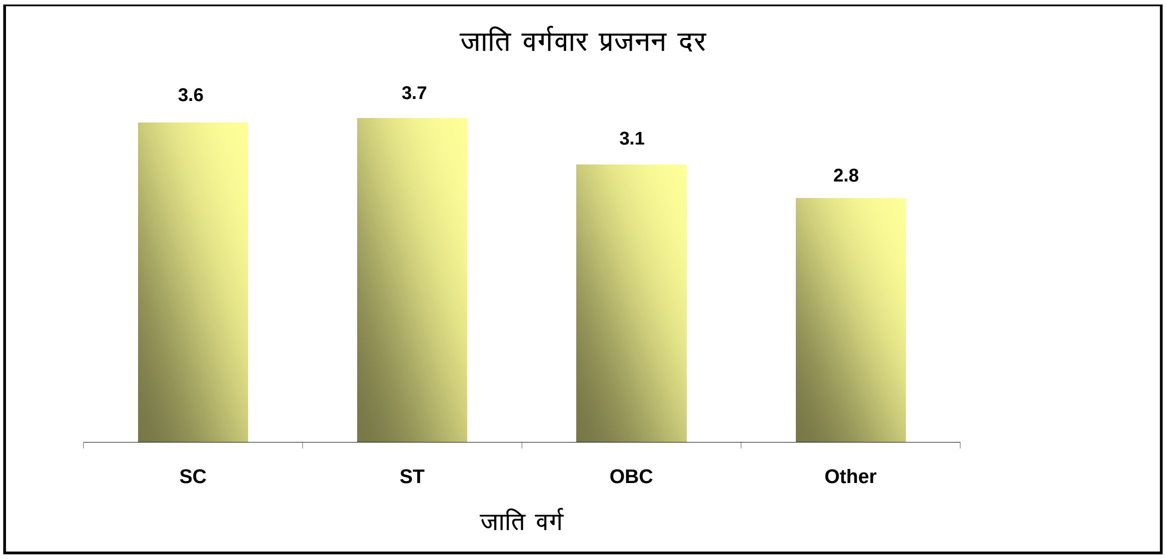

(स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

3.12.2 महिलाओं की शिक्षा एवं रहन सहन के आधार पर प्रजनन दर :–

प्रजनन दर महिलाओं की शिक्षा एवं परिवारो के रहन – सहन व आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होती है। शिक्षित महिलाओं एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारो में अशिक्षित एवं गरीब परिवारों की तुलना में प्रजनन दर कम पाई जाती है। महिलाओं के स्तर के आधार पर प्रजनन दर का विवरण तालिका संख्या 3.17 में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 3.17

एनएफएचएस II के ज्ञात परिणामों के अनुसार प्रजनन दर की स्थिति

क्र.स.	महिला	प्रजनन दर
1.	अशिक्षित महिलाओं में	3.7
2.	10वीं या अधिक शिक्षित महिलाओं में	1.8
3.	गरीब परिवारो की महिलाओं में	4.5
4.	सम्पन्न परिवारो की महिलाओं में	2.1

(स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

3.12.3 वांछित (Wanted) एवं अवांछित (Unwanted) प्रजनन दर (टी.एफ.आर) की स्थिति :–

जिलें में जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की ताजा रिपोर्ट (2008–09) के अनुसार पाया गया है कि लोगो की वांछित **(Wanted)** प्रजनन दर 2.1 है, और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में यह क्रमशः 2.3 एवं 1.4 है। इस प्रकार इससे अधिक बच्चे लोगो की इच्छा के विरूद्ध पैदा होते है। अर्थात यदि परिवार नियोजन के साधनो की जानकारी एवं उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाये तो प्रजनन दर को 2.1 तक लाया जा सकता है।

okfNr (Wanted) ,o vokfNr (Unwanted) iztuu nj

स्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

3.13 पहले बच्चे के समय महिला की उम्र की स्थिति :–

जिलें में पहले बच्चे के जन्म के समय महिला की औसत उम्र 19.2 वर्ष है जो राज्य औसत 19.6 के काफी नजदीक है। राज्य एवं देश से जिले की तुलनात्मक स्थिति तालिका संख्या 3.18 में दर्शायी गयी है।

तालिका सं. 3.18

जिले की राज्य एवं देश में पहले बच्चे के समय महिला की औसत आयु की तुलनात्मक स्थिति

क्र.स.	क्षेत्र	शहरी	ग्रामीण	कुल
1.	राजस्थान	20.1	19.4	19.6
2.	भारत	20.9	19.3	19.8
3.	टोंक	20.3	18.1	19.2

(स्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि टोंक जिलें में पहले बच्चे के जन्म के समय महिला की औसत आयु ग्रामीण क्षेत्र में 18.1 वर्ष है जो राज्य एवं देश की तुलना में कम है। लेकिन शहरी क्षेत्रो में स्थिति राज्य एवं देश के औसत के लगभग समान है।

3.14 नेशनल वेक्टर बोर्न डीजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम –

नेशनल वेक्टर डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम निदेशालय, वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम एवं नियन्त्रण की केन्द्रीय नोडल एजेन्सीज है जैसे भारत में मलेरिया, डेंगु, लिम्फेटिक फाइलेरिया, काला अजर, जापानी एनसीफेलीटिज और चिकनगुनिया आदि बीमारियों के लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी तकनीकी विभागों में से एक है। टोंक जिलें में इन गम्भीर बिमारियों में से मलेरिया का प्रभाव रहा हैं। टोंक जिलें में मलेरिया की स्थिति को निम्न ग्राफ चार्टस के माध्यम से दर्शाया गया हैं –

मलेरिया

टोंक में पी वी केसेज को दर्शाता हुआ ग्राफ

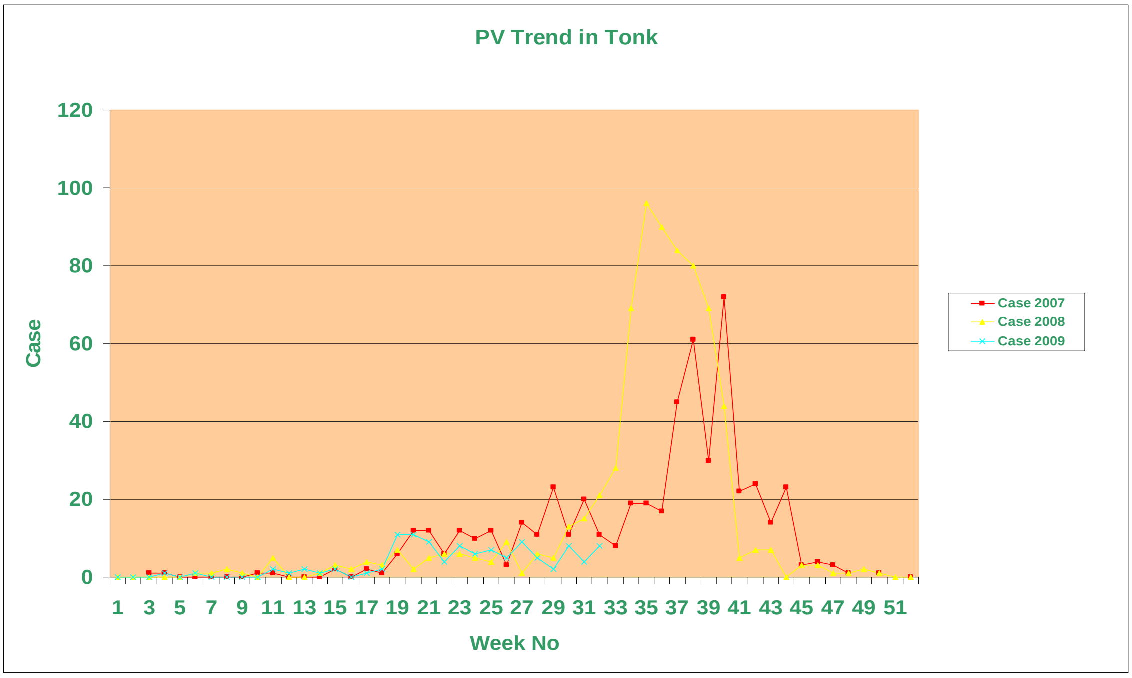

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

टोंक में पी वी केसेज को दर्शाता हुआ ग्राफ

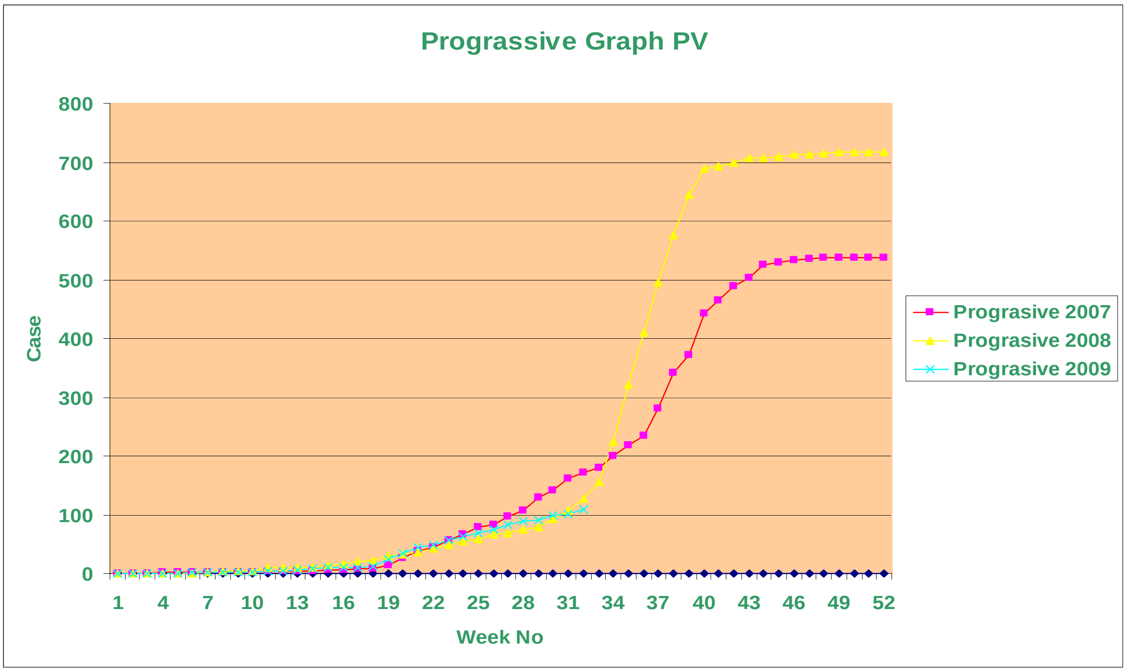

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

टोंक में पी एफ केसेज को दर्शाता हुआ ग्राफ

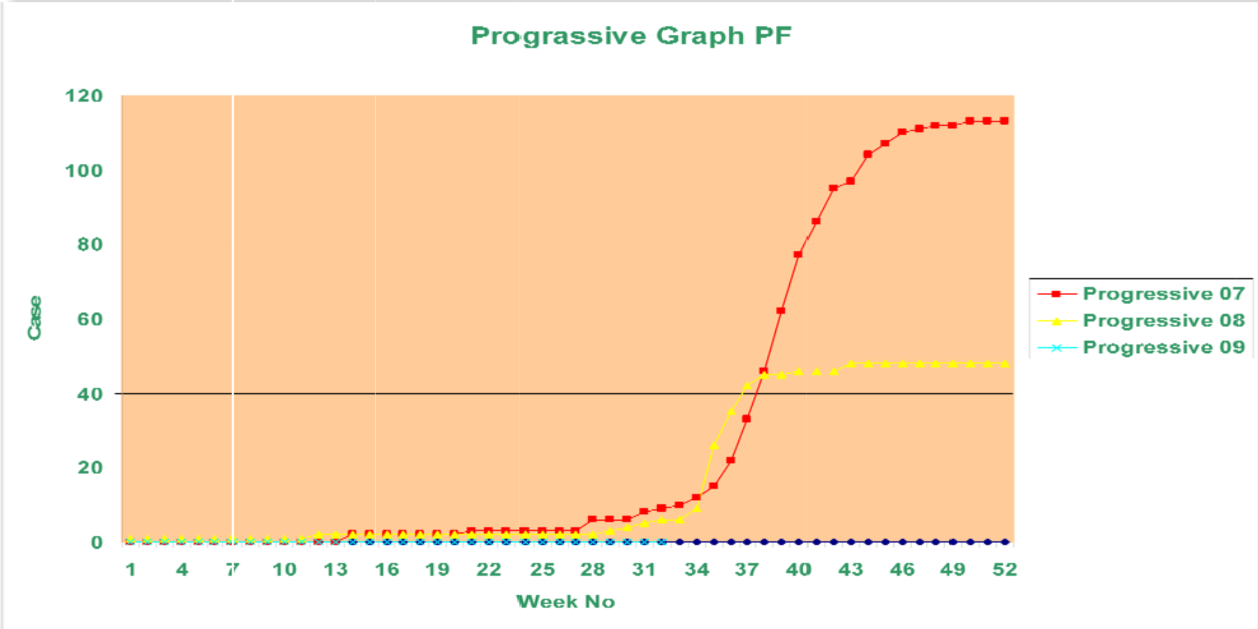

(स्रोत – मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी कार्यालय, टोंक)

उपरोक्त ग्राफ चाट्‌र्स से स्पष्ट है कि जिले में मलेरिया के कैसेज वर्ष 2007 एवं 2008 में पाये गये है। वर्ष 2009 में माह अगस्त तक कोई मलेरिया का केस प्रमाणित नही हुआ है।

संचारी रोग (Communicable Diseases)

संचारी रोगों में पिलीया, चेचक, मलेरिया, डायरिका, टाईफाईड, टी.बी. आदि रोग है, इन रोगो की जिले में गत तीन वर्षो की स्थिति को विभिन्न ट्रेन्ड ग्राफ्स में दर्शाया गया है।

f t y s e s fi yh;k jksx ¼Jaundice½ dh fLFkfr

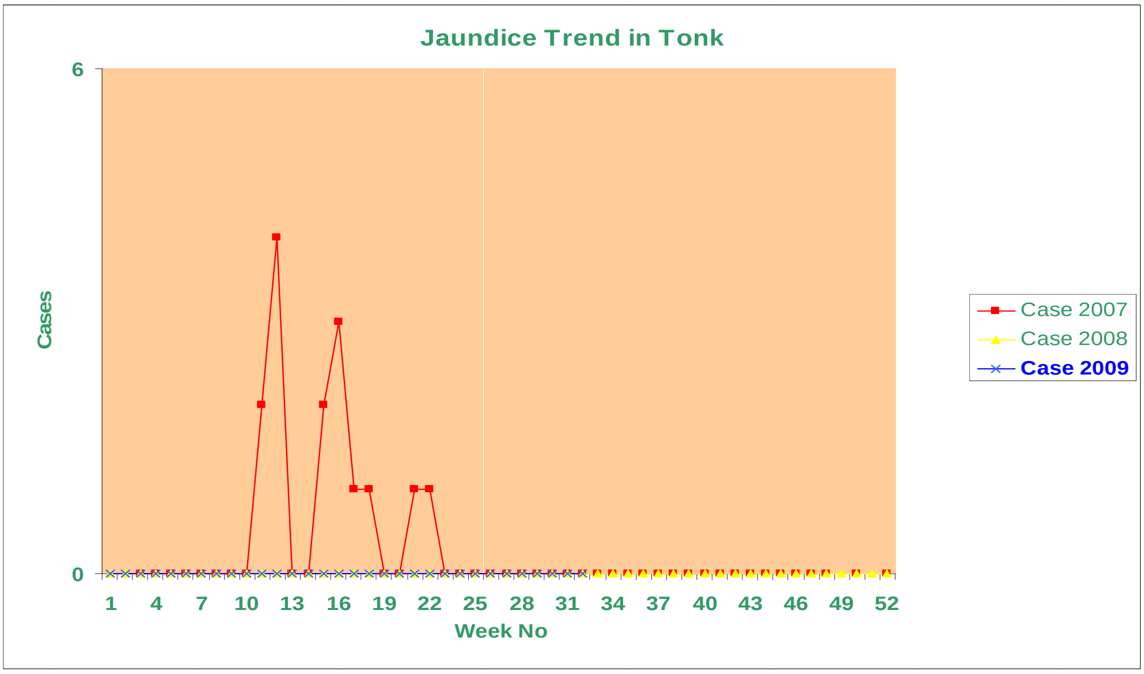

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

ftys esa fiyh;k jksx ¼Jaundice½ dk izdksi x;s eghuks dh fLFkfr

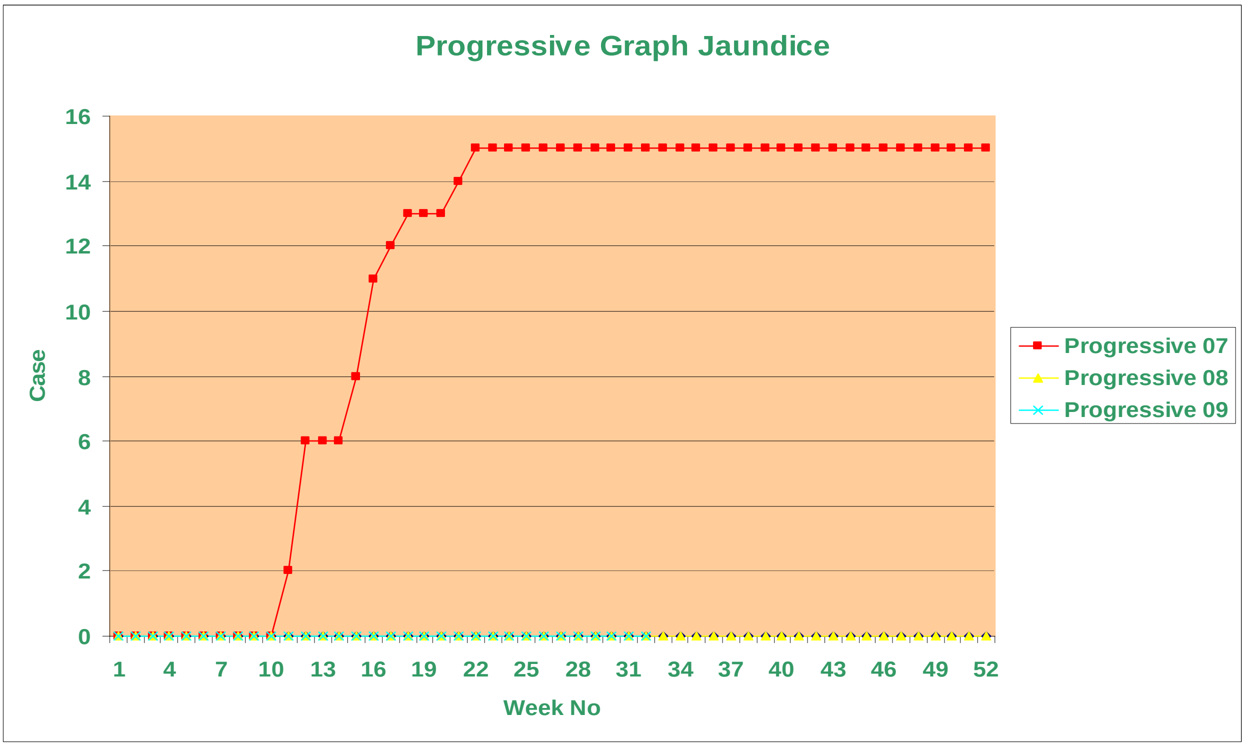

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

ftys esa pspd jksx ¼Measles½ dh fLFkfr

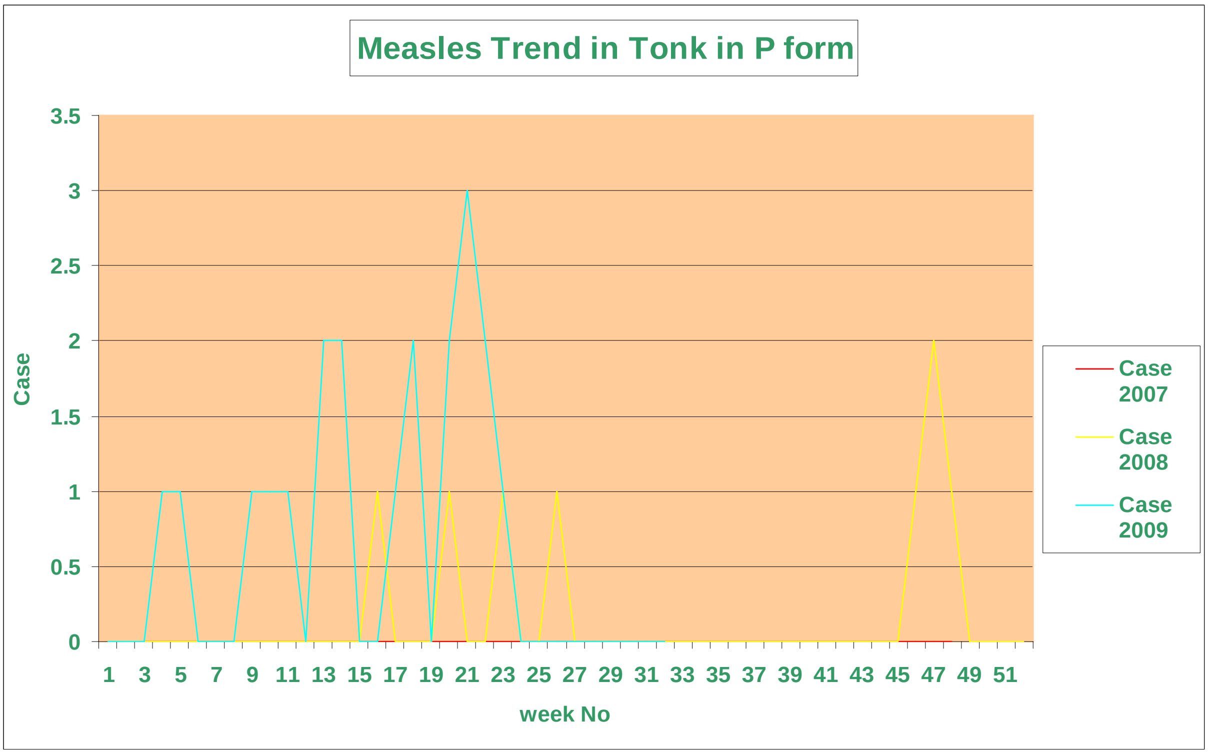

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

ftys esa ppd jksx ¼Measles½ ds ejhtksa ,oa e`R;q dh fLFkfr

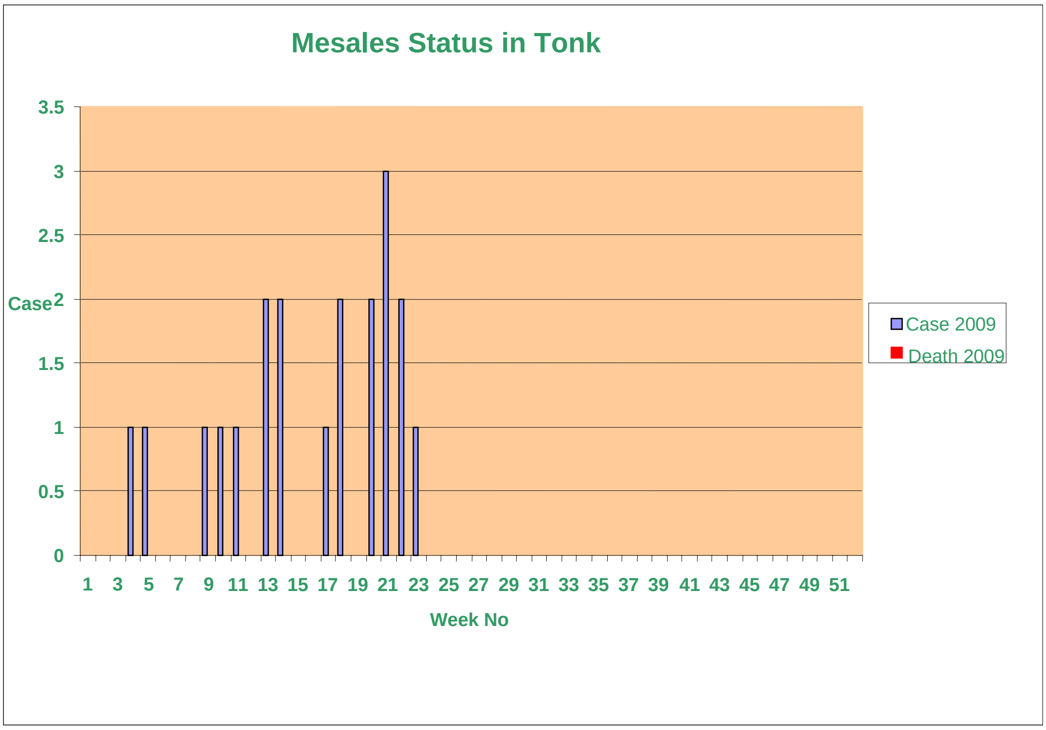

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

ftys esa eysfj;k jksx ¼PV½ ds ejhtksa ,oa e`R;q dh fLFkfr

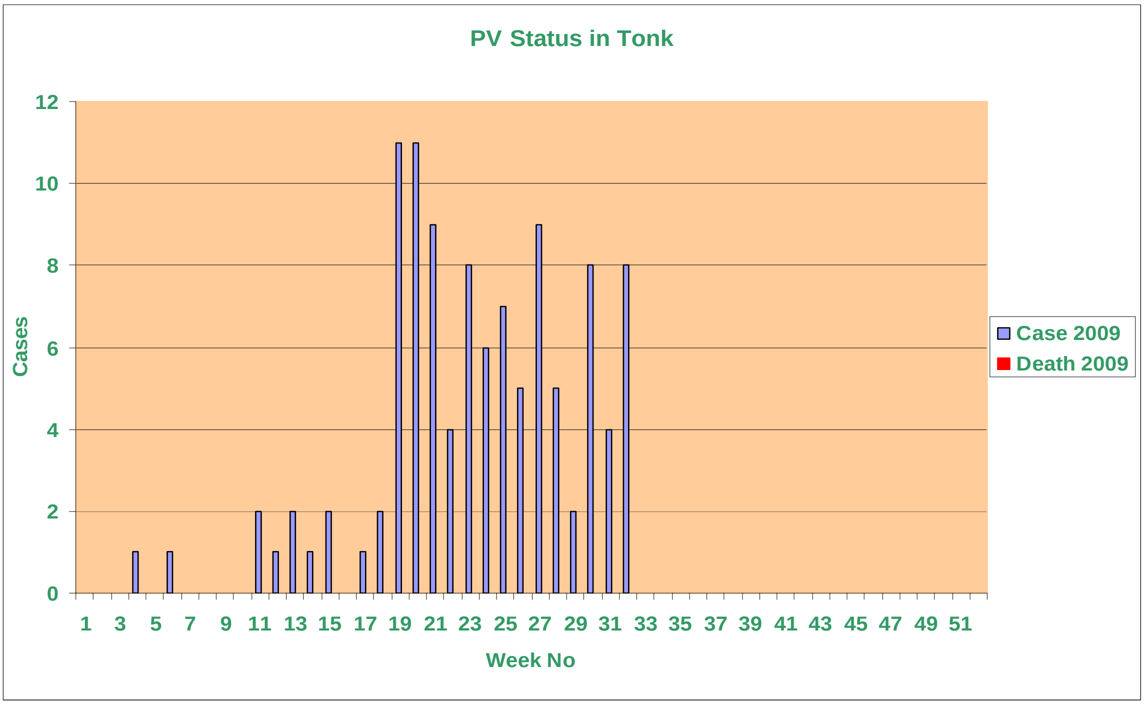

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

ftys esa Mk;fj;k jksx ¼Dehydration½ dh fLFkfr

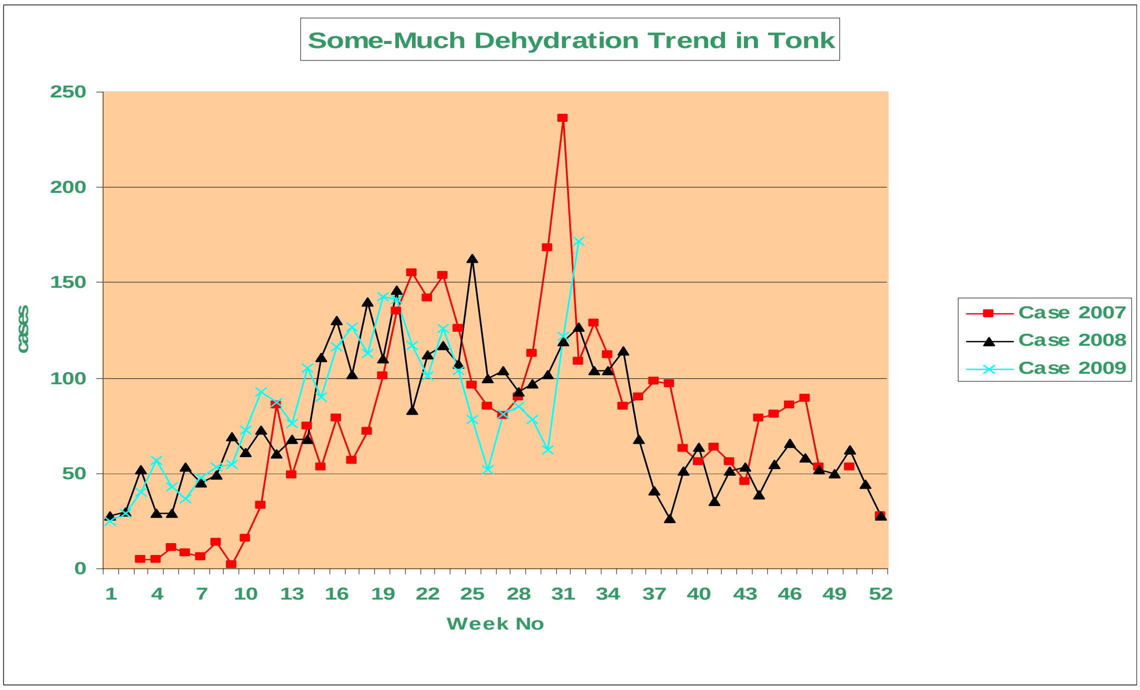

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

ftys esa VkbQkbM jksx ¼Typhoid½ ds ejhtksa ,oa eR;q dh fLFkfr

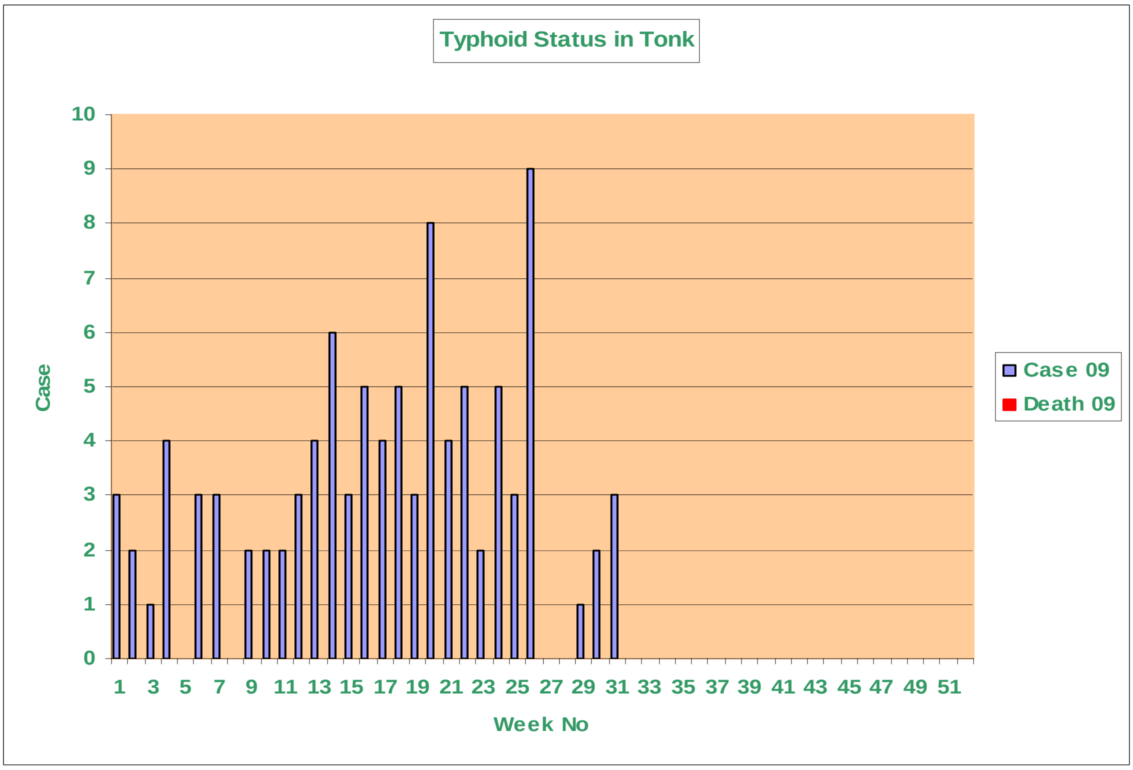

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

ftys esa VkbQkbM jksx ¼Typhoid½ dh fLFkfr

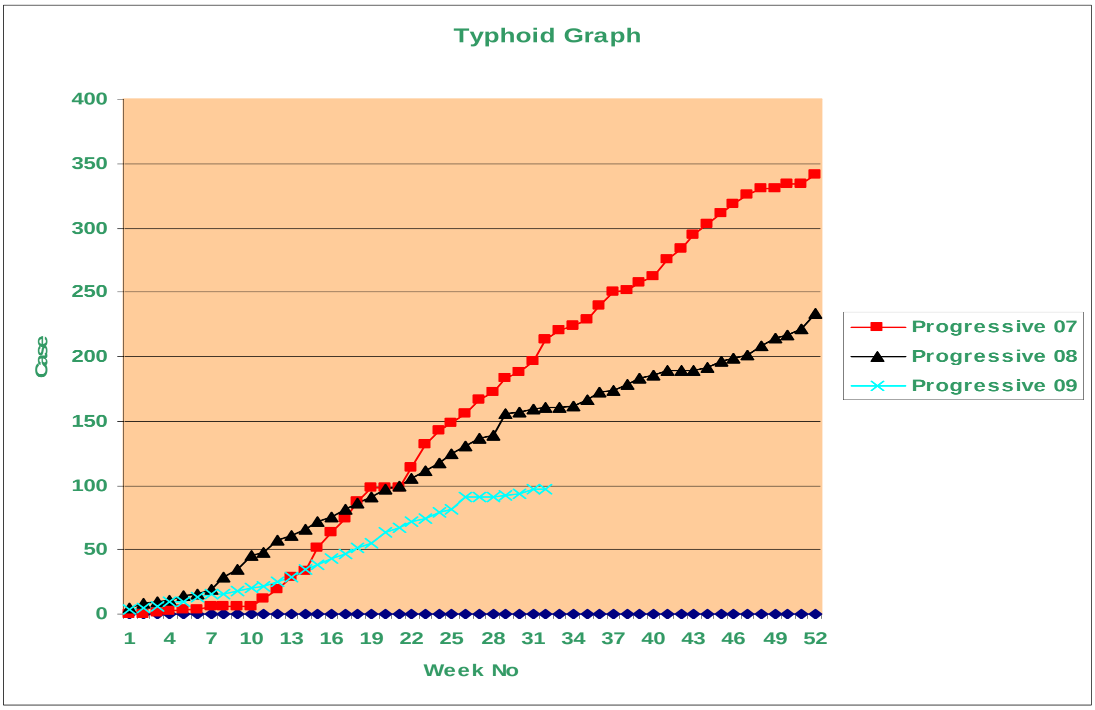

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

ftys esa {k; jksx ¼TB½ dh fLFkfr

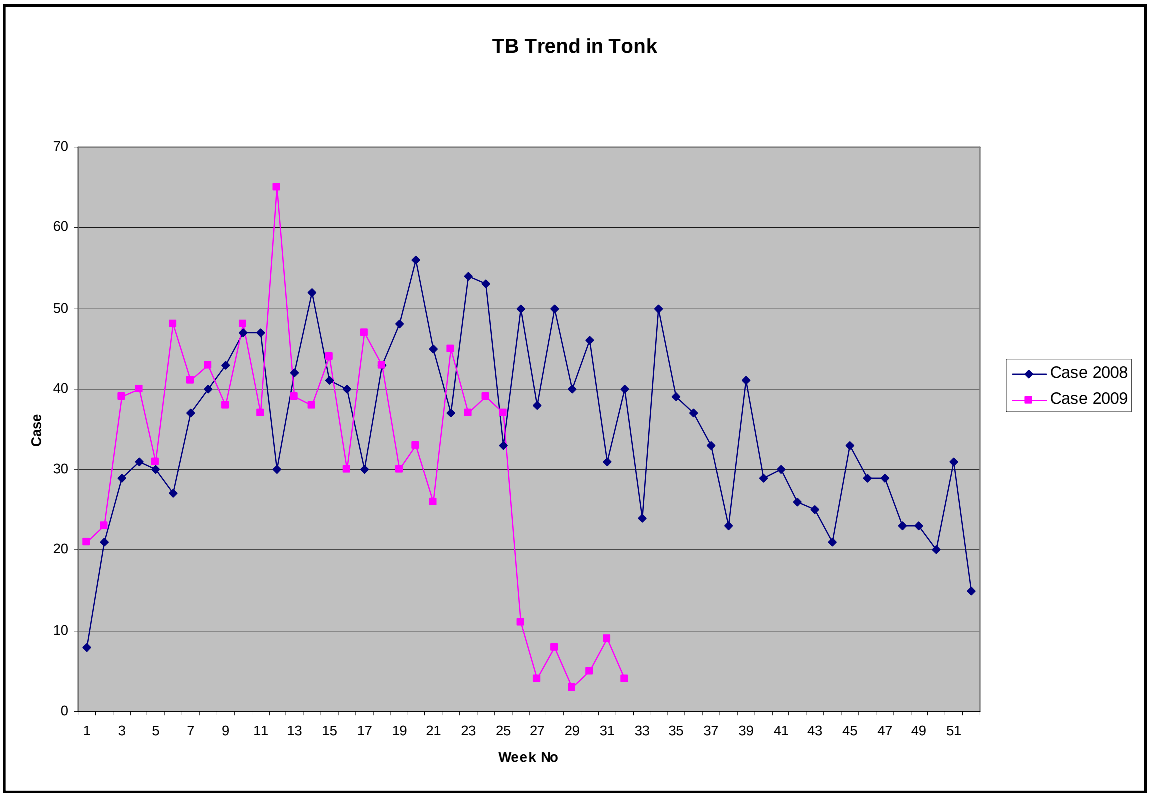

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

ftyk e {k; jkx ¼TB½ dh fLFkfr

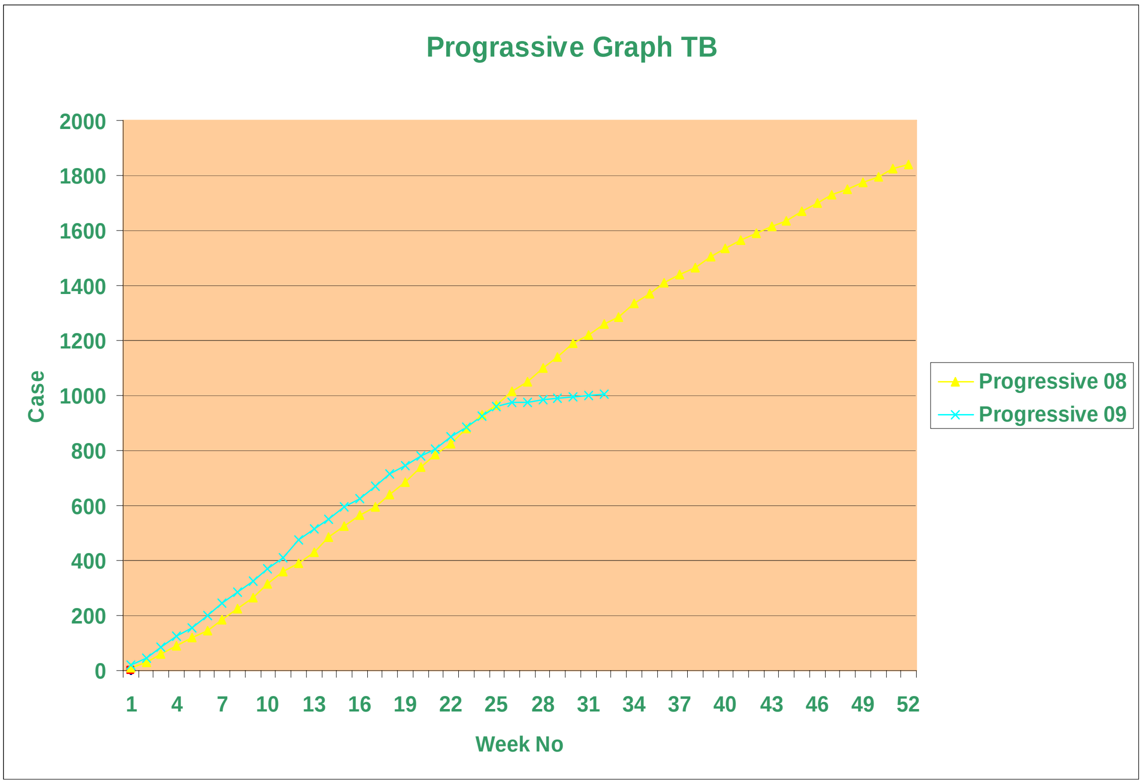

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

3.14.1 कम्न्यूनिकेबल डिजीज के संबंध में सुझाव/बचाव के तरीके

1. मरीज के सभी कपड़े बर्तन आदि को अलग से रखना।
2. साफ पानी का इस्तेमाल करना – घर में पानी के बर्तन को ढक कर रखना, पानी को 10 मिनिट तक उबाल कर ठण्डा कर पीना।
3. भोजन बन्द करके रखना।
4. फल एवं सब्जियों को पूर्ण रूप से धोने के पश्चात इस्तेमाल करना।
5. खाना रखने से पूर्व बर्तन को अच्छी तरह से साफ करना।
6. खाना बनाने से पूर्व, खाने से पूर्व, शौच के बाद साबुन द्वारा अच्छी तरह से हाथ धोना।
7. भीड़–भाड़ वाले ईलाकों में जाने से बचना।
8. घर एवं आस पास की जगह को साफ सुथरा रखना।

3.15 <u>जिले में स्वास्थ्य के विशेष मुद्दे</u> :–

3.15.1 जिले में प्रथम बच्चे के जन्म के समय महिला की उम्र की स्थिति :–

जिलें मे 15 से 19 आयु वर्ग की महिलाओं का प्रथम बच्चे के जन्म के समय का प्रतिशत 11.4 है। जो राज्य के 4.7 प्रतिशत से अधिक है। जिलेवार स्थिति का चित्रण निम्न चार्ट मे दर्शाया गया है।

प्रथम बच्चे के जन्म के समय महिला की औसत उम्र की स्थिति

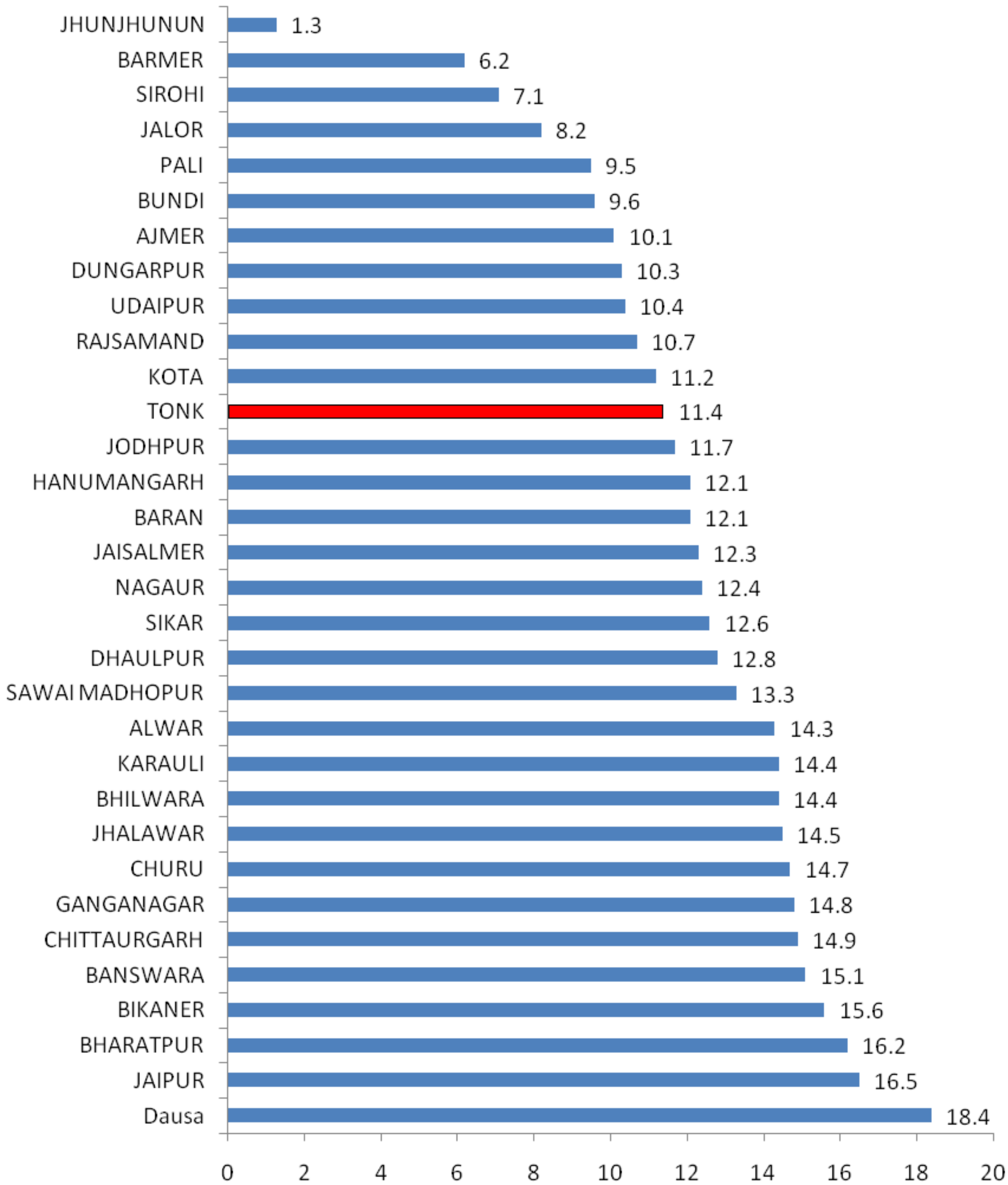

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

Intervention

इस आयु वर्ग की महिलाओं में शारिरीक एवं मानसिक विकास पूर्ण नही हो पाता जिसके कारण वह प्रसव के समय सर्वाधिक खतरे में होती हैं। अतः महिला की विवाह के समय उम्र 18 वर्ष तथा पहले बच्चे के समय उम्र 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

3-15-2 f t y: e: vueV uhM (Unmetneed) dh fLFkfr &

जिले में डी.एल.एच.एस 3 के अनुसार अनमेट नीड 18.6 प्रतिशत है जो राज्य औसत 17.9 प्रतिशत से अधिक है। जिलेवार स्थिति निम्नानुसार है–

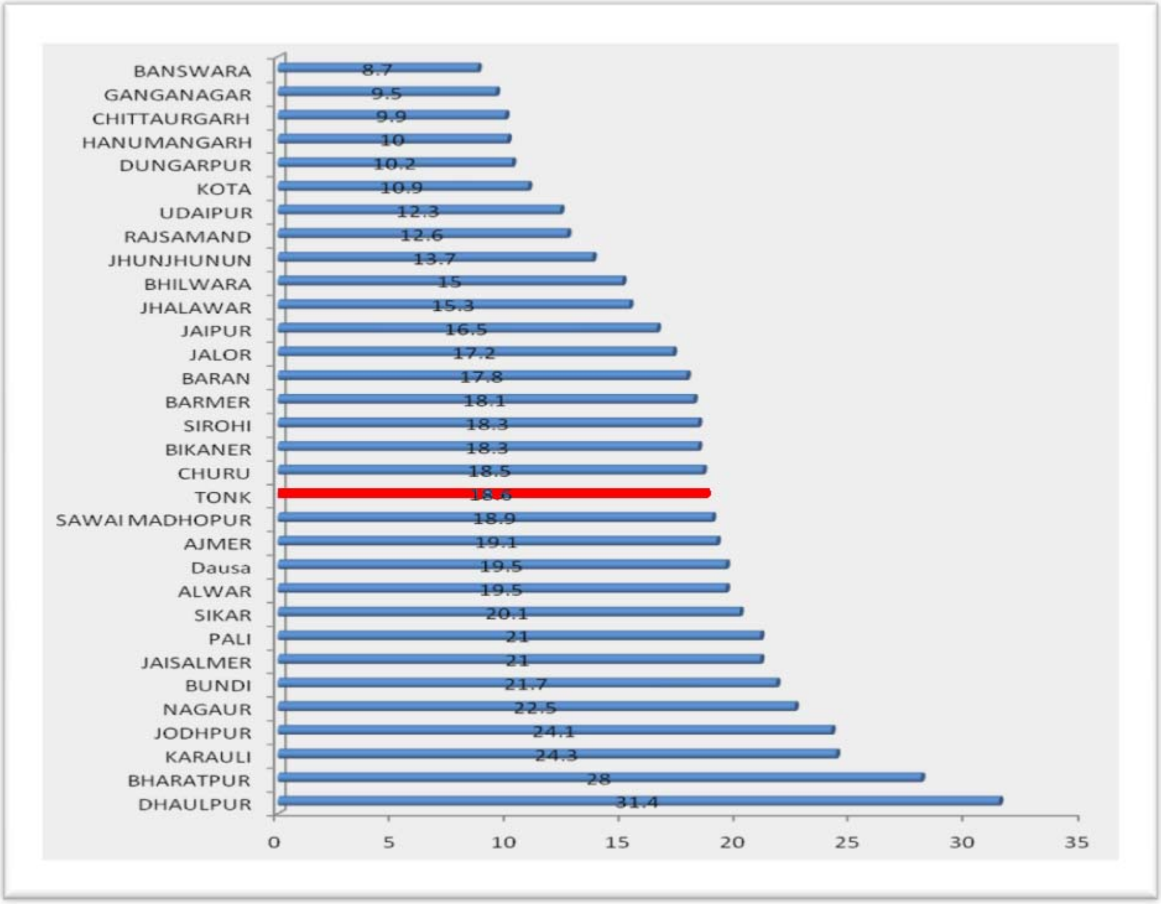

स्त्रोत – जिला परिवार कल्याण एवं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की रिपोर्ट (2008–09)

INTERVENTION

टोंक में अनमेट नीड का प्रतिशत 18.6 है जो कि राज्य के औसत प्रतिशत 17.9 से अधिक है जिसे कम करने के लिए हर एलिजिबल कपल को सही परामर्श दिया जाना चाहिए वे अपनी आवश्कता के अनुरुप सही मेथड चुन सकें साथ ही, परिवार नियोजन के साधन उसकी पहुंच में हो।

3.15.3 दस्त के ईलाज के लिए जिंक का इस्तेमाल

ओ.आर.एस. और जिंक का इस्तेमाल दस्त के ईलाज के लिए किया जाना चाहिए ताकि आई. एम.आर. को कम किया जा सके। इसको प्रचार प्रसार के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यही संदेश समुदाय में सभी ए.एन.एम., आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एमसीएचएन डे वाले दिन देना चाहिए।

3.15.4 आई.एम.एन.सी.आई के मुख्य सिद्धान्त

- 0, 3, 7 दिन के बच्चों के लिए ग्रह भ्रमण करना अनिवार्य है।
- व्यवहार में बदलाव के लिए लगातार प्रयास जैसे कि बच्चे को ठण्ड से बचायें, पूर्ण स्तनपान, समय से पूरक आहार की शुरूआत और संक्रमण से बचाव।
- नवजात शिशु की देखभाल के लिए एफ.आर.यू का निर्माण।

3.15.5 साधारणतया बच्चों में होने वाली बीमारियों का समुचित प्रबन्धन जैसे कि दस्त, ए.आर.आई., मलेरिया, खसरा आदि के लिए जिले में निम्न विशेष प्रयास किये जा रहे है।

- टोंक में आईएमएनसीआई की 710 आशा और 285 ए.एन.एम. कुल 1189 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कराई गई है जिनमें चिकित्सक भी शामिल हैं।
- इन कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण की निगरानी बनस्थली की छात्राओं और स्वास्थ्य एवं आईसीडीएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। इन कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग अजमेर में इसी वर्ष हुई है।
- सामुदायिक स्तर पर दवाईयां और ओ.आर.एस. की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
- लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए सघन प्रयास किये जा रहे है।

3.16 जिले में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम की स्थिति :–

जिले में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 बाल विकास परियोजना स्वीकृत है जिनमे एक शहरी परियोजना तथा 6 ग्रामीण परियोजनाएं संचालित है। इन परियोजनाओं में कुल 1196 आंगनबाडी केन्द्र संचालित किये जा रहें है जिनके माध्यम से पूरक पोषाहार, टीकाकरण, आदि सेवाएं बच्चो एवं महिलाओं के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

3.17 सारांश :—

स्वास्थ्य सूचकांको की दृष्टि से टोंक जिला राज्य के अन्य जिलों की तुलना में पिछड़ा हुआ है तथा कई सूचकांको में राज्य औसत से भी निम्न स्तर की स्थिति है। जिले में स्वास्थ्य सूचकांको के स्तर में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। सारांश रूप में जिले में मुख्य रूप से निम्न क्षेत्रो में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है –

- शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रभावित कारको जैसे – जन्म के पहले घण्टे में मां का दूध पिलाना, शिशु को 6 माह तक केवल मां का दूध पिलाना, समयबद्ध टीकाकरण कराना, पूरक पोषाहार सेवाओं की जानकारी एवं लाभ प्राप्त करना आदि के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार कर लक्षित समूह को अधिक से अधिक जानकारी दी जानी चाहिए।
- मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रभावित कारको जैसे – प्रसव पूर्व जांच, प्रसव पश्चात जांच, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव आदि के सम्बन्ध में सेवा स्तर में सुधार लाना एवं लक्षित समूह को अधिक से अधिक जानकारी देना चाहिए।
- जिले की प्रजनन दर को राज्य स्तर तक लाने के लिए परिवार नियोजन के साधनो के उपयोग को बढावा देने हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं जनमंगल जोड़ो द्वारा प्रभावी कार्य करना।
- संस्थागत प्रसव का वर्तमान स्तर लगभग 70 प्रतिशत है जिसको 100 प्रतिशत लाने हेतु प्रसव सुविधाओं का विस्तार किया जाना अपेक्षित है साथ ही इस क्षेत्र में सर्वाधिक पिछड़े हुए ब्लॉक उनियारा एवं टोडारायसिंह में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।
- परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें अन्य विभागों को जैसे राजस्व एवं पंचायती राज आदि को भी इसके राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए अपना सहयोग देना चाहिए।

v/;k;&4

ftys dh vkthfodk ¼Livelyhood½ dh fLFkfr

4.1 जिलें में आजीविका का सामान्य परिदृश्य –

टोंक जिला आजीविका की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, यहां पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होने से अधिक मात्रा मे बेरोजगारी है। यहां की 2001 की जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या का 43.96 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसंख्या में दर्ज है लेकिन इसमें भी मुख्य कार्यशील जनसंख्या अर्थात पूर्ण कालिक रोजगार में 35.09 प्रतिशत जनसंख्या ही नियोजित है। कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग लगभग 69 प्रतिशत कृषि एवं कृषि मजदूर श्रेणी में नियोजित है। जिले में कृषि जोतों का आकार छोटा होने, पर्याप्त वर्षा नही होनें तथा सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण कृषि के उत्पादन में भी अपेक्षित वृद्धि नही हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की आय एवं क्रय शक्ति राज्य के अन्य जिलों की तुलना में काफी कम है।

जिला औद्योगिक विकास की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। जिले में वृहत एवं मध्यम श्रेणी के मात्र 6 उद्योग है, जिनमें लगभग 2000 व्यक्ति नियोजित है। इसी प्रकार लघु एवं कुटीर श्रेणी के उद्योगों में भी वर्ष 2007–08 की रिपोर्ट अनुसार लगभग 25000 व्यक्ति नियोजित है। इस प्रकार जिलें की कुल कार्यशील जनसंख्या में औद्योगिक क्षेत्र के नियोजन का लगभग 4 प्रतिशत भाग है। जो स्वतः ही जिले के औद्योगिक पिछड़ेपन को प्रकट करता है। जिलें के औद्योगिक पिछड़ेपन का असर सीधे शहरी क्षेत्रों में परिलक्षित होता है, जहां गरीबी की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाई जाती है। जिलें के शहरी क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत 30.29 है। (बी.पी.एल. परिवारों की संख्या अनुसार) जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 21.10 प्रतिशत है। टोंक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक बी.पी.एल. परिवार (लगभग 36 प्रतिशत) निवास करते है।

जिलें में पशुधन भी लोगों की आजीविका में एक सहायक कारक बना हुआ है, पशुधन के माध्यम से दूध, घी, खाद, ऊन, मांस आदि सह उत्पादों से लोगों की आय में वृद्धि होती है। जिले में टोंक जिला दूग्ध उत्पादक सहकारी संघ संचालित है, जिसके अधीन लगभग 250 दूग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है। जिलें में प्रति दिन लगभग 3.84 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है।

आजीविका के मुख्य आधार कृषि एवं उद्योग में जिला अग्रणी नही होने से आजीविका से जुड़े अन्य पहलू जैसे– आवासीय सुविधा, शिक्षा, रहन–सहन का स्तर आदि क्षेत्रों में भी जिलें के लोगों का स्तर निम्न श्रेणी का पाया जाता है। जिले में 2001 की जनगणना अनुसार 43.20 प्रतिशत परिवार पक्के घरों में, 36.90 प्रतिशत परिवार अर्द्ध पक्के घरों में तथा 19.80 प्रतिशत परिवार कच्चे या अस्थाई घरो में निवास करते है। जिले की साक्षरता दर 52 प्रतिशत है इसमें भी महिला साक्षरता दर मात्र 32.2 प्रतिशत है।

4.2 जिलें का आर्थिक भूगोल –

आर्थिक भूगोल के विभिन्न पक्षों की दृष्टि से यह जिला कई एकाकी विशेषताएँ रखता है। जिलें का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7194 वर्ग कि.मी. है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 2.10 प्रतिशत है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से टोंक जिला राज्य में 18 वें पायदान पर है। टोंक जिलें का क्षेत्रफल डूंगरपुर जिले से लगभग दो गुना व उदयपुर जिलें का लगभग आधा है।

जनसंख्या की दृष्टि से सन् 2001 की जनगणना के अनुसार टोंक जिला राज्य में 19 वें पायदान पर है, जहाँ इसकी जनसंख्या 12.12 लाख है। जिनमें 6.26 लाख पुरूष और शेष 5.85 लाख महिलाएँ है। यहाँ लिंग अनुपात 934 और 1991–2001 दशक की वृद्धि दर 24.27 प्रतिशत पायी गयी है। टोंक जिलें में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 2.14 प्रतिशत अंश पाया जाता है। इस जिलें में कुल कार्यशील जनसंख्या लगभग 5.32 लाख है।

2001 की जनगणना के अनुसार टोंक जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 79.11 है जबकि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 20.89 है। यह अनुमान लगाया गया है कि टोंक जिलें की जनसंख्या 2021 में बढ़कर 18.48 लाख हो जायेगी।

कृषि विकास की दृष्टि से टोंक जिला एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सिंचाई के साधनों का पूर्णरूपेण अभाव होने के कारण व्यावसायिक फसलों का उत्पादन बहुत कम है। टोंक जिले में खाद्यानों का औसत उत्पादन लगभग 210 मैट्रिक टन है जबकि कुल कृषि उत्पादों का औसत उत्पादन लगभग 358 मैट्रिक टन है। इसी प्रकार ज्वार, मक्का, ग्वार, धान, जैसी फसलें भी न्यूनाधिक मात्रा में टोंक जिलें से प्राप्त होती है। गेहूँ, जौ व चनें का उत्पादन टोंक जिलें की आवश्यकतानुसार प्राप्त हो जाता है।

औद्योगिक दृष्टि से टोंक जिला पूर्णरूपेण अविकसित है। पूंजी की कमी, औद्योगिक आगतों की पूर्ति में कमी और उद्यमशीलता की कमी के कारण टोंक जिलें का द्वितीय क्षेत्रीय

विकास उपयुक्त आयामों को नही छू पाया है। यातायात के साधनों में विशेषकर रेलवे यातायात की कमी के कारण टोंक जिलें का औद्योगिक विकास अत्यन्त पिछड़ा हुआ है।

4.3 भूमि उपयोग के पैटर्न –

भू–उपयोग की दृष्टि से टोंक जिलें में कार्यशील सीमान्त भू–जोतों की संख्या 50,392, लघु जोतों की संख्या 37,628 और अर्द्ध मध्यम जोतों की संख्या 39,946 है। इस जिलें में भू–जोतों की कुल संख्या 1,69,481 है, जिनका कुल क्षेत्र 5,18,773 हेक्टेयर है। 2001 में टोंक जिलें में जोतों का औसत आकार 3.06 हेक्टेयर रहा है। जिसमें 1995–96 की तुलना में 9.73 प्रतिशत की कमी आई है। टोंक जिलें का कुल क्षेत्रफल 7,17,958 हेक्टेयर है जिसमें 27,048 हेक्टेयर में वन है जो कुल क्षैत्र का 3.77 प्रतिशत है। स्थाई चारागाहों में 42,690 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त होती है जो कुल क्षैत्र का 5.25 प्रतिशत है। टोंक जिलें में भू–जोतों का वितरण असमान है। एक ओर ऐसे किसान हैं जिनके पास सैकड़ों बीघा भूमि है तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में भूमिहीन एवं लघु/सीमान्त कृषक परिवार पाये जाते है। जिलें में भूमि उपयोग की स्थिति का विवरण तालिका संख्या 4.1 में दर्शाया गया है।

rkfydk l- 4-1

ftys e: Hkfe mi;kx dk fooj.k

क्र. सं.	भूमि का प्रकार	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	कुल भौगोलिक क्षेत्र	717960	717960	717958	717958	100
2	वन	26048	26915	26944	27048	3.77
3	कृषि अयोग्य भूमि	43725	30752	100809	29233	4.07
4	स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि	44095	44453	43511	42690	5.95
5	वृक्षों के झुण्ड एवं बाग	119	148	112	147	0.02
6	बंजर कृषि योग्य भूमि	45611	46921	45486	43836	6.11
7	अन्य पड़त भूमि	45277	61593	41137	29967	4.17
8	चालू पड़त भूमि	86000	124102	30537	31025	4.32
9	वास्तविक बोया गया क्षेत्र	397385	340752	456366	466164	64.93
10	दुपज क्षेत्र	70010	32187	93424	129375	18.02
11	बोया गया कुल क्षेत्रफल (9+10)	397385	372939	549790	595539	82.95

(स्रोत– कार्यालय जिला सांख्यिकी अधिकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जिलें में शुद्ध रूप से बोये गये क्षेत्रफल का प्रतिशत 64.93 है। तथा दुपज क्षेत्र मात्र 18.02 प्रतिशत है, जिसका मुख्य कारण सिंचाई साधनों का अभाव है। इसी प्रकार जिलें में वन क्षेत्र भी 3.77 प्रतिशत है जिससे जिलें की अर्थव्यवस्था में वन उत्पादों का योगदान भी नगण्य है।

4-4 Hk& l/kkjk dk iHkko %&

टोंक जिले में भू–सुधारों की प्रक्रिया के अन्तर्गत किसानों को भू–स्वामी बना दिया गया है। उपविभाजन व अपखण्डन की समस्यायें बहुत देखने को मिलती है। सीमा निर्धारण की दिशा में उचित कदम न उठ पाने के कारण जोत के आकार में विषमतायें पाई जाती है। जहाँ तक टोंक जिलें में भू–सुधारों की प्रगति का सवाल है यहां यह प्रगति नही के बराबर हुई है। चकबन्दी की प्रक्रिया गतिशील नहीं हो पाई है।

4-5 df"k fofof/kdj.k ¼df"k dk orieku Lo:i vkj gky gh e g, Qly cnyko dh fLFkfr½ & कृषि ग्रामीण क्षेत्रो में आजीविका का मुख्य साधन है। जिलें में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि व कृषि मजदूरी पर निर्भर रहती है। इस प्रकार कृषि की उत्पादकता व कृषि उत्पादन लोगो की आजीविका से जुडा हुआ विषय है।

जलवायु की दृष्टि से टोंक जिला जोन III ए अर्द्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में असामान्य मानसून एवं वर्षा के असमान वितरण की प्रमुख समस्या है जिससे वर्षा पोषित फसलों की उत्पादकता कम व अस्थिर रहती है। जिलें का औसतन न्यूनतम तापमान 7^0 सेन्टीग्रेड तथा अधिकतम 46^0 सेन्टीग्रेड है। जिलें में औसतन 559.5 मि.मी. वार्षिक वर्षा होती है।

जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7,17,958 हैक्टर है, जिसमें से कृषि योग्य भूमि 4,75,240 हैक्टर है जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 66 प्रतिशत है। खरीफ में औसत बुवाई क्षेत्रफल 2,63,456 हैक्टर तथा रबी में 2,91,881 हैक्टर रहता है। जिले में रबी में मुख्य रूप से सरसों, गेहूॅ, चना, जौ व तारामीरा तथा खरीफ में ज्वार, बाजरा, मूंग, मक्का, मूंगफली व तिल की बुवाई की जाती है। जिलें में रबी एवं खरीफ में बोये गये क्षेत्रफल एवं फसलवार उत्पादन की पिछले वर्षो की प्रवृत्ति (Trend) को तालिका संख्या 4.2 एवं 4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 4.2

ftys esa o"kZ 2000&01 ls 2007&08 rd dh mRiknu ,oa cks;s x;s {ks=Qy dk fooj.k

[kjhQ

¼{ks=Qy gsDV;j ,oa उत्पादन टन esa½

क्र.स.	वर्ष	2000 –01		2001 –02		2002 –03		2003 –04		2004 –05		2005 –06		2006 –07		2007–08	
	फसलें	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
1	अनाज	132975	41802	126915	55149	150526	25740	209377	211632	109408	86259	129329	66203	139392	78212	157903	136777
2	दलहन	68886	22951	71197	17122	95663	5786	102323	53003	61779	19354	61165	13386	43820	13252	70989	30253
3	तिलहन	23389	10227	32015	15317	38151	957	21973	14826	37143	17246	28304	16705	23632	4425	28402	13883
4	अन्य	33781	17404	17822	17810	8069	4268	12455	14821	4759	7303	5709	11472	4317	8956	6554	6532
; kx		259031	92384	247949	105398	292409	36751	346128	294282	213089	130162	224507	107766	211161	104845	263848	187445

(स्त्रोत – उप निदेशक, कृषि विस्तार)

तालिका सं. 4.3

ftys esa o"kZ 2000&2001 ls 2007&08 rd dh mRiknu ,oa cks;s x;s {ks=Qy dk fooj.k

jch

¼{ks=Qy gsDV;j ,oa mRiknu Vu esa½

क्र. स.	वर्ष	2000 –01		2001 –02		2002 –03		2003 –04		2004 –05		2005 –06		2006 –07		2007–08	
	फसलें	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
1	अनाज	78846	121859	66049	136271	46026	90016	53423	138343	65923	179012	59274	148965	67604	171518	75296	180620
2	दलहन	32429	15129	25326	17453	2781	1903	31959	17713	25259	18322	13850	7687	6759	4998	10112	6900
3	तिलहन	106717	77627	101652	62936	12608	11415	98191	91813	274663	263326	297014	298314	180787	146694	168327	134500
4	अन्य	5335	3165	11787	5359	4762	1394	4717	2919	2455	1875	1104	738	2372	984	6794	2400
; kx		223327	217780	204814	222019	66177	104728	188290	250788	368300	462535	371242	455704	257522	324194	260529	324420

(स्त्रोत – उप निदेशक, कृषि विस्तार)

तालिका सं. 4.4

[kjhQ o jch dh Qlyk dk o"kZ 2000&01 l s 2007&08 rd dqy mRiknu@{ks=Qy dk fooj.k

¼{ks=Qy gsDV;j ,oa mRiknu Vu esa½

क्र. स.	वर्ष फसलें	2000 –01		2001 –02		2002 –03		2003 –04		2004 –05		2005 –06		2006 –07		2007–08	
		क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
1	अनाज	211821	163661	192964	191420	196552	115756	262800	349975	175331	265271	188603	215168	206996	249730	233199	316997
2	दलहन	101315	38080	96523	34575	98444	7689	134282	70716	87038	37676	75015	21073	50579	18250	81101	37153
3	तिलहन	130106	87854	133667	78253	50759	12372	120164	106639	311806	280572	325318	315019	204419	151119	196729	148383
4	अन्य	39116	20569	29609	23169	12831	5662	17172	17740	7214	9178	6813	12210	6689	9940	13348	8932
	; kx	482358	310164	452763	327417	358586	141479	534418	320070	581389	592697	595749	563470	468683	429039	524377	511865

(स्त्रोत – उप निदेशक, कृषि विस्तार)

जिलें मे कुल बोये गये क्षेत्रफल की वर्षवार स्थिति (हेक्टेयर) –

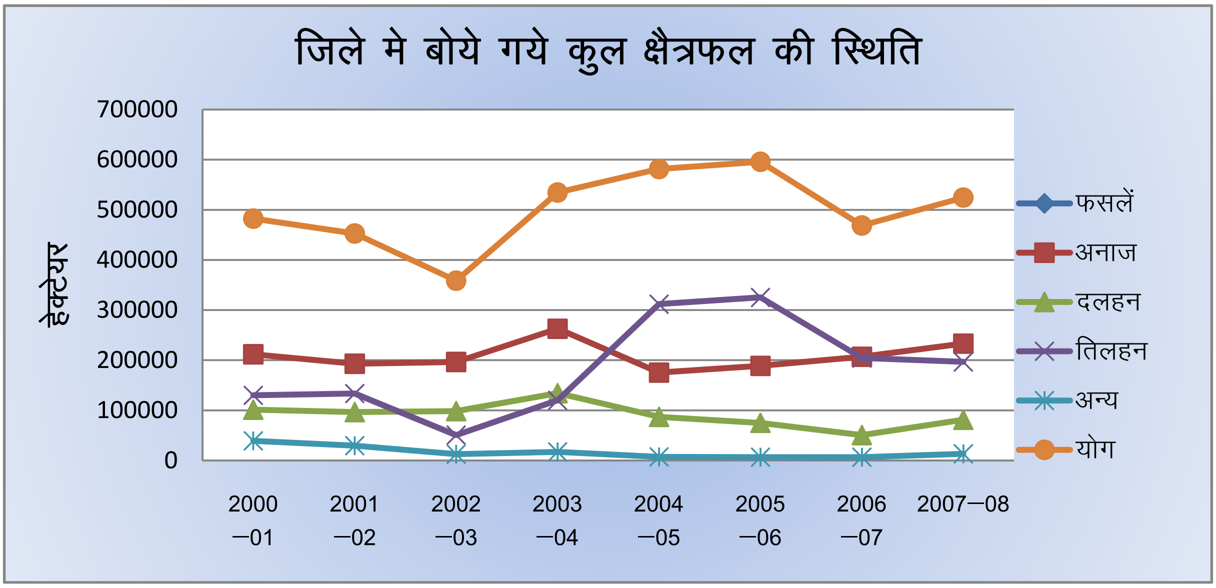

(स्त्रोत – उप निदेशक, कृषि विस्तार)

उपरोक्त तालिका सं. 4.4 एवं ग्राफ चार्ट से स्पष्ट होता है कि जिले में वर्ष 2000–01 से 2007–08 के वर्षो में बोये गये क्षैत्रफल में काफी उतार – चढाव आया है इससे यह प्रमाणित होता है कि टोंक जिलें की कृषि पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है। वर्ष 2004–05 व 2005–06 में जिले में मानसून की अच्छी स्थिति के कारण बुआई का क्षेत्रफल अधिकतम रहा है। ग्राफ चार्ट से स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष 2003–04 से तिलहन के क्षैत्रफल में निरन्तर वृद्धि हुई है अर्थात किसानों का नकदी/व्यावसायिक फसलों की ओर रुझान बढ़ा है।

जिलें मे कुल उत्पादन की वर्षवार स्थिति (टन) –

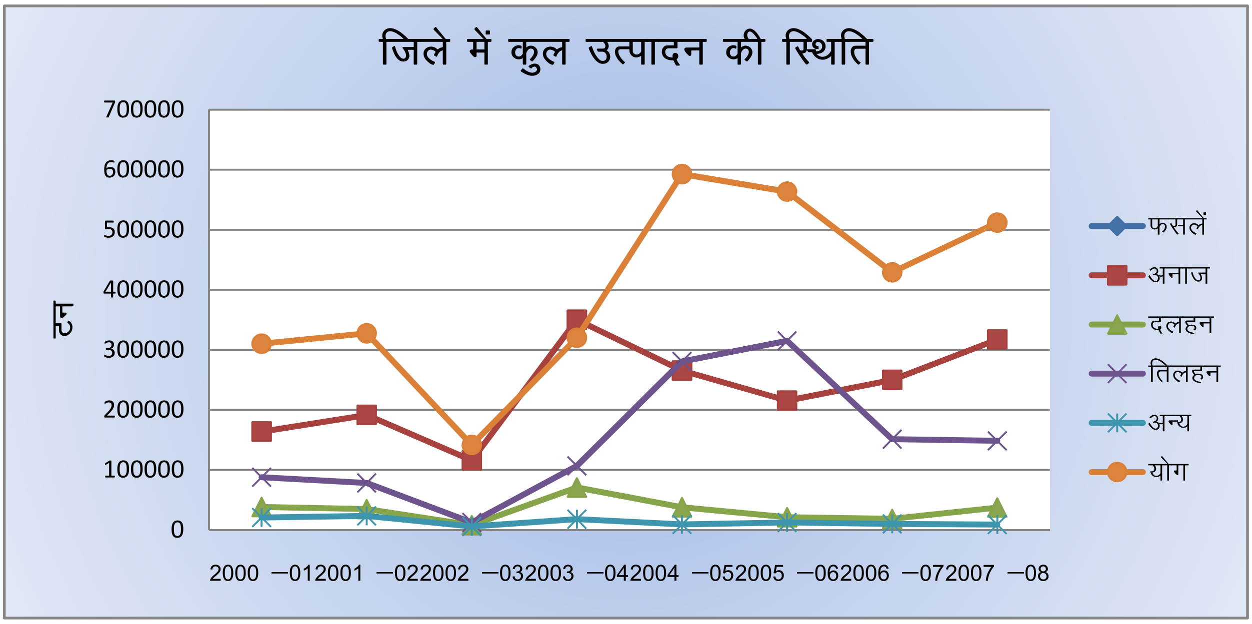

(स्त्रोत – उप निदेशक, कृषि विस्तार)

उपरोक्त तालिका सं. 4.4 एवं ग्राफ चार्ट से स्पष्ट होता है कि जिले में वर्ष 2000–01 से 2007–08 के वर्षो में कुल कृषि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है जहां 2000–01 में कुल उत्पादन 3,10,164 टन था वही 2007–08 में यह बढकर 5,11,865 टन हो गया है। इसी प्रकार अनाज एवं तिलहन के उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2003–04 से तिलहन एवं अनाज के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है अर्थात किसानों का नकदी/खाद्यान फसलो की ओर रुझान बढ़ा है।

4.6 सिंचाई का प्रभाव :–

जिलें में बीसलपुर बांध के निर्माण फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र में वृद्वि हुई है, नीचे दी गई तालिका सख्या 4.5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2000–01 में सिंचित क्षेत्र जो 7583 हैक्टर था, बढ़कर 2007–08 में 2,17,378 हैक्टर हो गया हैं। सिंचित क्षेत्र बढ़ने से जिलें में गेहूं, सरसों एवं उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादकता में वृद्वि हुई है। इसी प्रकार सिंचाई उपलब्ध होने से हरा चारा उत्पादन में वृद्धि से दुग्ध उत्पादन, पशुधन संवर्धन भी हुआ है। इस प्रकार कृषकों की आजीविका एवं आमदनी में वृद्धि के कारण पारिवारिक जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है। जिलें में वर्तमान में कुछ बुवाई क्षेत्र के लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई हो पाती है, जिसके कारण दुपज क्षेत्र का प्रतिशत भी काफी कम है।

rkfydk l- 4-5

o"kZ 2000&01 ls o"kZ 2007&08 dk flafpr {ks=Qy dk fooj.k

क्र॰सं॰	वर्ष	सिंचित क्षेत्र (है॰)
1	2000-01	7583
2	2001-02	6190
3	2002-03	75197
4	2003-04	131032
5	2004-05	232189
6	2005-06	233457
7	2006-07	196446
8	2007-08	217378

(स्त्रोत – उप निदेशक, कृषि विस्तार टोंक)

4.7 अन्य उपयोगों हेतु भूमि हस्तान्तरण :–

उपरोक्त तालिका सख्या 4.5 से स्पष्ट है कि जिलें में सिचिंत क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी कुल बोये गये क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र ही सिचिंत हो पाता है। सिचांई की नवीन तकनीकों जैसे– फव्वारा, ड्रिप सिचांई, पाईप लाईन आदि के उपयोग को बढ़ावा देकर उपलब्ध सिंचाई जल से अधिक क्षेत्र सिंचित किया जा सकता है। टोंक जिलें में शहरीकरण एवं औद्योगिककरण की गति धीमी होने के कारण अन्य उपयोगों में भूमि का हस्तान्तरण अन्य विकसित जिलों की तुलना में कम हुआ है। अतः कृषि योग्य भूमि के रकबा में नगण्य परिवर्तन आया है।

4.8 आजीविका पर प्रभाव :–

टोंक जिलें में समुदाय की आजीविका मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, जिसमें कृषि एवं पशुपालन प्रमुख है, द्वितीय स्तर पर कृषि मजदूरी एवं सेवा क्षेत्र आते हैं। फसलों से प्राप्त आय पर लघु व सीमान्त कृषकों की अधिक निर्भरता है। जिलें के कृषक परिवारों में प्रतिवर्ष कृषि आय का औसत 6945 रूपये है। सिंचाई एवं आधुनिक तकनीकी हस्तान्तरण से

कृषकों की आय में वृद्धि हो रही है। उद्यानिकी फसलें यथा आंवला, अमरूद, नींबू, फूलों की खेती, ग्रीन हाऊस तकनीकी, ड्रिप सिंचाई योजना, फव्वारा सिंचाई आदि नवीन तकनीक कृषि क्षेत्र में आजीविका संवर्धन में वरदान साबित हो रही है। कृषकों का नवीन तकनीकी के प्रति दिनों–दिन रूझान बढ़ रहा है। कृषि आजीविका संवर्धन हेतु विभाग द्वारा वर्मीकम्पोस्ट, बीज उत्पादन, उन्नत फसल उत्पादन तकनीक, फलोद्यान, आधुनिक कृषि यंत्र, सिंचाई संयंत्रों, मृदा स्वास्थ्य, कृषक भ्रमण इत्यादि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

4.9 जिले में पशुपालन की स्थिति –

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी आजीविका का एक मुख्य आधार है। गो वंश, भैस वंश के पशु मुख्य रूप से परिवार की अर्थव्यवस्था से जुड़े होते है। गाय, भैस से जहॉ दूध, घी, खाद आदि का उत्पादन होता है वहीं बकरी व भेड, ऊन, मांस, खाद आदि के उत्पादन में सहायक है। पशुधन के सहयोग से जिलें में लगभग 3.84 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन उत्पादन होता है। दूध के बहत्तर उपयोग के लिए जिला दूग्ध उत्पादक सहकारी संघ के माध्यम से जिले में लगभग 250 दुग्ध सहकारी समितियां संचालित है, जिनमें हजारों सदस्य अपना दुग्ध व्यवसाय करते है। जिलें में आजीविका से जुड़े हुए पशुधन की वर्तमान स्थिति तालिका संख्या 4.6 में दर्शाई गई है।

तालिका सं. 4.6

जिलें में मुख्य पशुधन की स्थिति

क्र.स.	पशुधन	संख्या (2003)	संख्या (2007)	वृद्वि प्रतिशत
1	गौ वंश	219612	245946	11.99
2	भैस वंश	228914	309756	35.31
3	बकरी वंश	326656	397418	21.66
4	भेड वंश	225430	256154	13.62

(स्त्रोत – उप निदेशक, पशुपालन)

उपरोक्त तालिका सख्ंया 4.6 से स्पष्ट है कि वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2007 में सभी वर्ग के पशुधन में वृद्वि हुई है, जो एक अच्छा संकेत है। सबसे अधिक वृद्वि भैस वंश में हुई है। जो दूध उत्पादन में वृद्वि का एक मुख्य आधार है। जिलें में ब्लॉकवार पशुधन की स्थिति को तालिका सख्ंया 4.7 में दर्शाया गया हैं।

तालिका सं. 4.7

जिलें में ब्लॉकवार पशुधन की स्थिति

क्र. स.	नाम ब्लाक	पशुधन वर्ग				योग	पशुधन घनत्व (प्र.व. किमी)
		गौ वंश	भैस वंश	बकरी वंश	भैड वंश		
1	टोंक	50838	81340	86470	46359	265007	193
2	निवाई	37628	46764	78138	59355	221885	216
3	देवली	43991	49481	62024	35732	191228	155
4	उनियारा	28246	44155	52892	16783	182076	144
5	मालपुरा	49646	48379	73230	67129	238384	242
6	टोंडारायसिंह	33515	39637	44664	30618	148434	152
योग		**243864**	**309756**	**397418**	**255976**	**1207014**	**170**

(स्त्रोत – उप निदेशक, पशुपालन)

जिले में उपलब्ध मुख्य पशुधन के बलॉकवार वितरण की उक्त तालिका संख्या 4.7 से स्पष्ट है कि ब्लॉक मालपुरा में पशुधन का प्रति वर्ग किमी घनत्व सबसे अधिक हैं जबकि इस दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक उनियारा है, जिसका पशुधन घनत्व 144 है। जिलें के औसत घनत्व से तुलना करे तो ब्लॉक देवली व टोडारायसिंह में जिलें के औसत घनत्व से भी कम पशुधन उपलब्ध है।

4.9.1 जिले में पशु चिकित्सा सुविधा की स्थिति :–

जिले में पशुघन की चिकित्सा सुविधा हेतु 42 पशु चिकित्सालय एवं 38 पशु चिकित्सा उप केन्द्र संचालित है। जिलें में 1 जिला रोग निदान प्रयोगशाला भी संचालित है। उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का ब्लॉकवार विवरण तालिका सख्या 4.8 में दर्शाया गया हैं।

तालिका सं. 4.8

जिले में पशु चिकित्सा सुविधा का विवरण

क्र.स.	ब्लॉक	पशु चिकित्सालय			पशु उपकेन्द्र
		बहु उद्देश्य पशु चि0	प्रथम श्रेणी पशु चि0	पशु चि0	
1	टोंक	1	0	8	11
2	निवाई	0	1	5	4
3	देवली	0	1	7	9
4	मालपुरा	0	1	6	5
5	उनियारा	0	0	6	7
6	टोडारायसिंह	0	0	6	2
योग		**1**	**3**	**38**	**38**

(स्त्रोत – उप निदेशक, पशुपालन)

जिलें में उपरोक्त चिकित्सा केन्द्रों के माध्यम से पशुधन को चिकित्सा सुविधा के साथ–साथ कृत्रिम गर्भाधान सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे जिले के पशुधन की नस्ल सुधार कर दूध उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे है।

4.10 जिलें में कार्य की भागीदारी :–

जनगणना 2001 के अनुसार जिले में कुल कार्यशील जनसंख्या 5,32,682 है, जिसमें मुख्य कार्यशील जनसंख्या 4,25,230 एवं सीमान्त कार्यशील जनसंख्या 1,07,452 है। व्यवसायवार कार्यशील जनसंख्या एवं ब्लॉकवार कार्यशील जनसंख्या का विवरण तालिका संख्या 4.9 एवं 4.10 में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 4.9

व्यवसायानुसार कार्यशील जनसंख्या का विवरण (वर्ष 2001)

क्र. स.	व्यवसाय का नाम	मुख्य कार्यशील जनसंख्या	सीमान्त कार्यशील जनसंख्या	योग	कुल कार्यशील जनसंख्या से प्रतिशत
1.	काश्तकार	262785	46428	309213	58.05
2.	खेतीहर मजदूर	22541	34220	56761	10.65
3.	पारिवारिक उद्योग	14928	4656	19584	3.68
4.	अन्य	124976	22148	147124	27.62
योग		**425230**	**107452**	**532682**	**100.00**

(स्त्रोत – सेन्सस 2001)

तालिका सं. 4.10

ब्लॉक वार कार्यशील जनसंख्या का विवरण (वर्ष 2001)

क्र.स.	ब्लाक/पंचायत समिति	कुल जनसंख्या	कुल कार्यशील जनसंख्या	ब्लॉकवार जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत
1.	टोंक	340051	139130	40.91
2.	निवाई	203340	92127	45.30
3.	देवली	189297	87597	46.27
4.	उनियारा	143343	68180	47.56
5.	मालपुरा	204292	85588	41.89
6.	टोडारायसिंह	131348	60060	45.73
योग		**1211671**	**532682**	**43.96**

(स्त्रोत – सेन्सस 2001)

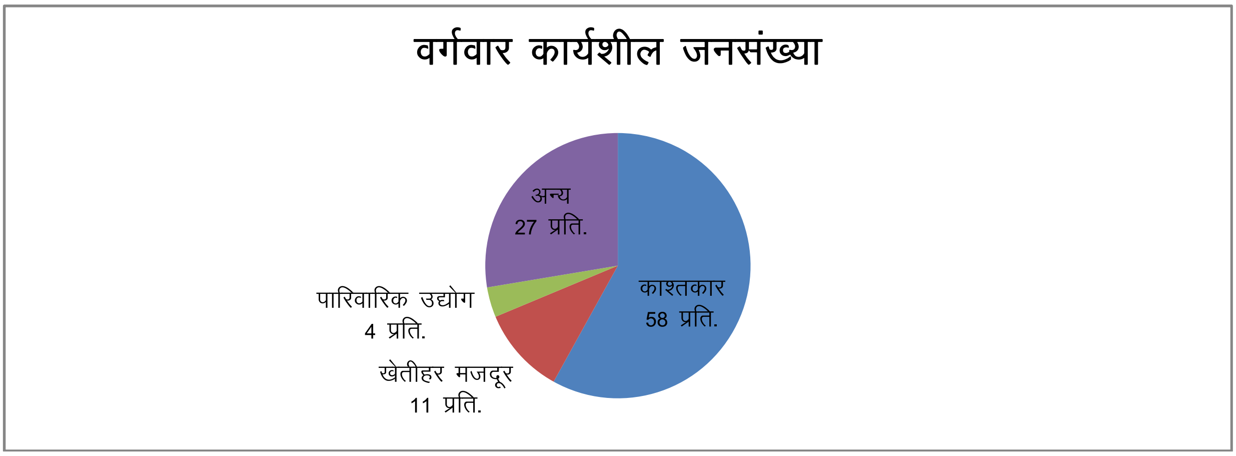

तालिका संख्या 4.9 से स्पष्ट है कि जिलें में कुल कार्यशील जनसंख्या 5,32,682 है जो कुल जनसंख्या का 43.96 प्रतिशत है। इसमें भी मुख्य कार्यशील जनसंख्या 4,25,230 है जो कुल जनसंख्या का 35.09 प्रतिशत है। जिलें में सीमान्त कार्यशील जनसंख्या 1,07,452 है जो कुल जनसंख्या का 8.09 प्रतिशत है। सीमान्त कार्यशील जनसंख्या एक चुनौती पूर्ण विषय है जिसको अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा कर मुख्य कार्यशील जनसंख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें जिलें में संचालित विभिन्न स्वरोजगार के कार्यक्रम एवं महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना सार्थक सिद्ध हो रहे है।

इसी प्रकार व्यावसायिक आधार पर देखा जाये तो जिलें में कुल कार्यशील जनसंख्या में लगभग 58 प्रतिशत काश्तकार एवं लगभग 11 प्रतिशत कृषि मजदूर है। पारिवारिक उद्योगों में मात्र 3.68 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है जो जिले में लघु/कुटीर उद्योगों के पिछड़ेपन की स्थिति को दर्शाता है। जिलें की कुल कार्यशील जनसंख्या में 27.62 प्रतिशत जनसंख्या अन्य सेवा क्षेत्रों, व्यावसायिक संगठनों आदि में कार्यरत है।

जिलें की कार्यशील जनसंख्या में पुरूष एवं महिला का प्रतिशत क्रमशः 58 एवं 42 है। कुल कार्यशील जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 3,08,685 एवं महिलाओं की संख्या 2,23,997 है।

4.11 शहरी विकास एवं शहरी आजीविका –

जिलें में 6 शहरी क्षेत्र है। जिसमें टोंक, निवाई, उनियारा, मालपुरा, देवली एवं टोंडारायसिंह है। जिलें में कुल शहरी जनसंख्या 2,53,168 है जो कुल जनसंख्या का 20.89 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत 68.50 है जो ग्रामीण क्षेत्र के साक्षरता प्रतिशत 47.51 से काफी अधिक है।

इन शहरी क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिए टोंक में नगर परिषद एवं अन्य शहरों मे नगर पलिकाएं कार्यरत है।

शहरी क्षेत्रों में कुल कार्यशील जनसंख्या 78,532 है जो कुल शहरी जनसंख्या का 31.02 प्रतिशत है। इसमें से मुख्य कार्यशील जनसंख्या 67,359 है जो कुल जनसंख्या का 28.64 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में व्यावसायवार कार्यशील जनसंख्या को देखे तो लगभग 13 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं कृषि मजदूरो में कार्यरत है, लगभग 11 प्रतिशत पारिवारिक उद्योगों में तथा लगभग 75 प्रतिशत अन्य सेवा क्षेत्रों तथा व्यापारिक गतिविधियों में कार्यरत है। इस प्रकार लघु/पारिवारिक उद्योगों की दृष्टि से शहरी क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है। शहरी क्षैत्रों में कार्यशील जनसंख्या का विवरण तालिका सख्या 4.11 में दर्शाया गया हैं।

शहरी क्षेत्रों में गरीबी की स्थिति देखे तो ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्रों में कुल 45,889 परिवारों में से 13,903 परिवार गरीबी रेखा से नीचे चिन्हित है। जो कुल परिवारों का 30.29 प्रतिशत है।

तालिका सं. 4.11

शहरी क्षैत्रों में कार्यशील जनसख्या का विवरण (वर्ष 2001)

क्र.स.	व्यवसाय का नाम	मुख्य कार्यशील जनसंख्या	सीमान्त कार्यशील जनसंख्या	योग	कुल कार्यशील जनसंख्या से प्रतिशत
1.	काश्तकार	6607	1170	7777	9.90
2.	खेतीहर मजदूर	1511	1136	2647	3.37
3.	पारिवारिक उद्योग	6830	2171	9001	11.46
4.	अन्य	52411	6696	59107	75.27
योग		**67359**	**11173**	**78532**	**100.00**

(स्रोत– सेन्सस 2001)

4.12 जिलें में गरीबी की स्थिति :–

टोंक जिला गरीबी की दृष्टि से भी पिछड़े हुए जिलों की श्रेणी में आता है। जिलें में कुल परिवारों की संख्या 1,99,501 में से कुल 46,312 परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते है जो लगभग 23.21 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 21 प्रतिशत परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में है जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 30 प्रतिशत परिवार बी.पी.एल. की श्रेणी में है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत अधिक है।

जिले में गरीबी के मुख्य कारण निम्न है –

1. कृषि पर निर्भरता एवं भूमि जोतों का असमान वितरण एवं छोटा होना।
2. औद्योगिक पिछड़ापन।
3. अकाल/वर्षा की कमी।
4. रेल सेवा से नही जुड़ना।
5. लोगों में व्यावसायिक जोखिम उठाने का अभाव।
6. रोजगार के अवसरों का अभाव।

जिलें में बी.पी.एल. परिवारों की स्थिति तालिका संख्या 4.12 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉकवार एवं शहरी क्षेत्रों में नगर निकायवार गरीबी की स्थिति तालिका संख्या 4.13 एवं 4.14 में दर्शाई गई है। जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में देवली ब्लॉक एवं शहरी क्षेत्र में टोंक नगर निकाय में अत्यधिक गरीबी है।

तालिका सं. 4.12

जिलें में बी.पी.एल.परिवारों की स्थिति –

क्र.स.	क्षेत्र	जनसख्या	कुल परिवार	बीपीएल परिवार	बीपीएल परिवारों का प्रतिशत
1.	ग्रामीण क्षेत्र	958503	153612	32409	21.09
2.	शहरी क्षेत्र	253168	45889	13903	30.29
योग		**1211671**	**199501**	**46312**	**23.21**

(स्रोत–जिला परिषद टोंक)

तालिका सं. 4.13

जिलें में ग्रामीण क्षेत्र की ब्लॉकवार गरीबी की स्थिति (बी.पी.एल. सर्वे 2002)

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	जनसख्या	कुल परिवार	बीपीएल परिवार	बीपीएल परिवारों का प्रतिशत
1.	टोंक	204362	31343	6818	21.75
2.	देवली	169271	30142	9870	32.75
3.	उनियारा	132509	21813	3824	17.53
4.	निवाई	165298	24439	6303	25.79
5.	मालपुरा	176932	27856	3952	14.18
6.	टोड़ारायसिंह	110131	18019	1642	9.11
योग		**958503**	**153612**	**32409**	**21.10**

(स्रोत–जिला परिषद टोंक)

तालिका सं. 4.14

जिलें में शहरी क्षेत्र की निकायवार गरीबी की स्थिति (बी.पी.एल. सर्वे 2007)

क्र.स.	नगर निकाय का नाम	जनसख्ंया	कुल परिवार	बीपीएल परिवार	बीपीएल परिवारों का प्रतिशत
1.	टोंक	135689	23931	8533	35.65
2.	देवली	20026	4272	1096	25.66
3.	उनियारा	10834	1985	469	23.63
4.	निवाई	38042	6726	1616	24.02
5.	मालपुरा	27360	4467	1084	24.27
6.	टोड़ारायसिंह	21217	4508	1105	24.51
योग		**253168**	**45889**	**13903**	**30.29**

(स्रोत– परियोजना अधिकारी, एस.जे.एस.आई.वाई. टोंक)

4.13 जिलें में आवासीय सुविधा की स्थिति –

4.13.1 आवास की स्थिति एवं सुविधा –

बी.पी.एल. सर्वे 2007 के सर्वेक्षण की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि जिलें में ग्रामीण क्षेत्रों के कुल परिवार 2,08,833 में से 4,569 (2.19 प्रतिशत) परिवार आवासहीन है तथा 1,30,159 (62.33 प्रतिशत) परिवार कच्चे मकानों में निवास करते है। शेष परिवारो के पास पक्के या अर्द्व पक्के आवास है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 62 प्रतिशत परिवार कच्चे घरो में रह रहे है। श्रेणीवार आवासीय स्थिति का चित्रण तालिका सं. 4.15 में दर्शाया गया है। शहरी क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से पक्के एवं अर्द्व पक्के मकान का प्रतिशत अधिक है।

तालिका सं. 4.15

ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय मकानो की दृष्टि से परिवारों का वर्गीकरण (बी.पी.एल. सर्वे 2002)

क्र.स.	मकान का प्रकार	परिवारों की सख्ंया	प्रतिशत
1.	आवासहीन परिवार	4569	2.19
2.	कच्चे मकान	130159	62.33
3.	अर्द्व पक्के मकान	16637	7.96
4.	पक्के मकान	54999	26.34
5.	आधुनिक सुविधा युक्त मकान	2469	1.18
कुल परिवार		**208833**	**100.00**

(स्रोत–बी.पी.एल.सर्वे,2002)

जनगणना 2001 के अनुसार जिलें में आवासीय स्थिति को देखने पर सम्पूर्ण जिलें में 43.20 प्रतिशत परिवार पक्के घरों में 36.90 प्रतिशत परिवार अर्द्धपक्के घरो में तथा 19.80 प्रतिशत परिवार कच्चे या अस्थाई घरों में निवास करते है।

4.14 जिले में बैंकिंग और ग्रामीण ऋण सुविधा :–

जिले में 10 वाणिज्यिक बैंकों के अलावा क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक के साथ–साथ राजस्थान वित निगम तथा खादी ग्रामोद्योग संस्था भी कार्यरत है। इनकी जिले में कुल 92 शाखाऐं है।

अप्रेल 1989 में लागु सेवा क्षैत्र योजना के अन्तर्गत जिले के सम्पूर्ण 1153 गॉवों को कार्यरत 92 बैंक शाखाओं के सेवा क्षैत्र से जोडा गया है। इन शाखाओं की ब्लॉकवार स्थिति तालिका संख्या 4.16 में दर्शाई गई है।

तालिका सं. 4.16

जिलें में ब्लॉकवार बैंक शाखाओं का वितरण

क्र.स.	खण्ड का नाम	बैंक की शाखाऐ (संख्या)	शाखाओं के सेवा क्षैत्र में आने वाले कुल गांवो की संख्या
1	टोंक	23	253
2	उनियारा	12	232
3	देवली	16	174
4	मालपुरा	15	155
5	निवाई	17	202
6	टोंडारायसिंह	9	147
योग		**92**	**1153**

(स्रोत–एल.डी.एम.टोंक – वर्ष 2009)

उपरोक्त तालिका सख्या 4.16 से स्पष्ट है कि जिलें के सम्पूर्ण गॉव बैकों के सेवा क्षैत्र से कवर होते है। जिलें में लगभग 13000 जनसंख्या पर एक बैंक शाखा कार्यरत है जो एक सामान्य स्थिति है।

4.14.1 जिलें में कार्यरत बैंकों द्वारा सेक्टर वार उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधा की स्थिति–

जिले में कार्यरत बैंक शाखाओं द्वारा लोगो को कृषि, उद्योग एवं व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2003–04 से 2008–09 तक उपलब्ध कराये गये ऋण का सेक्टरवार विवरण तालिका संख्या 4.17 में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 4.17

बैंको द्वारा सेक्टरवार उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधा का विवरण

(राशि लाखों में)

वर्ष	सेक्टरवार ऋण सुविधा की स्थिति			
	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	लघु उद्योग एवं ग्रामीण कामगार	व्यवसाय व अन्य क्षैत्र	योग
2003–04	6595.83	357.47	961.37	7914.67
2004–05	10939.06	264.82	1951.23	13155.11
2005–06	15239.15	1098.14	2196.85	18534.14
2006–07	22760.00	996.00	4065.00	27821.00

2007–08	26227.43	443.32	3801.56	30472.31
2008–09	19766.26	686.53	2955.17	23407.96

(स्रोत–एल.डी.एम.टोंक)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिलें मे वर्ष 2003–04 से बैंक ऋण सुविधा में वर्ष 2007–08 तक लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2008–09 में इसमें कमी आई है, जिसका मुख्य कारण जिला स्तरीय बैंकों की धीमी प्रगति रहा है। साथ ही तालिका से स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के लिए ऋण सुविधा में उतार चढाव रहा है।

4.15 गैर कृषि क्षेत्र और उद्यम गतिविधि –

4.15.1 जिलें में औधोगिक विकास की स्थिति :–

टोंक जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में शामिल है। जिले मे वृहत एवं मध्यम श्रेणी के मात्र 6 उद्योग है। जिसमे लगभग 2 हजार व्यक्ति नियोजित है। जिले मे वर्तमान में पांच औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये है जो निम्नानुसार है– टोंक, निवाई, मालपुरा, देवली, निवाई II डी , निवाई फेज – IIA । जिलें में मार्च 2009 तक पंजीकृत दस्तकारी एवं लघु उद्योगों की संख्या 7867 है, जिनमें 7249.03 लाख रूपयें का विनियोजन एवं 26842 व्यक्ति नियोजित है।

लघु उद्योगों में मुख्य रूप से ऑयल मिल, आटा चक्की, मसाला पिसाई, क्वार्टज पाउडर, स्टोनकटिंग एवं टाईल्स निर्माण, रेडिमेड गारमेन्ट, गलीचा, स्टीलफर्नीचर, वाशिंग सोप, स्टोन ग्रिट, ब्रिक्स निर्माण, रिपेयरिंग वर्कशाप एवं सर्विस सेन्टर, इलेक्ट्रीक एवं इलेक्ट्रोनिक्स, आर.सी.सी. पाईप्स, सीमेन्ट जाली एवं टंकी निर्माण आदि है। तथा दस्तकारी उद्योगों में मुख्य रूप से नमदा बनाना, गलीचा, सूतीदरी, बीडी बनाना, आरी–तारी, देशी जूती बनाना, लकड़ी के कृषि उपकरण, लकड़ी फर्नीचर, मिट्टी पोटरी कार्य, स्टोन मूर्तिया बनाना आदि है।

4.15.2 जिलें में पंजीकृत लघु उद्योग/दस्तकारी ईकाइयों की स्थिति –

जिलें में लगभग 8000 लघु/दस्तकारी औधोगिक इकाईयां पंजीकृत है। इन पंजीकृत ईकाइयों में शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षो में हुई पंजीकृत ईकाइयों की स्थिति तालिका संख्या 4.18 में दर्शाई गई है।

तालिका सं. 4.18

जिलें में पंजीकृत लघु/दस्तकारी औधोगिक ईकाइयों का विवरण

वर्ष	पंजीकृत ईकाइयों की संख्या		
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	योग
1998 – 1999	60	115	175
1999 – 2000	78	138	216
2000 – 2001	91	149	240
2001 – 2002	86	148	234

2002 – 2003	64	169	233
2003 – 2004	104	153	257
2004 – 2005	67	220	287
2005 – 2006	130	185	315
2006 – 2007	213	120	333
2007 – 2008	183	177	360

(स्रोत– जिला उधोग केन्द्र टोंक)

जिलें में पंजीकृत लघुउद्योग/दस्तकारी ईकाइयों की स्थिति

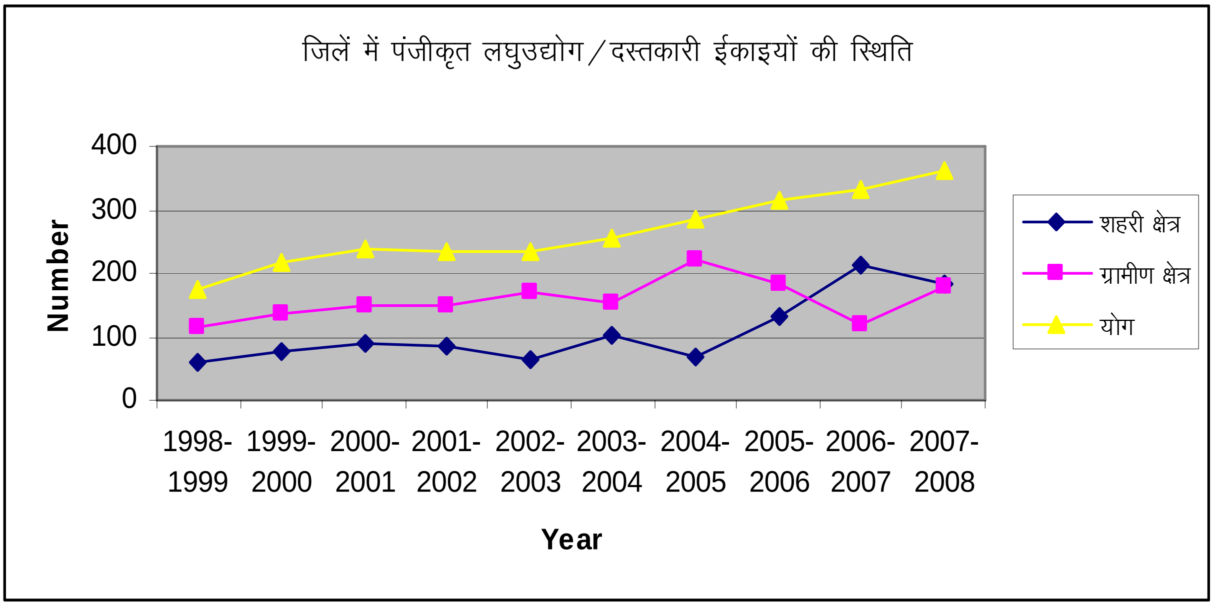

विश्लेषण –

उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ से स्पष्ट होता है कि जिले में लघुउद्योग/दस्तकारी उद्योगों में निरन्तर वृद्वि हो रही है। लेकिन जहॉ शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में हुई वृद्वि की तुलना करते है तो ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2004–05 के बाद से पंजीकृत ईकाइयों की संख्या में कमी आई है। जबकि शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत ईकाइयो में वृद्वि हुई है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो में जनसंख्या दबाव को देखते हुए लघुउद्योग/दस्तकारी उद्योगों की स्थापना एवं विकास पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

4.15.3 लघु एवं दस्तकारी उद्योगों में नियोजन की स्थिति –

जिला उद्योग केन्द्र टोंक से प्राप्त सूचना के अनुसार जिले में वर्ष 2008–09 तक लगभग 26000 लोग लघु/दस्तकार उद्योग में नियोजित है। वर्षवार इस संख्या में वृद्वि हो रही है। गत 10 वर्षो की स्थिति तालिका संख्या 4.19 मे दर्शाई गई है।

तालिका सं. 4.19

जिले में लघु/दस्तकारी उद्योगों में नियोजन की स्थिति –

वर्ष	नियोजन की क्रमागत स्थिति		
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	योग
1998 – 1999	9132	6801	15933
1999 – 2000	9532	7431	16963
2000 – 2001	9879	7897	17776
2001 – 2002	10237	8344	18581
2002 – 2003	10495	8909	19404
2003 – 2004	10877	9364	20241
2004 – 2005	11239	10137	21376
2005 – 2006	11694	10679	22373
2006 – 2007	12942	11011	23953
2007 – 2008	13896	11483	25379

(स्रोत–जिला उधोग केन्द्र टोंक)

y?k ,o nLrdkjh m|kxk e fu;ktu dh fLFkfr

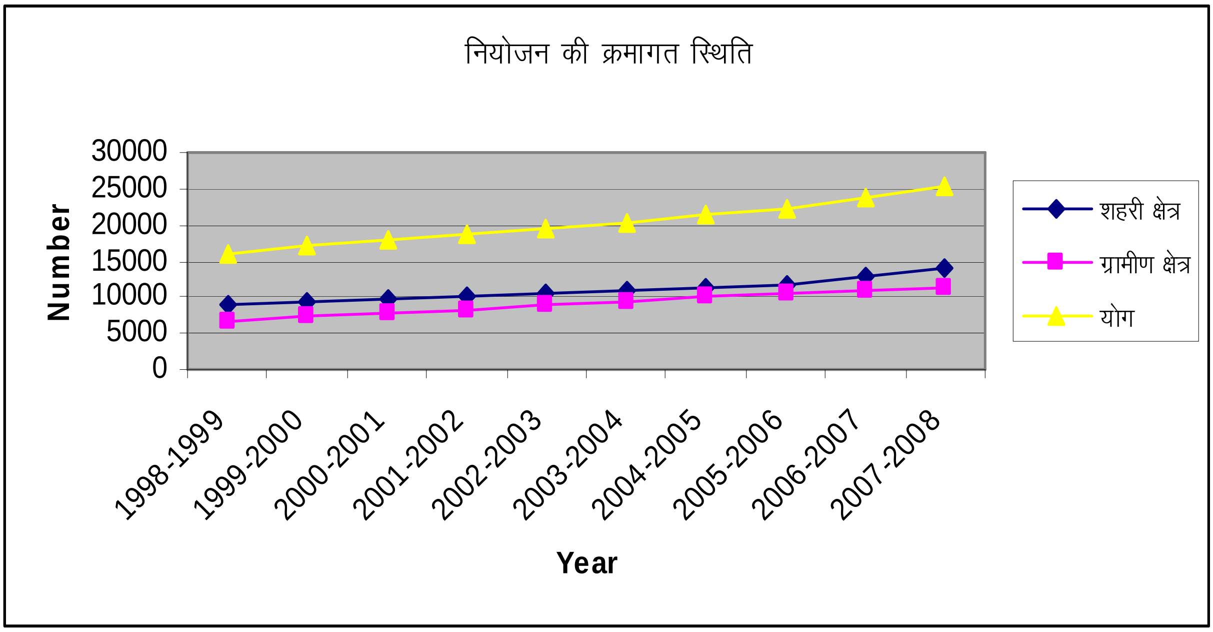

विश्लेषण–

उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ से स्पष्ट है कि लघु एवं दस्तकारी उद्योगों में लोगों के नियोजन की संख्या में निरन्तर वृद्वि हुई है। लेकिन यह वृद्वि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में कम है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या एवं जनसंख्या के दबाव को देखते हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

4.16 श्रम प्रवास एवं कारीगर समुहों और अनोपचारिक क्षेत्र में श्रमिको की विशेष समस्या –

जिलें में कार्यशील जनसंख्या के विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 43 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 31 प्रतिशत जनसंख्या ही कार्यशील है। इसमें भी लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या सीमान्त कार्यशील की श्रेणी में है, जिसे पूर्ण रूप से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस तरह स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग जयपुर, दिल्ली, कोटा एवं अन्य बड़े शहरों में काम की तलाश में प्रवास करते है।

जिलें में अनुसूचित जाति वर्ग में निर्माण कारीगर, कुशल एवं बहुतायत में उपलब्ध है। लेकिन स्थानीय स्तर पर पूरे वर्ष का रोजगार उपलब्ध नहीं होने से आस–पास के बडे शहरों में पलायन करना इनकी मजबूरी बन जाती है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अकाल एवं कम वर्षा होने, भूमि जोतों का बंटवारा होने एवं जनसंख्या वृद्वि के कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी से लोग काम की तलाश में बडे शहरों की ओर पलायन करते है।

4.17 जिले की आजिविका में सुधार लाने हेतु किये जा रहे सरकारी प्रयासों का विवरण :–

जिलें में आजिविका के स्तर में सुधार लाने के उद्वेश्य से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है, जिनमें प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी निम्नानुसार है –

1. महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना –

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को एक वर्ष की अवधि में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लागू होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुलभ होने के साथ–साथ गांवों से शहरों की ओर पलायन में भी कमी आई है तथा लोगों की औसत वार्षिक आय में भी वृद्वि के संकेत मिले है। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों मे आधारभूत सुविधाओं के निर्माण कार्य जैसे– सडक निर्माण, जल संरक्षण के कार्य, वन विकास के कार्य आदि कराये जा रहे है।

2. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना –

ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों को स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना मद से अनुदान एवं सम्बन्धित क्षेत्र की बैंक शाखा से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत ऐसे पात्र स्वरोजगारियों को कौशल विकास के प्रशिक्षण भी दिये जाते है। साथ ही समूह आधारित आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्वयं सहायता समूहो का गठन किया जा कर इन्हे अनुदान एवं ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा कर आर्थिक गतिविधियों से जोडा जाता है। योजना जिलें के बी. पी.एल. परिवारों की आजिविका के स्तर में सुधार लाने का एक सफलतम प्रयास सिद्ध हो रही है।

3. पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.) –

भारत सरकार के माध्यम से चिन्हित पिछड़े जिलों के विकास हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम वर्ष 2006–07 से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में टोंक जिला भी सम्मिलित है। जिलें मे विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के विकास में उपलब्ध अन्तर (GAP) को पूरा करने के लिए अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है। जिलें को प्रतिवर्ष लगभग 17 करोड़ रूपये की राशि इस कार्यक्रम में प्राप्त हो रही है। जिसके अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु कौशल विकास के प्रशिक्षण एवं विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों के आधारभूत विकास कार्य जैसे– विद्यालय भवन, आंगनवाडी केन्द्र भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन, पशु चिकित्सा केन्द्र भवन, रपटा एवं पुलिया, खेल मैदान आदि कराये जाते है। यह कार्यक्रम भी लोगों की आजीविका के स्तर में सुधार लाने में एक सफलतम प्रयास सिद्ध हो रहा है।

सारांश :–

जिलें में आजीविका के उपरोक्त परिदृश्य से स्पष्ट होता है कि आजीविका के विभिन्न पहलुओं जैसे– कृषि, पशुपालन, औद्योगिक विकास, गरीबी, आदि की जिलें में आदर्श स्थिति नहीं है। कृषि के क्षेत्र में विभागीय प्रयासों से लोगों में कृषि की नवीन तकनीकों को अपनाने की शुरूआत हुई है, जिसके कारण उत्पादन में भी वृद्धि हुई है लेकिन लगातार अकाल और वर्षा की कमी एक बहुत बडी चुनौती बनकर सामने आ रही है। इससे निपटने के लिए लोगों को जल संरक्षण करने, सिचाई के नये तरीके जैसे– फव्वारा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई आदि को लागू करने के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए जलग्रहण (वाटरशेड) विभाग, सिंचाई विभाग एवं उद्यान विभाग को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। जिलें में वर्तमान फसल चक्र में भी बदलाव लाकर कम पानी व कम समय में पकने वाली फसलों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंको द्वारा कृषि सेक्टर में उपलब्ध कराई गई साख सुविधाओं में वैसे तो निरन्तर वृद्धि हुई है लेकिन वर्ष 2008–09 में इसमें गिरावट आई है। छोटे एवं मध्यम श्रेणी के किसानो को कृषि के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण की सुविधाओं में भी विस्तार की आवश्यकता है, ताकि लोग अकाल और अन्य विषम परिस्थितियों में कृषि से दूर नही हटें।

जिले में हालांकि वर्ष 2003 की तुलना में 2007 की पशुधन की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन पशुधन के संवर्द्धन, एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम को प्रभावी बनायें जाने की आवश्यकता है। जिसके कारण पशुधन से प्राप्त होने वाले उत्पादों यथा दूध, ऊन, मांस, अण्डा, आदि में वृद्धि हो सके और पशुधन लोगों की आजीविका में अधिक मददगार हो सकें।

गैरकृषि क्षैत्रों में आजीविका की दृष्टि से लघु एवं दस्तकारी उद्योगों को बढावा देने की अधिक आवश्यकता है। वर्तमान में जिलें की कार्यशील जनसंख्या में मात्र 3.68 प्रतिशत लघु एवं दस्तकारी उद्योगो में नियोजित है। इस सम्बन्ध में युवाओं एवं महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सम्भावित ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जा कर लघु एवं दस्तकारी उद्योगों को बढावा देने की अधिक आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों से बढ़ते हुए पलायन को भी इस ओर विशेष प्रयास किये जाकर कम किया जा सकता है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार के कार्यक्रमों को लक्ष्य आधारित न बनाया जाकर आवश्यकता आधारित बनाये जाने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराये जा सकें।

v/;k; & 5

ftys esa tsa.Mj dh fLFkfr

5-1 ftys esa ySafxd fHkUurk &

जिलें में लैंगिक भिन्नता की दृष्टि से जिलें का लिंगानुपात 934 है, जो राजस्थान राज्य के लिंगानुपात 921 की तुलना में तो ठीक है लेकिन जिले में 1000 पुरूषो के पिछे 66 महिलाओं की कमी को अच्छी स्थिति भी नहीं कहा जा सकता है। जिलें में इस अन्तर के मुख्य कारण मातृ मृत्यु दर का अधिक होना, कन्या भ्रूण हत्या होना, बालिका शिशु मृत्यु दर अधिक होना, दहेज या अन्य पारिवारिक कारणों से महिलाओं की हत्याएं/आत्महत्याएं होना आदि रहे है।

जिले में ग्रामीण–शहरी क्षेत्र एवं ब्लॉकवार लिंगानुपात की स्थिति को तालिका सख्या 5.1 एवं 5.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका सं. 5.1

जिलें में लिंगानुपात की स्थिति (2001)

क्र.स.	क्षैत्र	जनसंख्या			लिंगानुपात
		पुरूष	महिला	योग	
1.	ग्रामीण	496092	462411	958503	932
2.	शहरी	130344	122824	253168	942
योग		**626436**	**585235**	**1211671**	**934**

तालिका सं. 5.2

जिलें में ब्लॉकवार लिंगानुपात की स्थिति

क्र.स.	ब्लॉक	लिंगानुपात – 1991			लिंगानुपात – 2001		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1.	टोंक	914	934	922	932	931	932
2.	देवली	919	776	902	932	854	924
3.	उनियारा	911	917	911	916	945	918
4.	निवाई	939	906	934	919	1048	942
5.	मालपुरा	932	923	931	944	932	943
6.	टोंडारायसिंह	944	938	943	951	933	946
जिला			**914**	**927**	**932**	**942**	**934**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जिलें में ब्लॉक देवली एवं उनियारा में लिगांनुपात जिलें के औसत से भी कम हैं। ब्लॉक टोडारायसिंह का लिगांनुपात जिलें में सर्वाधिक हैं, यह ब्लॉक 1991 की जनसख्या के अनुसार भी सर्वाधिक लिगांनुपात वाला ब्लॉक रहा हैं।

5.2 जिलें में महिला साक्षरता एवं बालिका नामांकन की स्थिति :—

टोंक जिला महिला साक्षरता की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ महिला साक्षरता मात्र 32.15 प्रतिशत है जो राज्य की महिला साक्षरता दर 43.90 की तुलना में बहुत कम है। इसमें भी यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करे तो मात्र 25.66 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। इस प्रकार पुरूषो की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। इसके मुख्य कारण हमारी सामाजिक परम्पराएं, पुरूष प्रधान समाज, कमजोर आर्थिक स्थिति की दशा में लड़के को पहली प्राथमिकता देना आदि रहे है, जो जेण्डर असमानता के जीते जागते उदाहरण है।

जिले में महिला पुरूषो में साक्षरता का ग्रामीण—शहरी एवं ब्लॉकवार तुलनात्मक विवरण तालिका सख्या 5.3 एवं 5.4 में दर्शाया गया है ।

तालिका सं. 5.3

जिलें में साक्षरता की स्थिति

क्र.स.	क्षैत्र	साक्षरता दर		
		कुल	महिला	पुरूष
1.	ग्रामीण	47.52	25.66	67.90
2.	शहरी	68.51	56.03	80.32
योग		**51.97**	**32.15**	**70.52**

तालिका सं. 5.4

जिलें में ब्लॉकवार साक्षरता की स्थिति

क्र.स.	ब्लॉक	साक्षरता दर		
		कुल	महिला	पुरूष
1.	टोंक	52.44	33.61	70.00
2.	देवली	49.60	28.57	69.01
3.	उनियारा	48.00	24.94	69.27
4.	निवाई	55.81	37.77	73.63
5.	मालपुरा	50.46	31.11	68.68
6.	टोडारायसिंह	54.94	35.40	73.55
जिला		**52.39**	**32.30**	**71.25**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जिलें में ब्लॉक देवली एवं उनियारा में महिला साक्षरता दर क्रमशः 28.57 एवं 24.94 प्रतिशत हैं, जो जिलें की औसत महिला साक्षरता दर से भी काफी कम हैं। इसी प्रकार जिलें में पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में भी काफी अन्तर हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जेण्डर भिन्नता दर्शाता हैं।

5.3 नामांकन की स्थिति :—

टोंक जिले में विद्यालयो में कक्षा 1 से 8 तक के कुल नामांकित 2,44,827 विद्यार्थियो में छात्राओं की संख्या 1,09,626 हैं जो कुल नामांकन का 44.77 प्रतिशत है। तथा छात्रों की तुलना में छात्राओं का प्रतिशत 81 है। जबकि यह स्थिति लगभग बराबर होनी चाहिए। इसके मुख्य कारण सामाजिक परम्पराएं, परिवारो की आर्थिक तंगी, विद्यालय नही होना या विद्यालय दूर होना आदि रहे है। इस प्रकार टोंक जिलें में नामांकन में भी जेण्डर असमानता की स्थिति परिलक्षित होती है। जिलें में ब्लॉकवार नामांकन की तुलनात्मक स्थिति का विवरण तालिका सख्या 5.5 में दर्शाया गया हैं।

तालिका सं. 5.5

जिले में ब्लॉकवार नामांकन की तुलनात्मक स्थिति

क्र.स.	ब्लॉक	प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन			उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन		
		छात्र	छात्रा	जेण्डर गेप	छात्र	छात्रा	जेण्डर गेप
1	टोंक	24310	22344	**8.09**	10530	7180	**31.81**
2	निवाई	16236	14210	**12.48**	8578	5183	**39.58**
3	मालपुरा	14218	13139	**7.59**	6898	4559	**33.91**
4	टोडारायसिंह	9450	8610	**8.89**	4345	2843	**34.57**
5	देवली	14983	12859	**14.18**	7632	4763	**37.59**
6	उनियारा	12434	10963	**11.83**	5587	2973	**46.79**
योग		**91631**	**82125**	**10.37**	**43570**	**27501**	**36.88**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जिलें में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जेण्डर गेप 10.37 का है वह बढ़कर उच्च प्राथमिक स्तर पर 36.88 तक पंहुचता हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्च कक्षाओं में छात्राओं की सख्यां में निरन्तर गिरावट देखने को मिलती हैं। जिलें में प्राथमिक स्तर पर ब्लॉक देवली एवं निवाई में सर्वाधिक जेण्डर गेप पाया जाता है वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर ब्लॉक उनियारा एवं निवाई में सर्वाधिक जेण्डर गेप पाया जाता हैं।

5.4 कार्यो में महिलाओं की भागीदारी :–

टोंक जिलें में वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या 5,32,628 है, जो कुल जनसंख्या का 43 प्रतिशत है। इसमें महिलाओं की संख्या 2,23,997 है जो कुल कार्यशील जनसंख्या का 42 प्रतिशत है जो एक सामान्य स्थिति है लेकिन शहरी क्षेत्रों की कुल कार्यशील जनसंख्या 78,532 में महिलाओं की संख्या 19,058 है जो मात्र 24 प्रतिशत है। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में धनार्जन करने वाले कार्यो में महिलाओं की बहुत कम भागीदारी है। जो जिलें की शहरी अर्थव्यवस्था में जेण्डर असमानता को दर्शाता है। जिलें में कार्यशील जनसख्ंया का ब्लॉकवार महिला पुरूषों की तुलनात्मक स्थिति का विवरण तालिका सख्ंया 5.6 में दर्शाया गया हैं।

तालिका सं. 5.6

जिले में कार्यशील जनसंख्या की ब्लॉकवार महिला–पुरूषो की तुलनात्मक स्थिति

क्र.स.	ब्लॉक	कुल जनसंख्या		कुल कार्यशील जनसंख्या		कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	टोंक	176014	164037	83786	55364	48.67	34.70
2.	देवली	98391	90906	50957	36640	51.79	40.30
3.	उनियारा	74717	68626	37169	31011	49.74	45.18
4.	निवाई	104731	98609	51852	40275	49.50	40.84
5.	मालपुरा	105162	99130	51189	34399	48.67	34.70
6.	टोंडारायसिंह	67421	63927	33752	26308	50.06	41.15
जिला		626436	585235	308685	223997	49.27	38.27

5-5 i:pk;rh jkt l:LFkkvk e: efgykvk dh Hkkxhnkjh %&

जिलें में पंचायती राज संस्थाओं में एक जिला परिषद, 6 पंचायत समितियां एवं 230 ग्राम पंचायते है। भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन के बाद 1995 से पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं की कम से कम एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित की गई है। जिलें में पंचायती राज संस्थाओं में (पंचायत चुनाव 2005 के अनुसार) महिलाओं की स्थिति निम्नानुसार है –

तालिका सं. 5.7

क्र.स.	विवरण	कुल सदस्य	महिला सदस्य
1.	प्रधान पंचायत समिति	6	3
2.	पंचायतसमिति सदस्य	122	48
3.	जिला परिषद सदस्य	25	9
4.	सरपंच	231	76
5.	वार्ड पंच	2451	820
कुल योग		**2835**	**956**

ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में नगर निकायो में महिलाओं की भागीदारी सुनिशिचित करने के लिए शहरी नगर निकायों के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में भी एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये है।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि जिलें में पंचायती राज संस्थाओं के कुल निर्वाचित 2835 पदों मे से 956 पदों पर महिलाएं निर्वाचित होकर विभिन्न स्तरों पर अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही है। पंचायती राज संस्थाओं के क्रिया कलापो में, निर्णय लेने में अब महिलाएं सक्षम हुई है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।

5.6 महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करने वाले सामुदायिक व्यवहार और सामाजिक पूर्वाग्रह :–

सामुदायिक व्यवहार एवं सामाजिक परम्पराओं की दृष्टि से टोंक जिलें में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति राज्य के अन्य जिलों के समान ही देखने को मिलती है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव एवं सामाजिक परम्पराओं के कारण आज भी पुत्र को वंश चलाने वाला, परिवार का नाम रोशन करने वाला आदि से अलंकृत करके पुत्री की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि लड़की के जन्म पर मायूसी छा जाती है।

जिलें में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कृषि कार्यो में पुरूषों का बराबर साथ देती है, पशुधन के पालन–पोषण में महिलाओं की विशेष भूमिका रहती है, सरकार द्वारा चलाये जाने वाले रोजगार सृजन के कार्यक्रमों जैसे नरेगा, अकालराहत, जलग्रहण, आदि में लगभग 80–85 प्रतिशत महिला श्रमिक काम करती है। इस प्रकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की अर्थव्यवस्था में महिला की बहुत महत्ती भूमिका होती है लेकिन यहां की सामाजिक और रूढिवादी परम्पराओं के कारण आज भी परिवार के निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी नगण्य

है। स्वयं द्वारा अर्जित किये गये धन के खर्च करने के लिए भी उसे पूरी स्वतन्त्रता नहीं है। उसके द्वारा किये गये कार्य का सही मूल्यांकन नही किया जाता है।

जिले के शहरी क्षेत्रो में गरीब एवं अशिक्षित वर्गो में महिलाओं एवं लड़कियो की स्थिति कमोबेश ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही देखने को मिलती है, लेकिन शिक्षित एवं सम्पन्न वर्गो में महिलाओं एवं लड़कियो की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय आदि में महिला–पुरूष का भेदभाव कम हुआ है।

5.7 ग्रामीण महिलाओं एवं शहरी महिलाओं की कार्यो में भूमिकाएं :–

सेन्सस 2001 के अनुसार जिले की कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्रों मे 45 प्रतिशत है जबकि शहरी क्षेत्रों में मात्र 24 प्रतिशत है। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर कृषि एवं मजदूरी कार्यो में महिलाओं का विशेष योगदान है। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं विभिन्न सेवा क्षेत्रों, मजदूरी, लघु एवं कुटीर उद्योगों आदि में कार्यशील है। शहरी क्षेत्रों में मात्र 24 प्रतिशत महिलाएं कार्यशील होने से स्पष्ट है कि शहरी अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान काफी कम है। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता अधिक होने व स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होने के कारण लघु एवं दस्तकारी क्षेत्रों एवं व्यापार गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की प्रबल सम्भावनाएं है। अतः शहरी क्षेत्रो में स्वरोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा कर अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।

5.8 महिलाओं की भूमिका और स्वयं सहायता समूह :–

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने का एक क्रान्तिकारी प्रयास है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जहां लोगों में बचत करने की आदत डलती है वही उनमें एकता, अनुशासन, बैंकिग प्रक्रिया और धीरे – धीरे छोटी–छोटी व्यापारिक एवं उत्पाद गतिविधियां प्रारम्भ करने की समझ बढ़ती है। टोंक जिलें में इस ओर महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला परिषद एवं पंचायत समितियों तथा नगर निकायो द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिला परिषद/पंचायत समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों के समूह गठित कर उन्हें बैंको के माध्यम से ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) के अन्तर्गत नगर निकायों द्वारा बी.पी.एल. परिवारो के सदस्यों के समूह गठित कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाकर बैंकों के माध्यम से ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विशेष रूप से महिला सदस्यों के ही स्वयं सहायता समूह गठित कर उन्हें बैंकों से लिंकेज कराने व ऋण आदि में उनकी सहायता करने का कार्य किया जा रहा है।

परिशिष्ठ–'अ'

जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने हेतु गठित जिला स्तरीय दल

1.	जिला कलेक्टर, टोंक	–	अध्यक्ष
2.	आयुक्त नगर परिषद्, टोंक	–	सदस्य
3.	प्रधान, पंचायत समिति, देवली	–	सदस्य
4.	प्रधान, पंचायत सतिति, मालपुरा	–	सदस्य
5.	अध्यक्ष, नगर पालिका, उनियारा	–	सदस्य
6.	श्री नरेश मीणा, सदस्य, स्थाई समिति, जिला परिषद्, टोंक	–	सदस्य
7.	श्री किशन लाल फगोडिया, सदस्य, स्थाई समिति, जि. प. टोंक	–	सदस्य
8.	श्री रामकरण गुजर, सदस्य, स्थाई समिति, जिला परिषद्, टोंक	–	सदस्य
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, टोंक	–	सदस्य
10.	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, टोंक	–	सदस्य
11.	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक	–	सदस्य
12.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), टोंक	–	सदस्य
13.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), टोंक	–	सदस्य
14.	जिला समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, टोंक	–	सदस्य
15.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक	–	सदस्य
16.	परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, टोंक	–	सदस्य
17.	लीड़ बैंक अधिकारी, टोंक	–	सदस्य
18.	उप निदेशक, कृषि विभाग, टोंक	–	सदस्य
19.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, टोंक	–	सदस्य
20.	प्रबन्धक, राजस्थान आजिविका मिशन एवं कौशल, टोंक	–	सदस्य
21.	आयोजना विभाग/आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के तकनीकी विशेषज्ञ	–	सदस्य
22.	मुख्य आयोजना अधिकारी, टोंक	–	सदस्यसचिव

परिशिष्ठ–'ब'

–: तालिकाओं का विवरण :–

क्र. सं.	विवरण	तालिका संख्या	पृष्ठ सं.
1	जिले में भूमि का प्रकार एवं क्षैत्र का विवरण (वर्ष 2009)	1.1	5
2	जिले में पं.स.एवं ग्राम पंचायतों का विवरण (वर्ष 2009)	1.2	6
3	जिले में नगर निकायों का जनसंख्यावार विवरण (वर्ष 2009)	1.3	6
4	जिले में राजस्व प्रशासन ईकाइयों का विवरण (वर्ष 2009)	1.4	7
5	जिले में जनसंख्या का ब्लॉकवार एवं वर्गवार विवरण (वर्ष 2001)	1.5	8
6	जिले में वर्गवार साक्षरता प्रतिशत (2001)	2.1	10
7	जिलें की राज्य एवं देश से तुलनात्मक स्थिति (2001)	2.2	10
8	जिलें में साक्षरता की दशकीय वृद्वि दर की स्थिति	2.3	12
9	टोंक जिलें की साक्षरता स्थिति ब्लॉकवार	2.4	12
10	टोंक जिलें की साक्षरता स्थिति ग्रामीण व शहरी	2.5	12
11	जिले मे शैक्षिक संस्थाओ का विवरण (वर्ष 2009)	2.6	13
12	जिले में ब्लॉकवार विद्यालयों का विवरण (वर्ष 2009)	2.7	14
13	ब्लॉकवार निजी विद्यालयो की संख्या (वर्ष 2009)	2.8	14
14	जिलें में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की संख्या (वर्ष 2009)	2.9	15
15	जिले में छात्र शिक्षक अनुपात एवं ठहराव की स्थिति (वर्ष 2009)	2.10	15
16	जिलें में कक्षा 1 से 8 तक के नामांकन का वर्गवार विवरण	2.11	16
17	जिलें में कक्षा 9 से 12 तक के नामांकन का वर्गवार विवरण	2.12	16
18	जिलें में नामांकन में जेण्डर विभाग की स्थिति (वर्ष 2008–09)	2.13	17
19	जिले में ड्रोप आउट एवं ठहराव की स्थिति	2.14	18
20	आउट ऑफ स्कूल बच्चो की संख्या	2.15	18
21	जिले में विद्यालयों द्वारा प्राप्त उपलब्धि स्तर का विवरण	2.16	27
22	जिले में संचालित कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विवरण	2.17	29
23	कक्षा 9 से 12 टोंक जिले में नामांकन राजकीय व निजी विद्यालय एवं छात्र शिक्षक अनुपात	2.18	30
24	माध्यमिक विद्यालयो में रिक्त पदो की स्थिति (वर्ष 2009)	2.19	31
25	साक्षरता कार्यक्रम एक दृष्टि में (30 जून 2009 तक की स्थिति)	2.20	32
26	लाभान्वित विद्यालयों एवं नामाकित विधार्थियों का ब्लॉकवार विवरण (वर्ष 2009) (मिड डे मिल)	2.21	33
27	जिले के विद्यालयो मे रसोई घर निर्माण की स्थिति (वर्ष 2009)	2.22	33
28	जिले में स्वास्थ्य सूचकांको की तुलनात्मक स्थिति	3.1	36
29	जिलें में कार्यरत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं का ब्लॉकवार विवरण	3.2	37
30	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा के लिए दूरी के आधार पर गॉव का विवरण	3.3	38
31	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत व कार्यरत स्टॉफ का विवरण	3.4	39
33	निजी सेवा प्रदाता संस्थाओं का विवरण –	3.5	40
34	निजी अस्पताल पर होने वाले संस्थागत प्रसव का विवरण	3.6	41
35	ब्लॉकवार संस्थागत प्रसव की प्रगति (वर्ष 2008–09)	3.7	43
36	टोंक जिले में वर्षवार टीकाकरण की स्थिति (2003–04 से 2008–09)	3.8	47
37	दम्पत्ति सुरक्षा दर (C.P.R)	3.9	52
38	परिवार नियोजन साधनों की प्रगति का विवरण	3.10	53

39	ब्लॉक वाईज परिवार नियोजन साधनों की स्थिति का ब्योरा वर्ष 2008–2009	3.11	54
40	आयु के अनुसार महिलाओं में नसबन्दी और आयूडी की स्वीकार्यता	3.12	54
41	जीवित बच्चो के अनुसार महिलाओं में नसबन्दी और आयूडी की स्वीकार्यता की स्थिति	3.13	55
42	धर्म के अनुसार महिलाओं में नसबन्दी और आयूडी की स्वीकार्यता	3.14	55
43	जाति के अनुसार महिलाओं में नसबन्दी और आयूडी की स्वीकार्यता	3.15	56
44	जिले में गत वर्षो में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण	3.16	57
45	एनएफएचएस II के अनुसार ज्ञात परिणामों के अनुसार प्रजनन दर	3.17	59
46	जिले की राज्य एवं देश में पहले बच्चे के समय महिला की औसत आयु की तुलनात्मक स्थिति	3.18	60
47	जिले में भूमि उपयोग का विवरण	4.1	73
48	जिले में वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक के उत्पादन एवं बोये गये क्षेत्रफल का विवरण (खरीफ)	4.2	75
49	जिले में वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक के उत्पादन एवं बोये गये क्षेत्रफल का विवरण (रबी)	4.3	75
50	खरीफ व रबी की फसलो का वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक कुल उत्पादन/क्षेत्रफल	4.4	76
51	वर्ष 2000–01 से वर्ष 2007–08 का सिंचित क्षेत्रफल	4.5	78
52	जिलें में आजीविका से जुडे मुख्य पशुधन की वर्तमान स्थिति	4.6	79
53	जिलें में ब्लाकवार पशुधन की स्थिति	4.7	79
54	जिले में पशु चिकित्सा सुविधा का विवरण	4.8	80
55	व्यवसायानुसार कार्यशील जनसंख्या वर्ष 2001	4.9	80
56	ब्लॉक वार कार्यशील जनसंख्या का विवरण	4.10	81
57	शहरी क्षैत्रों में कार्यशील जनसख्या का विवरण वर्ष 2001	4.11	82
58	जिलें में बी.पी.एल.परिवारों की स्थिति	4.12	83
59	जिलें में ग्रामीण क्षेत्र की ब्लॉकवार गरीबी की स्थिति (बी.पी.एल. सर्वे 2002)	4.13	83
60	जिलें में शहरी क्षेत्र की निकायवार गरीबी की स्थिति (बी.पी.एल. सर्वे 2007)	4.14	84
61	आवासीय मकानो की दृष्टि से परिवारों का वर्गीकरण (बी.पी.एल. सर्वे 2002)	4.15	84
62	जिले में बैंक शाखाओं की खण्डवार स्थिति	4.16	85
63	जिले में कार्यरत बैंको द्वारा सेक्टर वार उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधा की स्थिति	4.17	85
64	जिलें में पंजीकृत लघुउद्योग /दस्तकारी ईकाइयों की गत 10 वर्षो की स्थिति	4.18	86–87
65	लघु एवं दस्तकारी उद्योगों में नियोजन की क्रमागत स्थिति	4.19	88
66	जिले में लिंगानुपात की स्थिति (2001)	5.1	91
67	जिले में ब्लॉकवार लिंगानुपात की स्थिति	5.2	91
68	जिले में साक्षरता की स्थिति (महिला पुरुष की तुलना)	5.3	92
69	जिले में ब्लॉकवार साक्षरता की स्थिति (महिला पुरुष की तुलना)	5.4	92
70	जिले में ब्लॉकवार नामांकन की तुलनात्मक स्थिति	5.5	93
71	जिले में कार्यशील जनसंख्या की ब्लॉकवार महिला – पुरूषो की तुलनात्मक स्थिति	5.6	93
72	जिलें में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति	5.7	94

ब्लॉकवार विभिन्न सूचकों की स्थिति – जिला टोंक

क्र.स.	नाम ब्लॉक	जनसंख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्रामों की संख्या	लिंगानुपात	अनु. जाति जनसंख्या का प्रतिशत	अनु. जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	जनसंख्या घनत्व (प्र.व.कि.मी)	पशुधन का घनत्व (प्र.व.कि.मी)	साक्षरता दर			विद्यालयों की संख्या (प्राथमिक स्तर)	विद्यालयों की संख्या (उ.प्राथ. स्तर)	विद्यालयों की संख्या (माध्यमिक स्तर)	प्रति विद्यालय जनसंख्या भार (प्राथमिक स्तर)
											कुल	पुरूष	स्त्री				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	टोंक	340051	1423	50	270	928	19.80	6.84	237	193	52.44	70.00	33.61	180	187	68	1889
2	देवली	189297	1235	39	186	924	19.12	19.89	152	155	49.60	69.01	28.57	152	87	46	1245
3	उनियारा	143343	985	33	223	918	16.53	25.68	145	144	48.00	69.27	24.94	181	66	34	792
4	निवाई	203340	1063	41	210	942	20.51	15.86	189	216	55.81	73.63	37.77	207	120	46	982
5	मालपुरा	204292	1468	36	161	943	18.90	3.37	137	242	50.46	68.68	31.11	156	128	52	1310
6	टोंडारायसिंह	131348	1020	31	148	948	19.44	6.86	126	152	54.94	73.55	35.40	115	61	37	1142
जिला		**1211671**	**7194**	**230**	**1198**	**934**	**19.24**	**12.04**	**168**	**170**	**52.00**	**70.52**	**32.15**	**991**	**649**	**283**	**1223**

ब्लॉकवार विभिन्न सूचकों की स्थिति – जिला टोंक

क्र.स.	नाम ब्लॉक	प्रति विद्यालय जनसंख्या भार (उ.प्राथ. स्तर)	प्रति विद्यालय जनसंख्या भार (माध्यमिक स्तर)	शिक्षक छात्र अनुपात (कक्षा 1–8)	ठहराव दर	जेण्डर गेप (कक्षा 1–8)	चिकित्सा संस्थाओं की संख्या (CHC+PHC+SC)	प्रति चिकित्सा संस्था जनसंख्या भार	संस्थागत प्रसव का प्रतिशत	कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत	गरीबी का प्रतिशत (बी.पी.एल. परिवारो के आधार पर)		बैंक शाखाओं की संख्या	जनसंख्या भार प्रति बैंक शाखा
											शहरी	ग्रामीण		
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	टोंक	1818	5001	20.33	68.92	15.26	91	3737	71.02	40.91	35.65	21.75	23	14785
2	देवली	2176	4115	23.41	71.70	22.08	47	4028	68.73	46.27	25.66	32.75	16	11831
3	उनियारा	2172	4216	23.64	72.26	22.67	41	3496	27.42	47.56	23.63	17.53	12	11945
4	निवाई	1695	4420	24.65	75.93	21.85	48	4236	69.66	45.30	24.02	25.79	17	11961
5	मालपुरा	1596	3929	20.07	68.58	16.19	41	4983	88.79	41.89	24.27	14.18	15	13619
6	टोंडारायसिंह	2153	3550	20.64	75.78	16.98	35	3753	33.99	45.73	24.51	9.11	9	14594
जिला		**1867**	**4282**	**21.88**	**72.19**	**18.92**	**303**	**3999**	**64.17**	**43.96**	**30.29**	**21.10**	**92**	**13170**